



सत्यमेव जयते

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)
2015 का प्रतिवेदन संख्या 4**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग
(अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)
2015 का प्रतिवेदन संख्या 4

लोक सभा/राज्य सभा के पटल पर _____को प्रस्तुत किया गया

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	(i)
कार्यकारी सार	(iii)
अध्याय 1: राजस्व विभाग- सेवा कर	1-22
1.1 संघ सरकार के संसाधन	1
1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	1
1.3 संगठनात्मक ढांचा	2
1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन	3
1.5 अप्रत्यक्ष कर-सापेक्ष अंशदान	4
1.6 सेवा कर की वृद्धि-प्रवृत्तियां तथा संघटन	5
1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर	6
1.8 कर आधार	7
1.9 सेवा कर में बजटीय मामले	8
1.10 वित्त अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर	8
1.11 व्यापार सरलीकरण	9
1.12 सेवा कर का बकाया	10
1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली	11
1.14 विवरणियों की संवीक्षा	12
1.15 न्याय निर्णय	15
1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान	16
1.17 संग्रहण की लागत	18
1.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा	18
1.19 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	20
1.20 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया	20
1.21 प्रतिवेदन विहंगावलोकन	21
1.22 लोक लेखा समिति (पीएसी)	21

	विषय	पृष्ठ
1.23	निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	21
1.24	सीएजी की लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अनुवर्ती कार्रवाई	21
अध्याय II : बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता		23-49
2.1	प्रस्तावना	23
2.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	23
2.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	24
2.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	24
2.5	प्रणाली मामले	24
2.6	अनुपालन मामले	36
2.7	अन्य मामले	49
2.8	निष्कर्ष	49
अध्याय III : बन्दरगाह क्षेत्र में सेवा कर देयता		50-67
3.1	प्रस्तावना	50
3.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	51
3.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	51
3.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	51
3.5	प्रणाली मामले	52
3.6	अनुपालन मामले	56
3.7	अन्य मामले	67
3.8	निष्कर्ष	67
अध्याय IV : मण्डप पालक की सेवाओं पर सेवा कर देयता		68-81
4.1	प्रस्तावना	68
4.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	68
4.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	69
4.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	69
4.5	निष्कर्ष	81

विषय		पृष्ठ
अध्याय V : सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा		82-93
5.1	प्रस्तावना	82
5.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	82
5.3	लेखापरीक्षा क्षेत्र	82
5.4	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	83
5.5	निर्धारितियों द्वारा अननुपालन	86
5.6	अन्य मामले	92
5.7	निष्कर्ष	93
अध्याय VI : नियमों तथा विनियमों का अननुपालन		94-105
6.1	प्रस्तावना	94
6.2	सेवा कर का भुगतान न करना	94
6.3	सेवा कर का कम भुगतान	100
6.4	सेनवेट क्रेडिट	101
6.5	ब्याज का भुगतान न करना	102
अध्याय VII : आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता		106-125
7.1	प्रस्तावना	106
7.2	लेखापरीक्षा परिणाम	106
7.3	विवरणियों की अपर्याप्त समीक्षा	107
7.4	निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा	109
7.5	अन्य मामले	123
परिशिष्ट I		128
परिशिष्ट II		129
परिशिष्ट III		134
शब्दावली		140

प्राक्कथन

मार्च 2014 को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति के प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-अप्रत्यक्ष कर (सेवा कर) के अधीन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम अन्तर्विष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित दृष्टान्त वे हैं जो 2013-14 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान देखने में आए तथा वे जो पूर्व वर्षों में देखने में आए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सूचित नहीं किए जा सके, 2013-14 के बाद की अवधि से संबंधित दृष्टान्त भी जहां कहीं आवश्यक हुए, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुकूल की गई हैं।

कार्यकारी सार

इस प्रतिवेदन में ₹ 772.08 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सेवा कर पर 178 लेखापरीक्षा टिप्पणियां हैं। मंत्रालय/विभाग ने दिसम्बर 2014 तक ₹ 477.22 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 130.29 करोड़ की वसूली सूचित की थी। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष निम्नवत हैं:

अध्याय I: राजस्व विभाग - सेवा कर

- सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में अप्रत्यक्ष कर राजस्व वि व 10 में 3.79 प्रतिशत से वि व 14 में 4.41 प्रतिशत तक बढ़ गया है। इसी अवधि में जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व 0.9 प्रतिशत से 1.36 प्रतिशत तक बढ़ गया।

(पैराग्राफ 1.4 तथा 1.5)

- बकाया की वसूली में सुधार करने के लिए विभाग द्वारा आरंभ किए गए उपायों को कोई प्रभाव नहीं हुआ है। वि व 14 में बकाया संग्रहण वि व 13 में 11.40 प्रतिशत की तुलना में 3.12 प्रतिशत तक तेजी से कम हो गया है।

(पैराग्राफ 1.12)

- समीक्षा तथा सुधार के लिए एसीईएस द्वारा चिन्हित 89 प्रतिशत से अधिक विवरणियां सुधार कार्रवाई के लिए लंबित थीं।

(पैराग्राफ 1.14.1)

- ₹ 31,000 करोड़ से अधिक सेवा कर निहितार्थ वाले न्यायनिर्णय मामले 31 मार्च 2014 को अन्तिमीकरण को लंबित थे।

(पैराग्राफ 1.15)

- वि व 14 में लंबित प्रतिदाय दावों की संख्या वि व 13 के 7906 की तुलना में 8154 तक बढ़ गए हैं, तथापि उसी अवधि के दौरान प्रतिदाय दावों में लम्बित राशि ₹ 37,387 करोड़ तक कम हो गई है।

(पैराग्राफ 1.16)

- 45 प्रतिशत से अधिक श्रेणी 'क' सेवा कर निर्धारिती जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर विभाग द्वारा अनिवार्य लेखापरीक्षा हेतु देय थे, वि व 14 के दौरान अलेखापरिक्षित रह गए।

(पैराग्राफ 1.18)

अध्याय II: बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता

- बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप ₹ 252.40 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 2.5.3)

- बीमा सहायक सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत ₹ 7.05 करोड़ के सेवा कर की गैर अदायगी देखी गई थी।

(पैराग्राफ 2.6.1)

अध्याय III: बन्दरगाह क्षेत्र में सेवा कर देयता

- ₹ 204.88 करोड़ के राजस्व वाले 43 मामलों में वसूली कार्यवाइयां अभी भी आरंभ की जानी थीं जहाँ अपीलीय प्राधिकरण द्वारा स्थगन नहीं दिया गया था और जहाँ स्थगन दिया गया था वहाँ 180 दिनों से अधिक समय स्थगन देने के बाद व्यतीत हो गया था।

(पैराग्राफ 3.5.4)

- बन्दरगाह में किराया आय पर ₹ 33.85 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान दो मामलों में देखा गया था।

(पैराग्राफ 3.6.1)

अध्याय IV: मण्डल पालक की सेवाओं से संबंधित सेवा कर देयता

- एक मामले में ₹ 1.07 करोड़ का सेवा कर संग्रहीत था परन्तु जमा नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 4.4.2.6)

- स्थानीय निकायों द्वारा पंजीकरण न कराने के परिणामस्वरूप ₹ 1.31 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

(पैराग्राफ 4.4.3.1)

अध्याय V: सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

- 40 प्रतिशत से अधिक देय विवरणियां चयनित कमिशनरियों में प्राप्त नहीं हुई थीं परन्तु लेखापरीक्षा के बताए जाने तक दाखिल न कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई थी।

(पैराग्राफ 5.4.1(i))

- एसीईएस ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की सूची नहीं बनाई। इसके अलावा 121 विवरणियां जो प्राप्त कुल विवरणियों का केवल 0.1 प्रतिशत हैं, चयनित कमिशनरियों में विस्तृत संवीक्षा की गई थीं।

(पैराग्राफ 5.4.3)

अध्याय VI: नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

- लेखापरीक्षा में ₹ 128.25 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना/उपयोग और विलम्बित भुगतानों पर ब्याज का भुगतान न करना के उदाहरण देखे गए।

(पैराग्राफ 6.1)

अध्याय VII: आन्तरिक नियंत्रण की प्रभावकारिता

- लेखापरीक्षा में विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई संवीक्षा/आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमियां, कारण बताओ नोटिस देरी से जारी करना आदि देखे गए जिनमें ₹ 179.69 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहितार्थ था।

(पैराग्राफ 7.2)

अध्याय 1

राजस्व विभाग – सेवा कर

1.1 संघ सरकार के संसाधन

भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करने के द्वारा एकत्रित सभी ऋण, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण और ऋणों की वापसी में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन शामिल होते हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व प्राप्तियों से बने हैं। तालिका 1.1 संघ सरकार की प्राप्तियों का सार चित्रित करती है जो वि व 14 के लिए ₹ 55,83,092 करोड़¹ थी। इनमें से उसकी स्वयं की प्राप्तियां ₹ 11,38,996 करोड़ की सकल कर प्राप्तियों सहित ₹ 15,36,024 करोड़ थीं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन

	(₹ करोड़ में)
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	15,36,024
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	6,38,596
ii. अन्य करों सहित प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	5,00,400
iii. अनुदान सहायता एवं अंशदानों सहित गैर कर प्राप्तियां	3,97,028
ख. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	27,553
ग. कर्जे तथा उधारों की वसूली	24,549
घ. लोक ऋण प्राप्तियां	39,94,966
भारत सरकार की प्राप्तियां (क+ख+ग+घ)	55,83,092
नोट: कुल राजस्व प्राप्तियों में राज्यों को सीधे अभ्यर्पित प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल आय का भाग ₹ 3,18,230.00 करोड़ शामिल है।	

1.2 अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

अप्रत्यक्ष कर माल/सेवाओं की आपूर्ति की लागत से संबंध हैं और इस अर्थ में व्यक्ति विशेष की अपेक्षा लेन-देन विशेष हैं। संसद के अधिनियमों के अन्तर्गत उद्ग्रहीत प्रमुख अप्रत्यक्ष कर/शुल्क निम्न हैं:

क) सीमा शुल्क: भारत में माल के आयात और भारत से बाहर कुछ माल के निर्यात पर सीमा शुल्क उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 83)

¹ स्रोत: वि व 14 का संघ वित्त लेखा आंकड़े अनन्तितम है। अन्य कर सहित प्रत्यक्षकर प्राप्तियां तथा अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां वि व 14 के संघ वित्त लेखे से परिकलित किए गए हैं।

ख) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भारत में माल के विनिर्माण अथवा उत्पादन पर उद्ग्रहीत किया जाता है। मानव खपत हेतु मादक शराब, अफीम, भारतीय गांजा और अन्य स्वापक दवा और मादक पदार्थों को छोड़कर परन्तु चिकित्सीय तथा अल्कोहल, अफीम आदि वाले प्रसाधन सम्पाकों सहित भारत में विनिर्मित अथवा उत्पादित तम्बाकू तथा अन्य माल पर उत्पाद शुल्क उद्ग्रहीत करने की संसद को शक्तियां हैं (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84)।

ग) सेवा कर: कर योग्य क्षेत्र के अन्दर दी गई सेवाओं पर सेवा कर उद्ग्रहीत किया जाता है (संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97)। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दी गई सेवाओं पर सेवा कर एक कर है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 बी परिकल्पना करती है कि ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवाओं के अतिरिक्त एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं के मूल्य पर 12 प्रतिशत की दर पर उद्ग्रहीत कर होगा और ऐसी रीति में संग्रहीत होगा जैसा निर्धारित² किया जाए। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे के लिए की गई के महत्व (उनमें वर्जित मदों के अतिरिक्त) के किसी कार्यकलाप के अर्थ के लिए और घोषित सेवा³ शामिल करने के लिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65बी (44) में “सेवा” परिभाषित की गई है।

यह अध्याय वित्त लेखे, विभागीय लेखाओं से डाटा और लोक अधिकार क्षेत्र में उपलब्ध डाटा का उपयोग कर सेवा कर में प्रवृत्तियों, संघटन तथा सर्वांगी विषयों पर चर्चा करता है।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

वित्त मंत्रालय (एमओएफ) का राजस्व विभाग (डीओआर) सचिव (राजस्व) के समग्र निर्देशन तथा नियंत्रण के अधीन कार्य करता है और केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 के अधीन गठित सचिव(राजस्व) दो सांविधिक बोर्डों

² 1 जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 2012 द्वारा सम्मिलित धारा 66बी, धारा 66 डी में मदों की सूची है जो ऋणात्मक सूची से बनी है।

³ वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ई घोषित सेवाओं की सूची देती है।

नामतः, केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के माध्यम से सभी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष संघ करों से संबंधित मामलों का समन्वय करता है। सेवा कर के उद्ग्रहण तथा संग्रहण से संबंधित मामलों की सीबीईसी द्वारा जांच की जाती है।

23 उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर क्षेत्रों के संबंधित मुख्य आयुक्तों के अधीन एक सौ चार कमिश्नरियां कार्य करती हैं। इनमें से सतत्तर कमिश्नरियां (7 एक मात्र सेवा कर कमिश्नरियां, 66 समन्वित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर कमिश्नरियां और 4 बड़ी करदाता यूनिट (एलटीयू) कमिश्नरियां) सम्पूर्ण देश में सेवा कर के निर्धारण तथा संग्रहण में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त सरकार ने सेवा कर संबंधित कार्य⁴ के समन्वय के लिए 1997 में अधीनस्थ कार्यालय के रूप में महानिदेशक, सेवा कर (डीजीएसटी) का कार्यालय गठित किया है।

31 मार्च 2014 को सीबीईसी की समग्र संस्वीकृत स्टाफ संख्या 68793 है। सीबीईसी का संगठनात्मक ढांचा परिशिष्ट 1 में दर्शाया गया है।

1.4 अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि - प्रवृत्तियां तथा संघटन

तालिका 1.2 वि व 10 से वि व 14 के दौरान प्रत्यक्ष करों की सापेक्ष वृद्धि चित्रित करती है।

तालिका 1.2: अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि

(₹ करोड़ में)					
वर्ष	अप्रत्यक्ष कर	जीडीपी	अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की %	सकल कर राजस्व	सकल कर राजस्व की % के रूप में अप्रत्यक्ष कर
वि व 10	2,45,373	64,77,827	3.79	6,24,527	39.29
वि व 11	3,45,371	77,95,314	4.43	7,93,307	43.54
वि व 12	3,92,674	90,09,722	4.36	8,89,118	44.16
वि व 13	4,74,728	1,01,13,281	4.69	10,36,460	45.80
वि व 14	5,00,400	1,13,55,073	4.41	11,38,996	43.93


स्रोत: वित्त वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

⁴ डीजीएसटी वर्तमान में मुम्बई से कार्य करता है।

यह देखने में आता है कि जीडीपी तथा सकल कर राजस्व के अनुपात के रूप में प्रत्यक्ष कर संग्रहण वि व 13 की तुलना में वि व 14 में कम हो गया है जबकि यह स्थिर रूप में बढ़ा है।

1.5 अप्रत्यक्ष कर - सापेक्ष अंशदान

तालिका 1.3 वि व 10 से वि व 14 तक की अवधि के लिए जीडीपी शब्दों में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर संघटकों की समष्टयी चित्रित करती है। प्रमुख प्रत्यक्ष करों का सापेक्ष राजस्व अंशदान चार्ट 1.1।



तालिका 1.3: अप्रत्यक्ष कर जीडीपी की प्रतिशतता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सीमाशुल्क राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सीमा शुल्क राजस्व	के.उ.शु राजस्व	जीडीपी की % के रूप में के.उ.शु राजस्व	सेवा कर राजस्व	जीडीपी के % के रूप में सेवा कर राजस्व
वि व 10	64,77,827	83,324	1.29	1,02,991	1.59	58,422	0.90
वि व 11	77,95,314	1,35,813	1.74	1,37,701	1.77	71,016	0.91
वि व 12	90,09,722	1,49,328	1.66	1,44,901	1.61	97,509	1.08
वि व 13	101,13,281	1,65,346	1.63	1,75,845	1.74	1,32,601	1.31
वि व 14	113,55,073	1,72,085	1.52	1,69,455	1.49	1,54,780	1.36

स्रोत: कर प्राप्तियों के आंकड़े संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखाओं के अनुसार हैं।

वि व 14 के अनन्तिम हैं।

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क राजस्व के संबंध में शेयर अवनत हुआ है जबकि जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर का शेयर वि व 14 के दौरान बढ़ा है।

1.6 सेवा कर की वृद्धि- प्रवृत्तियां एवं संरचना

तालिका 1.4 वि व 10 से वि व 14 के दौरान सम्पूर्ण और जीडीपी निबंधनों में सेवा कर की वृद्धि प्रवृत्तियों को चित्रित करती है।

तालिका 1.4: सेवा कर की वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वर्ष	जीडीपी	सकल कर राजस्व	सकल अप्रत्यक्ष कर	सेवा कर	जीडीपी के % रूप में सेवा कर	सकल कर राजस्व के % के रूप में सेवा कर	अप्रत्यक्ष कर के % के रूप में सेवा कर
वि व 10	64,77,827	6,24,527	2,45,373	58,422	0.90	9.35	23.81
वि व 11	77,95,314	7,93,307	3,45,371	71,016	0.91	8.95	20.56
वि व 12	90,09,722	8,89,118	3,92,674	97,509	1.08	10.97	24.83
वि व 13	1,01,13,281	10,36,460	4,74,728	1,32,601	1.31	12.79	27.93
वि व 14	1,13,55,073	11,38,996	5,00,400	1,54,780	1.36	13.59	30.93

स्रोत: वित्त लेखे वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं

जीडीपी की प्रतिशतता के रूप में सेवा कर राजस्व ने अवधि के दौरान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाई है। जीडीपी के अनुपात के रूप में सेवा कर गत पाँच वर्षों के दौरान 0.90 प्रतिशत से 1.36 प्रतिशत तक पहुँच गया है। सम्पूर्ण सेवा कर ने वि व 14 के दौरान सकल कर राजस्व के 13.59 प्रतिशत अंशदान किया है।

1.7 प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

तालिका 1.5 सेवाओं की प्रमुख पाँच श्रेणियों से संग्रहीत सेवा कर चित्रित करती है।

तालिका 1.5: प्रमुख सेवा श्रेणियों से सेवा कर

(₹ करोड़ में)


वर्ष	वि व 10	वि व 11	वि व 12	वि व 13	वि व 14
दूर संचार	2,885	3,902	5,402	7,538	12,643
सामान्य बीमा प्रीमियम	3,126	3,877	5,234	6,321	8,834
कार्य ठेका	1,849	3,092	4,179	4,455	7,434
जन शक्ति भर्ती	2,077	2,870	3,847	4,432	7,335
बैंकिंग तथा वित्तीय सेवाएं	4,066	4,345	5,876	4,964	7,185

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे।

वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम वित्त लेखे के अनुसार हैं

यह पाया जाता है कि सेवा कर संग्रहण के लिए दूर संचार तथा सामान्य बीमा प्रीमियम सेवाओं का शिखर पर होना जारी है।

पाई चार्ट 1.2 वि व 14 के दौरान प्रमुख सेवाओं के समग्र अंशदान को चित्रित करता है।



यह पाया जाता है कि शिखर पाँच श्रेणी सेवाओं ने सकल सेवा कर संग्रहण का 28 प्रतिशत योगदान किया।

1.8 कर आधार

"निर्धारिती" का अर्थ किसी व्यक्ति से है जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित की धारा 65 (7) में परिभाषा के अनुसार उसके एजेंट को शामिल करता है। तालिका 1.6 वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 के अन्तर्गत सेवा कर विभाग के पास पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या का डाटा(वि व 10 से वि व 14 तक से संबंधित) चित्रित करती है।

तालिका 1.6: सेवा कर में कर आधार

वर्ष	कर योग्य सेवाओं की संख्या	एसटी पंजीकरणों की संख्या	पूर्व वर्ष से वृद्धि %	निर्धारितियों की संख्या जिन्होंने विवरणी दाखिल की
वि व 10	109	13,39,812	9.27	55,405
वि व 11	117	14,94,449	11.54	1,79,344
वि व 12	119	16,76,105	12.16	7,06,535
वि व 13	All*	18,71,939	11.68	6,08,013
वि व 14	All*	12,76,861	(-)-31.79	10,04,812

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

*ऋणात्मक सूची के अतिरिक्त

यह पाया जाता है कि यद्यपि वि व 14 के दौरान पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या लगभग 32 प्रतिशत तक घट गई थी परन्तु निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 13 की तुलना में विवरणियां दाखिल कीं, की संख्या में वृद्धि हुई है।

मंत्रालय को निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 13 की तुलना में स्थिर शब्दों तथा सेवा कर पंजीकरण की संख्या की प्रतिशतता दोनों में वि व 14 के दौरान विवरणी दाखिल की है, की संख्या में सुधार के लिए प्रशंसा किए जाने की आवश्यकता है।

एक ओर निर्धारितियों, जिन्होंने वि व 14 के दौरान विवरणी दाखिल की है, की संख्या वि व 13 की तुलना में 66 प्रतिशत तक बढ़ी है तथापि दूसरी ओर सेवा कर राजस्व में वर्ष के दौरान मात्र 17 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है जो संबंधित पूर्व वर्षों की तुलना में वि व 13 तथा वि व 12 के दौरान 36 प्रतिशत की वृद्धि से भी कम है।

1.9 सेवा कर में बजटीय मामले

तालिका 1.7 सेवा कर प्राप्तियों के बजट अनुमानों और संगत वास्तविकों की तुलना चित्रित करती है।

तालिका 1.7: बजट, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियां	वास्तविक तथा बीई के बीच अन्तर	वास्तविक तथा बीई के बीच % ता अन्तर	वास्तविक तथा आरईके बीच % ता अन्तर
वि व 10	65,000	58,000	58,422	(-)6,578	(-)10.12	0.73
वि व 11	68,000	69,400	71,016	3,016	4.44	2.33
वि व 12	82,000	95,000	97,509	15,509	18.91	2.64
वि व 13	1,24,000	1,32,697	1,32,601	8,601	6.94	(-)0.07
वि व 14	1,80,141	1,64,927	1,54,780	(-)25,361	(-)14.08	(-)6.15

स्रोत: संघ वित्त लेखे तथा संबंधित वर्षों के प्राप्ति बजट दस्तावेज
वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम वित्त लेखे के अनुसार हैं।

यह पाया जाता है कि सेवा कर वास्तविक संग्रहण वि व 14 के दौरान 14.08 प्रतिशत तक बजट अनुमानों से कम रहा।

1.10 वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत छोड़ा गया सेवा कर

बजट दस्तावेजों के पठन से पता चला कि प्रत्यक्ष कर तथा अन्य अप्रत्यक्ष करों जैसे केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा -शुल्क के लिए छोड़े गए राजस्व के व्यौरे 2006-07 के बजट से आरंभ कर संबंधित बजट के दौरान प्रत्येक वर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। तथापि सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व बजट दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है। लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2014 की सं. 6 के पैराग्राफ 1.12 में उल्लिखित समान मामले के उत्तर में मंत्रालय ने उत्तर दिया कि पर्याप्त डाटा अनुरक्षित नहीं किया जा रहा है।

इसी विषय की अपनी तीसरी रिपोर्ट में कर प्रशासन सुधार आयोग द्वारा जांच की गई थी और रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि:-

“सेवा कर के संबंध में 2014 की सीएजी रिपोर्ट सं. 6 से यह पाया गया है कि छोड़े गए राजस्व आंकड़े मुख्यतया पर्याप्त डाटा के अभाव के कारण उपलब्ध नहीं हैं। जैसा सीएजी द्वारा अवलोकन किया गया, इसका अर्थ निकलेगा कि विभाग अन्तर विश्लेषण करने की स्थिति में नहीं होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के संबंध में विभाग का अभिगम एसीईएस से डाटा बहिर्वेशन करने का रहा है (क्षेत्र आधारित छूट योजना के कारण छोड़ा गया शुल्क संबंधित केन्द्रीय उत्पाद क्षेत्र से अलग से प्राप्त किया गया है)। इसी प्रकार सेवा कर के लिए विभाग छोड़े गए राजस्व आंकड़ों का अनुमान करने के रास्तों पर विचार करे और अन्तर विश्लेषण करे”

अक्टूबर 2011 से सेवा कर विवरणी के अनिवार्य ई फाइलिंग के परिणामतः विभाग सेवा कर के संबंध में छोड़ा गया राजस्व विवरण तैयार करने पर विचार करे।

1.11 व्यापार सरलीकरण

1.11.1 बड़ी करदाता इकाईयों (एलटीयू) का सृजन

व्यापार सुविधा के लिए विभाग ने एलटीयू का गठन किया है। एक एलटीयू केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, आयकर तथा निगम कर से संबंधित सभी मामलों के लिए एकल खिड़की निर्बाधन केन्द्र के रूप में कार्य करने वाला राजस्व विभाग के अधीन स्वतः पूर्ण कर कार्यालय है। पात्र कर दाता जो एलटीयू में निर्धारण का विकल्प देते हैं, ऐसे एलटीयू में अपनी उत्पाद विवरणी, प्रत्यक्ष कर विवरणियां तथा सेवा कर विवरणी फाइल करने के योग्य होंगे और सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उनके अन्तर्गत सभी इन करों को निर्धारित किए जाएंगे। ये यूनिटें प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर/शुल्क भुगतान, दस्तावेजों तथा विवरणियों को फाइल करने, बट्टा/प्रतिदायों के दावे, विवादों का निपटान आदि से संबंधित सभी मामलों में कर दाताओं सहायता करने के लिए आधुनिक सुविधाओं तथा प्रशिक्षित जनशक्ति से सज्जित किए जा रहे हैं। व्यापार सरलीकरण के लिए दिल्ली, मुम्बई, बेंगलुरु तथा चेन्नई में चार एलटीयू स्थापित किए गए हैं।

1.11.2 केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन

केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर (एसीईएस) का स्वचलन केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा ई-गवर्नेंस पहल है। यह राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (एनईजीपी) के अन्तर्गत भारत सरकार के मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) में से एक है। यह एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उद्देश्य भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन में करदाता सेवाएं, पारदर्शिता, जबाबदेही तथा दक्षता सुधारना है। यह अनुप्रयोग वेब आधारित तथा वर्कफ्लो आधारित प्रणाली है जिसने केन्द्रीय उत्पाद तथा सेवा कर में सभी प्रमुख कार्यविधियों को स्वचालित किया है।

1.12 सेवा कर का बकाया

उपचित परन्तु वसूल न किए गए राजस्व की वसूली की विभिन्न विधियों का कानून प्रावधान करती है। इसमें व्यक्ति जिससे राजस्व वसूली योग्य है, को देय राशियों, यदि कोई हो, के प्रति समायोजन करना, उत्पाद शुल्क योग्य माल की कुर्की तथा बिक्री द्वारा वसूली और जिला राजस्व अधिकारी के माध्यम से वसूली शामिल होते हैं।

तालिका 1.8 बकाया राजस्व की वसूली के संबंध में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.8 बकाया वसूली - सेवा कर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरंभ में बकाया राशि	वर्ष के दौरान संग्रहण	वर्ष के आरंभ में बकाया के % के रूप में संग्रहण
वि व 12	14,340	1,669	11.40
वि व 13	20,361	2,322	11.40
वि व 14	39,537	1,232	3.12

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह चिन्ता का विषय है कि वि व 14 के दौरान बकाया के अनुपात के रूप में संग्रहण वि व 13 में 11.40 प्रतिशत की तुलना में 3.12 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गया है। विभाग के वसूली तंत्र की सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

1.13 अपवंचन रोधी उपायों के कारण अतिरिक्त राजस्व वसूली

डीजीसीईआई तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर कमिशनरियां सेवा कर के अपवंचन के मामलों को खोजने के कार्य में सुपरिभाषित भूमिकाएं रखते हैं। जबकि अपने क्षेत्राधिकार में यूनिटों के बारे में अपने व्यापक डाटाबेस तथा क्षेत्र में अपनी उपस्थिति के साथ कमिशनरियों शुल्क अपवंचन के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति में हैं वहीं पर्याप्त राजस्व के अपवंचन के बारे में विशेष आसूचना संग्रहीत करने में डीजीसीईआई की विशेषता है। ऐसे संग्रहीत आसूचना कमिशनरियों में बांटी जाती है। अखिल भारतीय शाखाओं वाले मामलों में डीजीसीईआई द्वारा जांच भी की जाती है।

तालिका 1.9 (क) गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(क): गत तीन वर्षों के दौरान डीजीसीईआई
का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों	राशि	
वि व 12	452	4,919	434
वि व 13	835	5,131	880
वि व 14	1,191	8,032	1,489

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि सेवा कर मामलों की संख्या और डीजीसीईआई द्वारा खोजी गई राशियां वि व 13 तथा वि व 12 की तुलना में वि व 14 के दौरान पर्याप्त रूप से बढ़ गई।

तालिका 1.9 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान कमिशनरियों का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.9(ख): गत तीन वर्षों के दौरान कमिशनरियों का अपवंचन रोधी निष्पादन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	खोज		जांच के दौरान स्वैच्छिक भुगतान
	मामलों की संख्या	राशि	
वि व 12	3,403	6,748	823
वि व 13	5,875	7,827	2,819
वि व 14	8,024	6,810	3,614

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि कमिशनरियों द्वारा खोजे गए मामलों की संख्या और राशि गत तीन वर्षों के दौरान लगातार बढ़ी है।

सेवा कर में कर प्रशासन

1.14 विवरणियों की संवीक्षा

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण की संकल्पना लागू की। स्वनिर्धारण लागू करने के साथ विभाग ने अन्य बातों के साथ विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से सशक्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का प्रावधान भी परिकल्पित किया। स्वनिर्धारण काल में भी विभागीय अधिकारियों का कार्य निर्धारण अथवा निर्धारण की पुष्टि किया जाना जारी है क्योंकि ये वे हैं जो कर भुगतान⁵ की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सांविधिक देयता रखते हैं। यह सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के माध्यम से किया जाता है जो आगे जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन किए जाते हैं। सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियमपुस्तक 2009 परिकल्पना करती है कि संवीक्षा दो चरणों, अर्थात् विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा, जो एसीईएस अनुप्रयोग द्वारा की जानी है और निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस द्वारा अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप से की जानी है, में की जानी है।

⁵ सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 पैरा 1.2.1 क

1.14.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य सूचना की पूर्णता, विवरणी का समय से प्रस्तुतीकरण शुल्क का समय से भुगतान, शुल्क के रूप में संगणित राशि की गणितीय यथार्थता और फाइल न करने वालों और फाइल करना बंद करने वालों⁶ की पहचान सुनिश्चित करना है।

तालिका 1.10 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.10 सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा

वर्ष	एसीईएस में दाखिल विवरणियों की सं.	आरण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	आरण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों का %	आरण्डसी के बाद मुक्त विवरणियों की संख्या	आरण्डसी हेतु लंबित विवरणियों की संख्या	सुधार लंबित चिन्हित विवरणियों का %
वि व12	9,09,718	7,00,066	76.95	83,664	6,16,397	88.05
वि व13	22,42,332	18,42,137	82.15	3,67,256	14,74,874	80.06
वि व14	22,97,335	7,95,581	34.63	84,944	7,10,637	89.32

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि प्रत्येक वर्ष एसीईएस द्वारा संवीक्षित मामलों की काफी उच्च प्रतिशतता समीक्षा तथा सुधार (आरण्डसी) के लिए चिन्हित है। एसीईएस द्वारा आरण्डसी हेतु चिन्हित विवरणियों की प्रतिशतता वि व 14 में 34.63 प्रतिशत तक प्रबल रूप से कम हो गई जो एक स्वस्थ संकेत है और एसीईएस की स्थिरीकरण दर्शाता है और इसे आगे ले जाने की आवश्यकता है। यह भी पाया जाता है कि आरण्डसी हेतु चिन्हित 89.32 प्रतिशत विवरणियां 31 मार्च 2014 को लंबित थीं। ऑनलाइन प्राथमिक संवीक्षा लागू करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य विस्तृत मानवीय संवीक्षा हेतु जनशक्ति निर्मुक्त करना था जो तब रेंज/गुप⁷ का मुख्य कार्य बन सकेगा, आरण्डसी पहचान के बाद सुधार हेतु लम्बन की उच्च संख्याए दर्शाती हैं कि वे प्राप्त किए जाने से काफी दूर हैं।

⁶ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

⁷ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.ख

आरण्डसी हेतु ऊपर उठाया होने पर संवीक्षित विवरणियों की काफी उच्च प्रतिशतता और लंबित सुधार कार्रवाई विवरणियों की परिणामी उच्च संख्या एसीईएस अनुप्रयोग में कमियों के संकेत हैं जिसकी विभाग को शीघ्र ही समाधान करने की आवश्यकता है। एसीईएस में विवरणियों के आरण्डसी का समापन निर्धारितियों द्वारा प्रस्तुत बाद की विवरणियों की संवीक्षा के लिए पूर्व अपेक्षा है। विवरणियों की बड़ी संख्या संवीक्षा हेतु लंबित थीं जिसमें सेवा कर संग्रहण की सत्यता का जोखिम है।

1.14.2 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का उद्देश्य कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करना और मूल्यांकन, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करना, छूट अधिसूचना की स्वीकार्यता को ध्यान में रखने के बाद प्राप्त वर्गीकरण तथा कर की प्रयुक्त प्रभावी दर आदि⁸ की सत्यता सुनिश्चित करना है। प्राथमिक संवीक्षा कर दाताओं⁹ द्वारा प्रस्तुत विवरणियों में भेजी गई सूचना से विकसिक जोखिम प्राचलों के आधार पर अभिज्ञात केवल कुछ चयनित विवरणियों को कवर करना है।

तालिका 1.11 विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने में विभाग का निष्पादन चित्रित करती है।

तालिका 1.11 सेवा कर विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा

वर्ष	विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की संख्या	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा की गई थी	विवरणियों की संख्या जहाँ विस्तृत संवीक्षा लंबित थी	लम्बन का समय वार विश्लेषण		
				छः माह से एक वर्ष के बीच	एक तथा दो वर्ष के बीच	2 वर्षों से अधिक
वि व 12	11,425	3,380	8,045	5,667	1,959	419
वि व 13	23,838	2,743	21,095	19,791	934	370
वि व 14	44,045	16,201	27,844	12,974	5,174	17,636

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े।

⁸ सेवा कर विवरणियों की नियम पुस्तक 2009, पैरा 1.2.1

⁹ सीबीईसी परिपत्र 113/7/2009-एसटी दिनांक 23 अप्रैल 2009

निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विस्तृत संवीक्षा¹⁰ में केवल दो प्रतिशत विवरणियों की जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए सम्पूर्ण वर्ष में संवीक्षा की जानेवाली विवरणियों की कुल संख्या किसी रेंज के संबंध में काफी कम होगी क्योंकि लंबित मामलों की कुल संख्या 31 मार्च 2014 को सभी रेंजों (2,272) में केवल 44,045 थी।

यह चिन्ता का कारण है कि विस्तृत संवीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियों की बड़ी संख्या (27,844) 31 मार्च 2014 को लंबित थी क्योंकि गवर्न के मामलों के अतिरिक्त निधारिती¹¹ द्वारा विवरणी फाइल करने की तारीख से 18 माह के बाद किसी निर्धारिती को मांग नोटिस जारी करने की गुंजाइश नहीं है। यह अनिवार्य है कि विभाग लम्बे लम्बन के कारणों का विश्लेषण करने के लिए कदम उठाये, ताकि सरकार को प्राप्त राजस्व की पर्याप्त रूप से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह आगे पाया गया था कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की विशाल संख्या दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित थी।

यह भी प्रतीत होता है कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए लम्बन का काल वार विश्लेषण का डाटा वि व 14 के लिए सही नहीं है।

1.15 न्याय निर्णय

न्यायनिर्णय एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभागीय अधिकारी निर्धारितियों की कर देयता से सम्बन्धित मामले निर्धारित करते हैं। ऐसी प्रक्रिया अन्य बातों के साथ सेनवेट क्रेडिट, मूल्यांकन, प्रतिदाय दावों, अनन्तिम निर्धारण आदि से सम्बन्धित पहलुओं का सोच विचार विकसित कर सकती है। न्याय निर्णय अधिकारी के एक निर्णय को निर्धारित कार्यविधियों के अनुसार अपीलीय फोरम में चुनौती दी जा सकती है।

¹⁰ सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के लिए नियम पुस्तक 2009 पैरा 4.2 क

¹¹ 28 मई 2012 से प्रभावी वित्त अधिनियम 2012 द्वारा 1 वर्ष के लिए स्थानापन्न वित्त अधिनियम की धारा 73 (1) में 18 महीने

तालिका 1.12 सेवा कर न्याय निर्णय का कालवार विश्लेषण चित्रित करता है।

तालिका 1.12 विभागीय अधिकारियों के पास न्यायनिर्णय हेतु लम्बित मामले

(₹ करोड़ में)

वर्ष	31 मार्च को लम्बित मामलें		मामलों के कालवार ब्यौरें					
	सं.	राशि	< 1 वर्ष		1-2 वर्ष		>2 वर्ष	
			सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
वि व12	17,182	68,509	12,735	51,193	3,054	15,770	1,393	1,546
वि व13	22,690	64,599	18,212	48,157	3,382	14,724	1,096	1,718
वि व14	19,925	31,790	15,512	21,868	3,625	8,856	758	1,062

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि ₹ 31,000 करोड़ से अधिक राजस्व निहितार्थ वाले निर्णय 31 मार्च 2014 को अन्तिमीकरण को लम्बित थे। यह भी पता चला है कि 758 मामले 2 वर्ष से अधिक समय से लम्बित थे।

1.16 प्रतिदाय दावों का निपटान

तालिका 1.13क विभाग द्वारा प्रतिदाय दावों के निपटान की स्थिति चिन्हित करती है। चित्रित विलम्ब दावों के संसाधन हेतु अपेक्षित सभी ब्यौरों के साथ प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति की तारीख से लिए गए समय के अनुसार है।

तालिका 1.13 (क) सेवा कर के प्रतिदाय दावों का निपटान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	वर्ष के दौरान निपटारे दावों की संख्या				ब्याज भुगतान	
		निपटान की कुल संख्या	3 माह के अन्दर और निपटानों का %	विलम्ब से निपटारे दावे		मामलों की सं.	प्रदत्त ब्याज
				< 1 वर्ष	> 1 वर्ष		
वि व 12	27,120	18,306	13,209 (72%)	1,705 (20%)	3,392 (8%)	2	0.02
वि व 13	26,672	15,897	12,328 (77%)	1,880 (12%)	1,689 (11%)	1	0.12
वि व 14	23,145	13,979	11,445 (81.87%)	1,494 (10.69%)	1,040 (7.44%)	0	0

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि लगभग 80 प्रतिशत सेवा कर सम्बन्धित प्रतिदाय दावे निपटान तीन माह¹² की निर्धारित अवधि के अन्दर किए गए हैं। इस तथ्य के बावजूद कि विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान के लिए विभाग पर देयता है, विभाग अधिकांश मामलों में निर्धारितियों को ब्याज का भुगतान नहीं कर रहा है। बोर्ड प्रत्यक्ष करों के समान अपनी ओर से विलम्बित प्रतिदायों पर ब्याज भुगतान करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी करने पर विचार करें।

तालिका 1.13 (ख) गत तीन वर्षों के दौरान निपटान के लिए लम्बित प्रतिदाय मामलों का कालवार विश्लेषण चित्रित करती है

तालिका 1.13 (ख) 31 मार्च को सेवा कर प्रतिदाय मामलों का कालवार लम्बन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आदि शेष जमा वर्ष में प्राप्त दावे	31 मार्च को लम्बित दावों की कुल सं.		से लम्बित प्रतिदाय दावे			
		संख्या	राशि	एक वर्ष से कम संख्या		1 वर्ष से अधिक	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि
वि व12	24,412	6,104	60,757	4,276	46,191	1,828	14,566
वि व13	23,803	7,906	41,874	5,824	30,018	2,082	11,856
वि व14	23,145	8,154	4,487	6,391	3,582	1,763	905

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे आंकड़े

यह पाया जाता है कि यद्यपि लम्बित प्रतिदाय दावों की कुल संख्या वि व 13 की तुलना में वि व 14 में 248 तक बढ़ गई है परन्तु अन्तर्ग्रस्त राशि ₹ 37,387 करोड़ तक प्रबल रूप से कम हो गई है जिसकी जांच की जानी आवश्यक है।

¹² केंद्रीय उत्पाद अधिनियम की धारा 11बीबी वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 83 द्वारा सेवा कर को लागू बनाई गई है।

1.17 संग्रहण की लागत

तालिका 1.14 राजस्व संग्रहण की तुलना में संग्रहण की लागत चित्रित करती है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर प्राप्तियां तथा संग्रहण की लागत

(₹ करोड़ में)

वर्ष	केन्द्रीय उत्पाद से प्राप्तियां	सेवा कर से प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां	संग्रहण की लागत	कुल प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में संग्रहण की लागत
वि व10	1,02,991	58,422	1,61,413	2,127	1.32
वि व11	1,37,901	71,016	2,08,917	2,072	0.99
वि व12	1,44,540	97,356	2,41,896	2,227	0.92
वि व13	1,75,845	1,32,601	3,08,446	2,439	0.79
वि व14	1,69,455	1,54,780	3,24,235	2,635	0.81

स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के संघ वित्त लेखे

वि व 14 के आंकड़े अनन्तिम हैं।

यह पाया जाता है कि स्वचलन तथा आईसीटी के व्यापक उपयोग के बावजूद संग्रहण की लागत का बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाना जारी है।

1.18 आन्तरिक लेखापरीक्षा

भारत में अप्रत्यक्ष कर प्रशासन का आधुनिकीकरण कनाडियाई माडल पर आधारित है। नई लेखापरीक्षा प्रणाली ईए 2000 चार भिन्न विशेषताएं: जोखिम विश्लेषण बाद वैज्ञानिक चयन, पूर्व तैयारी पर जोर, सांविधिक अभिलेखों के प्रति कारबार अभिलेखों की संवीक्षा करना और लेखापरीक्षा बिन्दुओं का मॉनीटर, रखती है।

लेखापरीक्षा कार्यविधियां प्रारम्भिक समीक्षा, प्रणाली की सूचना का एकत्रीकरण तथा दस्तावेजीकरण, आन्तरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना, राजस्व तथा प्रवृत्तियों का जोखिम विश्लेषण करना, लेखापरीक्षा योजना विकसित करना, वास्तविक लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षा निष्कर्ष तैयार करना, निर्धारिती/रेंज अधिकारी/मण्डल सहायक आयुक्त के साथ परिणामों की समीक्षा करना और प्रतिवेदन को अन्तिम करना शामिल करती है।

लेखापरीक्षा ढांचा तीन भागों से बना है। महानिदेशक लेखापरीक्षा तथा क्षेत्रीय कमिश्नरियां लेखापरीक्षा प्रशासन का उत्तरदायित्व बांटते हैं। जबकि निदेशालय लेखापरीक्षा परिणामों के संग्रहण, संकलन और विश्लेषण तथा कर अनुपालन सुधारने के लिए सीबीईसी को इसके पुनर्निवेशन और ग्राहक संतुष्टि के स्तर मापने के लिए उत्तरदायी है। वहीं कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दल ईए 2000 लेखापरीक्षा प्रोटोकाल के अनुसार लेखापरीक्षा करते हैं। लेखापरीक्षा गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से सीबीईसी ने लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, जोखिम प्रबन्धन नियम पुस्तक और ईए 2000 तथा सीएएटी में लेखापरीक्षकों को प्रशिक्षित करने की नियम पुस्तक, जो लेखापरीक्षा करने की विस्तृत कार्यविधियां निर्धारित करती है, विकसित करने में एशिया विकास बैंक की सहायता ली। तालिका 1.15 (क) लेखापरीक्षित यूनिटों की तुलना में कमिश्नरियों के लेखापरीक्षा दलों द्वारा वि व 14 के दौरान लेखापरीक्षा के लिए देय सेवा कर यूनिटों के ब्यौरे चित्रित करती है।

तालिका 1.15(क): वि व 14 के दौरान की गई निर्धारितियों की लेखापरीक्षाएं

वार्षिक कर्तव्य का स्लैब (पीएलए +सेनवैट)	आवधिकता	देय यूनिटों की संख्या	नियोजित यूनिटों की संख्या	लेखापरी क्षित यूनिटों की सं.	लेखापरी क्षा में कमी (प्रतिशत ता)
> ₹ 3 करोड़ एसटी का भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी क)	वार्षिक	4,417	2,649	2,354	46.71
₹ 1 तथा 3 करोड़ के बीच एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी ख)	द्विवार्षिक	3,726	2,779	1,823	51.07
₹ 25 लाख तथा ₹ 1 करोड़ के बीच एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी ग)	पाँच वर्ष में एक बार	5,322	4,389	2,704	49.19
< ₹ 25 लाख एसटी भुगतान करने वाली यूनिटें (श्रेणी घ)	2 % प्रतिवर्ष	15,808	10,776	8,031	49.20

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि वि व 14 के दौरान यूनिटों की सभी श्रेणियों में देय लेखापरीक्षाओं की तुलना में की गई सेवा कर लेखापरीक्षाओं में भारी कमी थी। विभाग द्वारा की गई लेखापरीक्षा के परिणाम तालिका 1.15 (ख) में तालिकाबद्ध हैं।

तालिका 1.15(ख): वर्ष के दौरान जारी शून्य निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या

वर्ष	वर्ष के दौरान जारी लेखापरीक्षा पैराग्राफों की संख्या					
	अनिवार्य यूनिटें(श्रेणी क)			गैर अनिवार्य यूनिटें (श्रेणी ख,ग,घ)		
	जारी कुल आई आर	जारी शून्य आई आर	शून्य आई आर का %	जारी कुल आई आर	जारी शून्य आई आर	शून्य आई आर का प्रतिशत
2011-12	1,411	179	12.69	9,419	1,478	15.69
2012-13	1,552	108	6.96	11,226	1,344	11.97
2013-14	1,871	110	5.88	11,171	1,341	12.00

स्रोत: मंत्रालय द्वारा भेजे गए आंकड़े

यह पाया जाता है कि श्रेणी क यूनिटों में शून्य निरीक्षण रिपोर्टों की संख्या गैर अनिवार्य यूनिटों की अपेक्षा महत्वपूर्ण रूप से निम्नतर हैं। मंत्रालय को सभी श्रेणी क (अनिवार्य) यूनिटों की आन्तरिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

1.19 लेखापरीक्षा प्रयास तथा सेवा कर लेखापरीक्षा उत्पाद- अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट

निष्पादन लेखापरीक्षा का लेखापरीक्षण मानक द्वितीय संस्करण 2002 के व्यावसायिक लेखापरीक्षण मानकों को नियोजित कर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबन्धन ढांचा 2009 के अनुसार प्रबन्ध किया गया था।

1.20 सूचना के स्रोत तथा परामर्श की प्रक्रिया

डीओआर, सीबीईसी और उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में मूल अभिलेखों /दस्तावेजों की जांच के साथ संघ वित्त लेखा से डाटा/अन्य पणधारी रिपोर्टों के साथ सीबीईसी के एमआईएस, एमटीआर उपयोग किए गए थे। हमारे महानिदेशक

(डीजी)/प्रधान निदेशकों (पीडी) लेखापरीक्षा की अध्यक्षता में नौ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिन्होंने वि व 14 में 1086 यूनिटों (के.उ.शु. एवं सेवा कर) की लेखापरीक्षा का प्रबन्ध किया।

1.21 प्रतिवेदन विहंगावलोकन

वर्तमान प्रतिवेदन में ₹ 772.08 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 178 पैराग्राफ हैं। आपत्तियों के सामान्यतया तीन प्रकार: सेवा कर की गैर अदायगी, सेवा कर का कम भुगतान, सेनवैट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना तथा उपयोग आदि थे। विभाग/ मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी करने, कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के रूप में ₹ 477.22 करोड़ के धन मूल्य वाले 171 पैराग्राफों के मामले में पहले ही सुधार कार्रवाई कर ली है और ₹ 130.29 करोड़ की वसूली सूचित की है।

1.22 लोक लेखा समिति (पीएसी)

पीएसी ने विस्तृत जांच के लिए बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं पर सेवा कर पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2012-13 की प्रतिवेदन सं. 15) को हाथ में लिया है।

1.23 निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

एक आश्वासन कि प्रणालियां तथा प्रक्रियाएं पर्याप्त थीं और सीबीईसी द्वारा उनका पालन किया गया था, प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ निष्पादन लेखापरीक्षा की गई थी। इस वर्ष हमने केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर में अभियोजन तथा शास्तियों के प्रशासन पर निष्पादन लेखापरीक्षा शामिल की है। यह प्रतिवेदन 28 नवम्बर 2014 को संसद में प्रस्तुत किया गया था।

1.24 सीएजी की लेखापरीक्षा को प्रतिक्रिया, राजस्व प्रभाव/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

गत पाँच लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वर्तमान वर्ष के प्रतिवेदन सहित) में हमने ₹ 1904.98 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 874 पैराग्राफ (तालिका 1.16) शामिल किए थे।

तालिका 1.16: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई

(₹ करोड़ में)

वर्ष		वि व10	वि व11	वि व12	वि व13	वि व14	जोड़	
शामिल पैराग्राफ	संख्या	194	199	152	151	178	874	
	राशि	162.18	204.74	500.23	265.75	772.08	1,904.98	
स्वीकृत पैराग्राफ	मुद्रण पूर्व	संख्या	175	184	150	147	171	827
		राशि	121.31	185.69	498.65	262.29	477.22	1,545.16
	मुद्रण बाद	संख्या	9	11	1	6	--	27
		राशि	2.6	17.79	0.52	1.81	--	22.72
	जोड़	संख्या	184	195	151	153	171	854
		राशि	123.91	203.48	499.17	264.10	477.22	1,567.88
की गई वसूली	मुद्रण पूर्व	संख्या	112	122	88	95	92	509
		राशि	33.05	78.76	84.58	65.28	130.29	391.96
	मुद्रण बाद	संख्या	9	9	4	6	--	28
		राशि	2.6	2.24	0.85	1.81	--	7.5
	जोड़	संख्या	121	131	92	101	92	537
		राशि	35.65	81.00	85.43	67.09	130.29	399.46

स्रोत : सीएजी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

यह पाया जाता है कि मंत्रालय ने ₹ 1567.88 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 854 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 399.46 करोड़ की वसूली कर ली थी।

अध्याय II

बीमा क्षेत्र में सेवा कर देयता

2.1 प्रस्तावना

सामान्य बीमा सेवा 1994 में सेवा कर जाल के अधीन पहले शामिल तीन सेवाओं में से एक थी। जीवन बीमा सेवाएं और बीमा सहायक सेवाएं भी बाद में करयोग्य सेवाओं की सूची में शामिल की गई थी। अन्य सेवाओं जैसे बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय सेवाओं, दूरसंचार सेवाओं, तथा कारबार सहायक सेवाओं के साथ बीमा सेवाएं गत दो दशकों के दौरान प्रमुख राजस्व अंशदाता क्षेत्र बना हुआ है। बीमा क्षेत्र सम्बन्धित सेवाओं जैसे सामान्य बीमा सेवा, जीवन बीमा सेवा, बीमा सहायक सेवाएं तथा यूनिट लिंक्ड बीमा योजना के अधीन निवेश का प्रबन्धन से सेवा कर राजस्व 2012-13 के वित्त लेखा के अनुसार ₹ 11,034 करोड़ (कुल सेवा कर राजस्व का 8.32 प्रतिशत) था।

2.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने कि बीमा क्षेत्र से भारत सरकार को देय सेवा कर वास्तव में सरकार को पहुंच रहा था, के लिए स्थापित तंत्र की पर्याप्तता की जांच की। निम्न निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा की गई थी।

- i. बीमा क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्र/निर्देश/व्यापार नोटिस आदि की पर्याप्तता;
- ii. क्या कानून के वर्तमान प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;
- iii. क्या सेवा कर उदग्रहण के लिए कर जाल में संभावित सेवा प्रदायकों को लाने और पहचान करने के लिए पर्याप्त तंत्र था, और
- iv. क्या प्रभावी मॉनीटरिंग और आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

2.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

जबकि लेखापरीक्षा जांच का क्षेत्र सामान्यतया 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि तक सीमित था परन्तु अन्तर्ग्रस्त मामलों के आधार पर कुछ विशेष दृष्टान्तों में हम इस अवधि से आगे भी गए थे। हमने बीमा दलालों, सलाहकारों, सर्वेक्षकों, निगम एजेंटों, व्यक्तिगत एजेंटों आदि सहित 31 बीमा मध्यस्थों के सुसंगत अभिलेखों के अतिरिक्त मुम्बई, दिल्ली तथा चेन्नई में 39 पंजीकृत बीमाकर्ताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की। सम्बन्धित चयनित कमिश्नरियों में विभागीय यूनिटों में चयनित अभिलेखों/विवरणियों की भी जांच की गई थी।

2.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

सात कमिश्नरियों¹³ में निर्धारित अभिलेखों की संवीक्षा में ₹ 352.55 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ अनुपालन सम्बन्धित तथा अन्य मामलों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 80.87 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की (नवम्बर 2014) और ₹ 12.71 करोड़ की वसूली की। प्रमुख निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

2.5 प्रणाली मामले

2.5.1 पंजीकरण

सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 69 प्रावधान करती है कि सेवा कर अदायगी को दायी प्रत्येक व्यक्ति उस तारीख जिसको उपर्युक्त अधिनियम की 66 के अंतर्गत सेवा कर उदग्रहीत किया जाता है अथवा कर योग्य सेवा देने का कारबार आरंभ करने की तारीख से, यदि ऐसा कारबार वित्त अधिनियम के अंतर्गत उदग्रहण लागू करने के बाद आरंभ किया जाता है, से 30 दिनों की अवधि के अंदर पंजीकरण हेतु आवेदन करेगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर (एसीईएस)के स्वचलन की प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण अथवा पंजीकरण में संशोधनों हेतु आवेदन ऑनलाइन किए जाने हैं और पंजीकरण संख्या भी

¹³ दिल्ली सेवा कर कमिश्नरी, एलटीयू कमिश्नरी दिल्ली, मुम्बई तथा चेन्नई, सेवा कर । तथा ॥ मुम्बई कमिश्नरियां तथा पुणे ॥। कमिश्नरी

ऑनलाइन दी जाती है। बोर्ड के परिपत्र दिनांक 17 सितम्बर 2002 के अनुसार निर्धारिती को आवंटित सभी अस्थाई पंजीकरण संख्याएं पैन आधारित पंजीकरण संख्या में परिवर्तित की जाएंगी।

हमने इस संबंध में निम्नलिखित अनियमितताओं का अवलोकन किया:

i) अस्थाई पंजीकरण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में परिवर्तित न करना

अस्थाई पंजीकरण संख्याएं उन पंजीयनों को दिया जाता है जिनके पास आयकर विभाग द्वारा जारी पैन संख्या नहीं होती है। एक बार पैन प्राप्त किए जाने के बाद सेवा कर निर्धारिती को पैन आधारित 15 अंक सेवा कर पंजीकरण संख्या प्राप्त करनी चाहिए। लेखापरीक्षा में देखा गया कि अस्थाई पंजीकरण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिए कोई समय सीमा विद्यमान नहीं है।

सेवा कर कमिश्नरी, दिल्ली की तीन रेजों में एसीईएस के माध्यम से नमूना जांच में पता चला कि निम्नलिखित निर्धारितियों के मामले में निर्धारितियों को जारी अस्थाई पंजीकरण संख्याएं पैन आधारित पंजीकरण संख्या (लेखापरीक्षा की तारीख तक) में परिवर्तित नहीं किया गया था। तथापि अस्थाई पंजीकरण जारी करने की तारीख के अभाव में अस्थाई पंजीकरण की स्थिति की निरन्तरता की वास्तविक अवधि की पहचान नहीं की जा सकी।

तालिका 2.1: एसटी पंजीकरणों की स्थिति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	अस्थाई एसटी पंजीकरण सं.
1.	जैन इंश्योरेंस इण्टरमीडिएटरीज प्रा.लि.	TMPRL9067OST001
2.	एमस्टन इंश्योरेंस कापो.	TMPRL8326DST001
3.	एसएल इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लि.	TMPAQ7573OST001
4.	जीआई इंश्योरेंस सर्विसेज लिमि.	TMPRL8431OST001
5.	इंश्योरेंस इंजीनियर कापो.	TMPRL8323RST001
6.	4एस इंश्योरेंस	TMPRM3528LST001
7.	कुमरा इंश्योरेंस एण्ड फाइनेंसियल सोल्यूशन	TMPAM7155EST001

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी अस्थाई पंजीकरण संख्याओं को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में परिवर्तित करने के प्रयास जारी थे।

उत्तर पंजीकरणों की स्थिति की समीक्षा के प्रभावी तंत्र का अभाव दर्शाता है। अस्थाई पंजीकरण संख्या में पैन संख्या के अभाव में विभाग निर्धारिती के आयकर अभिलेखों के साथ जोड़ने में समर्थ नहीं होगा।

ii) एसीईएस में अस्थाई तथा स्थाई पंजीकरण दोनों सक्रिय

अस्थाई को स्थाई संख्या में बदलने के बाद अस्थाई पंजीकरण संख्या एसीईएस से स्वतः निकाल दी जानी चाहिए। इस प्रकार किसी निर्धारिती के पास अस्थाई पंजीकरण तथा पैन आधारित स्थाई पंजीकरण संख्या दोनों एक समय पर बने नहीं रह सकते हैं।

सेवा कर कमिश्नरी दिल्ली की तीन रेंजों में बीमा सम्बन्धित सेवा प्रदाताओं की नमूना जांच में पता चला कि लगभग तीन मामलों में निर्धारितियों को स्थाई पंजीकरण संख्या जारी होने के बाद एसीईएस पर अस्थाई पंजीकरण भी दर्शाया गया था।

तालिका 2.2 निर्धारितियों के पंजीकरण की स्थिति

क्र. सं.	निर्धारिती का नाम	अस्थाई एसटी पंजी.सं.	स्थाई एसटी पंजी.सं.
1.	एजिल इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइ.लिमि.	TMPAQ7265NST001	AAECA1449GST001
2.	इम्पीरियल इंश्योरेंस ब्रोकर्स (प्रा.) लिमि.	TMPRL9075JST001	AABCI0144FST001
3.	केन इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमि.	TMPAH5028YST001	AABCV0952EST001

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (नवम्बर 2014) कि एसीईएस में अस्थाई पंजीकरण के स्वतः विलोपन का कोई प्रावधान नहीं है। अस्थाई पंजीकरण जारी करना बन्द करने और तीन माह में वर्तमान अस्थाई पंजीकरण को पैन आधारित स्थाई पंजीकरण में बदलने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का मत है कि जहाँ तक संभव हो पैन आधारित स्थाई पंजीकरण संख्या आवंटित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।

iii) एक ही निर्धारिती को एक से अधिक पंजीकरण संख्या जारी की गई

चयनित रेंजों से प्राप्त पंजीकृत निर्धारितियों की सूची की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि सेवा कर कमिश्नरी दिल्ली में एक बीमा सहायक सेवा प्रदाता मै. रिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राई. लिमि.को जारी किए गए पैन आधारित पंजीकरण संख्या AAACP6072AST002 के अतिरिक्त भिन्न पैन संख्या अर्थात AAACH2654JST001 के साथ एक अन्य पंजीकरण संख्या भी थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती को दोहरे पंजीकरण को स्पष्ट करने के लिए कहा गया था जिसने सूचित किया कि वर्तमान में केवल एक पंजीकरण सक्रिय था और इसका पैन किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि एक ही निर्धारिती को दोहरा पंजीकरण प्रणाली त्रुटि थी और मामले की समीक्षा की जा रही थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रत्येक निर्धारिती के लिए अनन्य पैन आधारित पंजीकरण संख्या सुनिश्चित करने के लिए एसीईएस में एक तंत्र की आवश्यकता है।

2.5.2 पुनर्बीमा सेवाओं पर सेवा कर भुगतान न करना/विलम्बित भुगतान

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 2 के अनुसार कराधान का बिन्दु का अर्थ समय के बिन्दु से है जब कोई सेवा दी गई मानी जाएगी। कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3 विचार करता है कि किसी मामले में जहाँ सेवा प्रदाता व्यक्ति बीजक जारी करने/सेवा के समापन से पूर्व जैसा भी मामला हो, भुगतान प्राप्त करता है वहाँ समय जब वह ऐसे भुगतान की सीमा तक ऐसा भुगतान प्राप्त करता है, कराधान का बिन्दु होगा। नियम की व्याख्या भी प्रावधान करती है कि जहाँ कहीं कुछ भी ज्ञात नाम द्वारा कोई अग्रिम करयोग्य सेवा के प्रावधान के प्रति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है वहाँ कराधान का बिन्दु प्रत्येक ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की तारीख होगा।

सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी में भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) सामान्य पुनर्बीमा सेवाएं देने वाला राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता होने पर अनिवार्य अर्पण¹⁴ के पुनर्बीमा के रूप में स्वीकार करने के लिए घरेलू गैर जीवन बीमाकर्ता के साथ ठेकागत रूप से बाध्य था। अनिवार्य अर्पण पर पुनर्बीमा अनुबन्ध के अनुसार पुनर्बीमाकर्ता (जीआईसी आरई) की देयता अनिवार्य रूप से और साथ ही उस बीमाकर्ता कम्पनी के साथ आरंभ होगी जिसका अर्थ सेवा की लगातार आपूर्ति के रूप में सेवा दी जानी मानी जाती है जब मूल पॉलिसी जारी की जाती है। इस पुनर्बीमा सेवा को देने के लिए बीमाकर्ता कम्पनी प्रतिफल के रूप में प्रीमियम अदा करती है जो तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर केवल लेखाओं के विवरण (एसओए) के रूप में जीआईसी आरई को परामर्श दिए जाने के कारण है। इसलिए जीआईसी आरई की लेखा बहियां प्रत्येक तिमाही के अंत के 45 दिन बाद भी खुली रखी जाती हैं और बीमाकर्ता कम्पनियों द्वारा यथा विवेचित वास्तविक आंकड़े उसके बाद दर्ज किए जाते हैं। इस प्रकार पूर्व में जारी पॉलिसियों पर जीआईसी द्वारा काल्पित पुनर्बीमा जोखिम के लिए दी गई सेवाएं होने पर घरेलू बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा प्रीमियम की प्राप्ति (दी गई सेवाओं के लिए भुगतान की तारीख) और लेखाओं का विवरण तिमाही की समाप्ति से 45 से 60 दिनों तक के बीच केवल आवधिक आधार पर था। उपचित आधार पर देयता अप्रैल 2011 से लागू हुई।

अप्रैल 2012 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए दाखिल एसटी 3 से हमने पाया कि जीआईसी आरई ने ₹ 221.11 करोड़ मूल्य पर पुनर्बीमा सेवाओं के अंतर्गत कर योग्य सेवाएं प्रदर्शित की थीं। वित्त वर्ष 2011-12 में सामान्य बीमा कम्पनियों द्वारा जारी ऐसी पॉलिसियों पर प्रीमियम राशि से सम्बन्धित और जीआईसी को अनिवार्य रूप से सततान्तरित राशि जो पूर्व में बताए कारणों से वित्त वर्ष 2012-13 में बुक की गई थी। चूंकि राशि वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित थी और कर 2012-13 में अदा किया गया था, परिणामस्वरूप

¹⁴ अनिवार्य अर्पण का अर्थ है कि प्रत्येक गैर जीवन बीमाकर्ता मूल बीमाकर्ता को गैर जीवन बीमाकर्ता द्वारा जारी प्रत्येक पॉलिसी (जैसा आईआरडीए द्वारा निर्दिष्ट किया जाए) पर सुनिश्चित राशि के ऐसे प्रतिशत पर भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा करेगा।

सेवा कर का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 58.98 लाख का ब्याज देय था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (नवम्बर 2014) कि जीआईसी ने बिलम्बित भुगतान के कारण ब्याज के रूप में ₹ 58.98 लाख का भुगतान कर दिया था।

2.5.3 प्रावधान के संशोधन में अस्पष्टता के कारण सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों की गैर कर योग्यता

तत्कालीन वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ)के अंतर्गत परिभाषित की गई निवेश के प्रबन्धन (सामान्य रूप से यूलिप योजना के रूप में ज्ञात) के संबंध में जीवन बीमा कारबार कर रहे किसी बीमाकर्ता द्वारा किसी पॉलिसी धारक को दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा 16 मई 2008 से कर योग्य बनाई गई थी। कर योग्य सेवा का मूल्य अथवा प्रभारित सकल राशि पॉलिसी धारक द्वारा अदा किया गया कुल प्रीमियम और जोखिम कवर को आरोप्य प्रीमियम की राशि तथा वास्तविक निवेश के लिए अलग की गई राशि के बीच अन्तर था। इस प्रकार कर योग्य मूल्य अन्य के साथ प्रीमियम आबंटन, पॉलिसी प्रशासन, बदलने, अभ्यर्पण प्रभारों आदि के कारण उदग्रहीत प्रभारों के भी सहित था। निर्धारित तदनुसार इन मदों पर भी कर का भुगतान कर रहे थे।

मूल्यांकन की यह विधि यह प्रावधान करने कि प्रभारित सकल राशि निधि प्रबन्धन प्रभारों अथवा बीमाकर्ता द्वारा प्रभारित राशि, जो भी अधिक हो, के रूप में बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा निर्धारित अधिकतम राशि होगी जिसे 1 जुलाई 2010 से उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) द्वारा आशोधित किया गया था। इसका प्रभाव यह था कि बीमा कंपनियों ने अन्य घटकों जैसे पॉलिसी प्रशासन प्रभार, बदलने, अभ्यर्पण प्रभार, प्रीमियम आबंटन प्रभारों आदि को आगे करयोग्य मूल्य में शामिल नहीं किया (जुलाई 1, 2010 से)।

तथापि, हमने पाया कि बजट 2010-11 में सेवा कर कानून में प्रस्तावित परिवर्तनों को स्पष्ट करने के दौरान वित्त मंत्रालय ने विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को अ.शा.पत्र सं. 334/1/2010/टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 के अनुबन्ध ख के पैरा 3.4 के तहत अन्य बातों के साथ सूचित किया था कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत कर को प्रभार्य थे। तथापि यूलिप संदर्भ में "प्रभारित सकल राशि" की नई परिभाषा का लाभ लेते समय निर्धारितियों ने इस तथ्य का संज्ञान नहीं लिया कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत कर को प्रभार्य थे, इस प्रकार ऊपर उल्लिखित अ.शा. पत्र के बावजूद दोनों कर योग्य सेवाओं यथा यूलिप तथा जीवन बीमा सेवाओं के अंतर्गत यह अपूरित रहा। निर्धारितियों द्वारा लिया गया आधार यह था कि जीवन बीमा कारोबार से सम्बन्धित उपर्युक्त धारा 65 (105) (जैडएक्स) के अंतर्गत कर योग्य सेवा की परिभाषा स्वयं सांविधिक प्रावधान में 1 मई 2011 से प्रभावी संशोधन नहीं किया गया, तक जीवन बीमा में जोखिम कवर के सम्बन्ध में केवल दी गई सेवाओं को शामिल किया गया। जीवन बीमा सेवा का क्षेत्र जोखिम तथा निवेश प्रबन्धन दोनों घटकों को शामिल करने के लिए 1 मई 2011 से बढ़ाया गया था। इस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम की धाराओं 65(105) (जैडएक्स), 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) और टीआरयू के अ.शा.पत्र दिनांक 26 फरवरी 2010 के बीच असमानता के परिणामस्वरूप 1 जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के दौरान राजस्व की हानि हुई। चूंकि जुलाई 2010 से प्रभावी धारा 65 (105) (जैडजैडजैडजैडएफ) के संशोधन ने धारा 65(105) (जैडएक्स) में कवरेज के क्षेत्र से समकालिक नहीं किया था इसलिए कुछ घटक सेवा के दोनों शीर्ष के अंतर्गत उदग्रहण से बाहर कर दिए गए परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

(i) लेखापरीक्षा में निम्न तालिका में दिए अनुसार दिल्ली तथा मुम्बई कमिश्नरियों के 5 बीमाकर्ताओं के अभिलेखों से पाया गया कि 2010-11 की अवधि के दौरान निर्धारितियों ने अधिनियम की धारा 65(105) (जैडजैडजैडजैडएफ) के अंतर्गत यूलिप की कर योग्य सेवाओं की संशोधित परिभाषा के कारण पॉलिसी प्रशासन प्रभारों, आवंटन प्रभारों, फ्रान्ट एण्ड लोड प्रभारों, विविध प्रभारों, आरम्भिक फीस, पॉलिसी फीस तथा परिवर्तन फीस के

प्रति संग्रहीत राशि को यूलिप के अंतर्गत सेवाओं के मूल्य से निकाल दिया था। इन प्रभारों पर सेवा कर देयता जुलाई 2010 से अप्रैल 2011 तक की अवधि के दौरान अपूरित रही।

तालिका 2.3: कर योग्य सेवाओं के मूल्य से निकाली गई राशियां

क्र. सं.	बीमाकर्ता कम्पनी का नाम	कमिश्नरी	प्रभारों की राशि	(₹ करोड़ में)	
				सेवा कर	
1.	में. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. दिल्ली	एलटीयू दिल्ली	कमिश्नरी	520.43	77.67
2.	में. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इण्डिया लि.	एसटी दिल्ली	कमिश्नरी	210.21	31.69
3.	में. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि.	एसटी दिल्ली	कमिश्नरी	125.69	18.76
4.	में. डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लिमिटेड	एसटी दिल्ली	कमिश्नरी	18.08	2.70
5.	में. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं.लि.	एसटी-मुम्बई	कमिश्नरी	0.97	0.10
जोड़				875.38	130.92

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014), मंत्रालय ने में. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में बताया (नवम्बर 2014) कि विषय नीति मामला होने के कारण उच्च कार्यालयों से स्पष्टीकरण मांगा जा रहा था। में. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के संबंध में निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था जो न्याय निर्णय को लम्बित था। में. केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. तथा में. डीएलएफ प्रमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लि. के सम्बन्ध में मामला महानिदेशक (लेखापरीक्षा) द्वारा जांच के अधीन था। जबकि में. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. के मामले में मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की कि जैसा बोर्ड के पत्र फा. सं. 334/1/2010-टीआरयू दिनांक 26 फरवरी 2010 द्वारा स्पष्ट किया केवल निधि प्रबन्धन प्रभार सेवा कर को प्रभार्य था। इस प्रकार मंत्रालय ने समान मामलों में भिन्न विचार लिए।

मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 1 जुलाई 2010 से पूर्व सभी प्रकार के प्रशासन प्रभार कर योग्य थे और यूलिप के संबंध में बोर्ड के परिपत्र का पैरा 3.4 (ख) भी बताता है कि पॉलिसी प्रशासन प्रभार बीमा सेवा के अंतर्गत सेवा कर को प्रभार्य थे। लेखापरीक्षा का मत है कि परिपत्र में अस्पष्टता के परिणामस्वरूप सूचित मामलों में ₹ 130.92 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(ii) इसी प्रकार तीन निर्धारितियों, जैसा नीचे ब्यौरा दिया गया, के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि बोर्ड के परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 में अस्पष्टता के कारण 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान अभ्यर्पण प्रभारों पर सेवा कर अदा नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 121.48 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

तालिका 2.4 अभ्यर्पण प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

(₹ लाख में)

कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	अभ्यर्पण प्रभारों की राशि	सेवा कर	ब्याज*	कुल राशि
दिल्ली एलटीयू	में. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. दिल्ली	26,205.57	2,728.28	1,082.92	3,811.20
दिल्ली एसटी	में. डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कं. प्रा. लिमिटेड	127.44	12.40	2.76	15.16
दिल्ली एसटी	में. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं. इण्डिया लिमिटेड	57,936.45	6,055.92	2,266.36	8,322.28
जोड़		84,269.46	8,796.60	3,352.04	12,148.64

*ब्याज लेखापरीक्षा की तारीख (सितम्बर/अक्टूबर 2013) तक क्रमशः 2010-11 से 2012-13 तक से सम्बन्धित 31 महीनों से 6 महीने की बीच की अवधि के विलम्ब के लिए 18 प्रतिशत की दर पर संगणित है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्टूबर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि में. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कं. लि. का मामला पहले ही डीजीसीईआई द्वारा जांच के अधीन था और ₹ 62.82 करोड़ के लिए निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था। मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीजीसीईआई द्वारा जारी एससीएन लेखापरीक्षा द्वारा उल्लिखित आपत्ति को कवर नहीं करता है। में. डीएलएफ प्रेमेरिका का मामला डीजी (लेखापरीक्षा)

द्वारा जांच के अधीन था और मैं. अवीवा लाइफ को जारी एससीएन न्यायनिर्णय को लम्बित था।

2.5.4 प्रतिभूतियों में व्यापार के कारण सेनवेट क्रेडिट का आनुपातिक उलटाव

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 (1 जुलाई 2012 से पूर्व विद्यमान) के नियम 2(ड) की व्याख्या के अनुसार मुक्त सेवाओं में "व्यापार" शामिल होता है। इसके अलावा सेनवेट क्रेडिट नियम 2004 (1 जुलाई 2012 से प्रभावी) के संशोधित नियम 2(ड) 2 के अनुसार 'मुक्त सेवा' का अर्थ उसे सेवा से है जिस पर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 ख के अंतर्गत कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66घ सेवाएं निर्दिष्ट करती है जिन पर कोई सेवा कर उदग्राह्य नहीं है और "माल का व्यापार" शामिल होता है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65 ख(25) निर्दिष्ट करती है कि माल में प्रतिभूतियां शामिल होती हैं। इसलिए प्रतिभूतियों का व्यापार एक मुक्त सेवा है।

हमने सेवा कर ॥ मुम्बई कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में. स्टार यूनिन दाई -इची लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी की लेखापरीक्षा के दौरान पाया कि निर्धारिती सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3ए) के अंतर्गत आनुपातिक उलटाव हेतु मुक्त सेवा के रूप में प्रतिभूतियों में व्यापार मान रहा था जो पहलू विभाग को पहले ही सूचित किया गया था। तथापि सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी के क्षेत्राधिकार के अन्दर अन्य बीमा कम्पनियों के अभिलेखों की हमारी विस्तृत लेखापरीक्षा जांच के दौरान हमने पाया कि किसी भी कम्पनी ने इस कारण आनुपातिक उलटाव का प्रभाव देने के उद्देश्य से कोई ऐसी गणना प्रकट नहीं की थी। निर्धारिती ने तर्क दिया कि 'निवेश' उनके कोर कार्यकलापों में से एक है और कि उनके द्वारा किया गया व्यापार कोई लाभ कमाने के किसी इरादे के साथ नहीं हैं परन्तु केवल अपनी दैनिक कारबार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। तथापि सेनवेट क्रेडिट के वर्तमान प्रावधान विशेष रूप से ऐसे उलटाव की अपेक्षा करते हैं यदि बीमा कम्पनियों द्वारा प्रतिभूतियों में कोई व्यापार कार्यकलाप हुआ है। यह तथ्य कि कम से कम एक निर्धारिती व्यापार कार्यकलापों के संबंध में लिए गए सेनवेट क्रेडिट का उलटाव कर रहा है, मामले की जांच करने और स्पष्टीकरण देने की विभाग की आवश्यकता को दर्शाता है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति (नवम्बर 2014) स्वीकार नहीं की कि इनडाउमेंट पॉलिसियों में तथा प्रीमियम के निवेश में बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई सेवाएं सेवा कर के अध्यधीन हैं। यूलिप अथवा इनडाउमेंट पॉलिसी के संबंध में पॉलिसी धारक की निधि का निवेश करने का कार्यकलाप न तो किसी अधिसूचना द्वारा मुक्त किया जाता है और न ही गैर कर योग्य है। इसलिए बीमा कम्पनियों द्वारा दी गई सेवाएं 'मुक्त सेवाओं' की परिभाषा में नहीं आती हैं इसलिए नियम 6(3) के प्रावधान वर्तमान मामले में लागू नहीं होंगे। यह आगे बताया गया कि बीमा कम्पनी द्वारा दी गई सेवा की कर योग्यता मिश्रित तथा समूहित होने पर इस मानदण्ड पर निर्धारित की जाती है कि एकल सेवा (मिश्रित सेवाओं का भाग बनने वाली सभी सेवाओं में से) जो सेवा देती है, उसकी अनिवार्य विशेषता मुख्य कर योग्य सेवा के रूप में मानी जाएगी। निवेश करने का कार्यकलाप केवल एक सहायक कार्यकलाप है जबकि अनिवार्य विशेषता पॉलिसी धारक जीवन के जोखिम के कवरेज द्वारा दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रतिभूतियों में व्यापार वित्त अधिनियम की धारा 66डी के अंतर्गत नकारात्मक सूची में कवर होता है और सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के उपनियम 2 (ई) (ii) के अंतर्गत छूट प्राप्त सेवा की संशोधित परिभाषा के अनुसार सभी सेवाएं जिन पर अधिनियम की धारा 66बी के अंतर्गत कोई कर उद्ग्राह्य नहीं है वहाँ छूट प्राप्त है। इसलिए नियम 6(3) वर्तमान मामलों में लागू है और प्रतिभूतियों में मूल्य के लिए आनुपातिक क्रेडिट का उलटाव किया जाना है।

तथापि लेखापरीक्षा सिफारिश (जून 2014) कि सीबीईसी बीमा सेवा प्रदाताओं द्वारा किए गए निवेश कार्यकलापों के भाग के रूप में व्यापार के संबंध में सही संसाधन पर स्पष्टीकरण जारी करने पर विचार करे, पर मंत्रालय ने यह कहते हुए मामला स्वीकार कर लिया (नवम्बर 2014) कि प्रतिभूति का व्यापार मुक्त सेवा है और सेनवेट क्रेडिट उलटा जाना अपेक्षित है जो उपर्युक्त पैरा के उत्तर में व्यक्त विचारों के विपरीत है। लेखापरीक्षा दोहराता है कि मंत्रालय विभागीय अधिकारियों द्वारा संगति सुनिश्चित करने के लिए स्पष्टीकरण जारी करे और सेनवेट क्रेडिट का उलटाव लागू प्रावधानों के अनुसार सभी सेवा प्रदाताओं से सुनिश्चित किया जाए।

2.5.5 समीक्षा में उल्लेख न किए गए अनन्तिम निर्धारण का गलत अन्तिमीकरण

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(55) (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) 'बीमा सहायक सेवा' को सामान्य बीमा कारबार अथवा जीवन बीमा कारबार के संबंध में किसी बीमांकिक एक मध्यस्थ अथवा बीमा मध्यस्थ अथवा बीमा एजेंट द्वारा दी गई सेवा के रूप में परिभाषित करती है और जोखिम निर्धारण, दावा निपटान, सर्वेक्षण तथा हानि निर्धारण शामिल करती है।

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(4) अनन्तिम रूप से सेवा कर भुगतान करने के विकल्प का प्रावधान करता है जहाँ एक निर्धारिती किसी कारण से जमा की तारीख को किसी माह अथवा तिमाही, जैसा भी मामला हो, के लिए देय वास्तविक राशि का सही प्रकार अनुमान करने में असमर्थ है। अनन्तिम निर्धारण के आदेश केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 के नियम 7(3) के अंतर्गत पारित किए जाएंगे।

एलटीयू कमिशनरी चेन्नई में मी. यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. ने 2008-09 से 2010-11 वित्तीय वर्षों के लिए अनन्तिम निर्धारण का विकल्प दिया था क्योंकि 1430 शाखाओं से समय पर उनको डाटा न पहुंचने के कारण देय तारीखों से पूर्व वे अपनी कर देयता अनन्तिम नहीं कर सके। हमने पाया कि अनन्तिम आधार पर बीमा सहायक सेवा के अंतर्गत एजेंसी कमीशन पर प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा कर का क्रेडिट प्रत्येक माह इनपुट सेवा क्रेडिट के रूप में लिया गया था। तथापि कथित अनन्तिम निर्धारणों के अन्तिमीकरण के दौरान यह तथ्य ध्यान में नहीं रखा गया था। तदनुसार मूल आदेश में बताया गया कि एजेंसी कमीशन से सम्बन्धित अधिक प्रदत्त सेवा कर तथा उपकर राशियों का बाद के महीनों में निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जाए। निर्धारिती ने क्रमशः अप्रैल 2009, अप्रैल 2010 तथा अप्रैल 2011 के महीनों के दौरान आरूटपुट सेवा कर के प्रति समायोजन हेतु उसका उपयोग किया। चूंकि अनन्तिम रूप से प्रदत्त सम्पूर्ण सेवा कर/उपकर प्रत्येक माह क्रेडिट के रूप में लिया गया था इसलिए अधिक प्रदत्त सेवा कर के प्रतिदाय का प्रश्न नहीं उठता है। इसके परिणामस्वरूप ₹ 10.31 करोड़ के प्रतिदाय की गलत मंजूरी हुई। उचित ब्याज भी वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2012) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि सेवा प्रदाता को दावित तथा अभ्यर्पित अधिक राशि की मांग ब्याज तथा बराबर शास्ति के साथ पुष्ट थी।

तथ्य यह शेष रहता है कि मूल आदेश दिनांक 26 मई 2011 तथा 30 मई 2012 की समीक्षा की गई थी और आयुक्त द्वारा स्वीकार किए गए थे। दो लगातार वर्षों में भी समीक्षा में त्रुटि ध्यान में नहीं आई थी, कमिश्नरी में उचित प्रणालियों की कमजोरियों का संकेत है।

सिफारिश सं. 1

विभाग उच्च मूल्य अनन्तिम निर्धारण मामलों के अन्तिमीकरण हेतु जांच सूची लागू करने पर विचार करें।

मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि सुझाव को नोट कर लिया गया है।

2.6 अनुपालन मामले

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के सम्बन्ध में स्वनिर्धारण आरम्भ किया। स्वनिर्धारण के आरम्भ के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा, आन्तरिक लेखापरीक्षा और अपवंचन रोधी/निवारक शाखा के माध्यम से सख्त अनुपालन सत्यापन तंत्र का भी प्रावधान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त के बावजूद निर्धारिती अभिलेखों की जांच के दौरान हमने कुछ मामले देखे जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तंत्र को सुदृढ करने की आवश्यकता का संकेत करते हैं।

2.6.1 सेवाओं के आयात के लिए प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 2(1) (घ) (IV) अनुबद्ध करता है कि कोई व्यक्ति जो अनिवासी है अथवा भारत से बाहर का है और भारत में उसका कार्यालय नहीं है, द्वारा दी गई कर योग्य सेवा के संबंध में भारत में कर योग्य सेवा प्राप्त करने वाला व्यक्ति प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अंतर्गत सेवा कर अदा करने का दायी है।

इसके अतिरिक्त सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र नियमावली 2012 का नियम 9 प्रावधान करता है कि सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र निम्नलिखित मामलों में सेवा प्रदाताओं का स्थान होगा (क) खाताधारकों को बैंकिंग कम्पनी अथवा

वित्तीय संस्थान अथवा गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी द्वारा दी गई सेवाएं, (ख) ऑनलाइन सूचना तथा डाटाबेस पहुंच अथवा सुधार सेवाएं, (ग) मध्यस्थ सेवाएं तथा (घ) परिवहन के साधन किराए पर लेने से बनी सेवा। सेवाओं के प्रावधान का क्षेत्र नियमावली 2012 के नियम 2(च) के अनुसार "मध्यस्थ" का अर्थ एक दलाल, एक एजेंट अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो भी नाम कहा जाए से है जो दो अथवा अधिक व्यक्तियों के बीच सेवा (मुख्य सेवा) के प्रावधान का प्रबन्ध करता है अथवा सरल बनाता है।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि लेखापरीक्षा द्वारा कवर की गई अवधि के दौरान विदेशी सेवा प्रदाताओं प्राप्त बीमा सहायक सेवाओं पर प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत 5 निर्धारितियों ने ₹ 7.05 करोड़ की सेवा कर देयता पूरी नहीं की थीं।

तालिका 2.5 प्रतिलोम प्रभार के अंतर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

(₹ लाख में)				
कमिश्नरी	निर्धारिती	सेवा का विवरण	प्राप्त सेवाओं का मूल्य/किया गया व्यय	सेवा कर राशि*
एलटीयू दिल्ली	में. द ओरियन्टल इंश्योरेंस कं. लिमि.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता को सौंपा गया पुनर्बीमा प्रीमियम	4,227.78	566.10
एसटी दिल्ली	में. एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा.लिमि.	विदेश स्थित इंश्योरेंस ब्रोकर कारबार वृद्धि खर्च	697.30	105.06
		प्रायोजक**द्वारा प्रदत्त प्रायोजित खर्च	62.66	9.35
			17.96	2.45
एसटी दिल्ली	में. कारपोरेट वारंटीज इण्डिया प्रा. लि. इंश्योरेंस ब्रोकर	उपर्युक्त विदेशी पार्टी को प्रदत्त साफ्टवेयर अंशदान फीस	136.06	19.21
एसटी	में. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कं (इण्डिया) लिमि.	सर्वेक्षण हेतु विदेशी भुगतान	8.15	1.00
एसटी दिल्ली	में. बजाज केपीटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमि.	पुनर्बीमा कारबार कमीशन	14.68	2.27
जोड़			5,164.59	705.44

*लेखापरीक्षा की तारीख तक ब्याज सहित

** परिपत्र दिनांक 28 फरवरी 2006 के तहत, सेवा कर सेवा प्रापक यथा प्रायोजक - निकाय निगम/फर्म से प्रतिलोम प्रभार विधि के अंतर्गत संग्रहीत किया जाना है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि ओरियंटल इश्योरेंश कं. लि. के संबंध में तथ्य जांचाधीन थे और एससीएन जारी किया गया था। में. कारपोरेट वारन्टीज इण्डिया प्रा.लिमि. तथा में. बजाज कैपिटल इश्योरेंश ब्रोकिंग लिमि. ने सेवा कर का भुगतान कर दिया था। में. अवीवा लाइफ इश्योरेंश कम्पनी (इण्डिया) लिमि. को एससीएन जारी किया गया था जो न्यायनिर्णय को लम्बित था। में. एस इश्योरेंश ब्रोकर्स प्रा. लिमि. के संबंध में मंत्रालय ने प्रायोजक द्वारा प्रदत्त प्रायोजिता खर्चों के संबंध में ₹ 4.67 लाख की आंशिक वसूली सूचित की। शेष दो सेवाओं का उत्तर प्रतीक्षित था।

2.6.2 आतंकवाद प्रीमियम

अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर जीवन बीमा कम्पनियों द्वारा एक पहल के रूप में भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल बनाया गया था। यह में. सामान्य बीमा निगम (जीआईसी आरई) के साथ किसी भी सदस्य और सहमत अनुपात में पुनर्बीमाकर्ता के रूप में सभी अन्य सदस्यों द्वारा बीमाकृत आतंकवाद जोखिमों के बहुपक्षीय पुनर्बीमा प्रबन्ध के रूप में कार्य करता है। पूल जीआईसी द्वारा प्रबन्धित है और सम्पत्ति के बीमाओं के साथ बीमाकृत आतंकवाद जोखिम के सभी बीमाओं को लागू है। आतंकवाद जोखिम के बीमा की देयता की अधिकतम सीमा पूल बीमांकन समिति द्वारा जैसा निर्णय किया जाए और जैसा समय-समय पर बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण के पास दाखिल किया गया, होगी। वर्तमान में पूल ₹ 1000 करोड़ प्रति स्थान का प्रस्ताव करता है। स्वयं पूल सामान्य रेंजों/भयंकर हानियों के बाहर स्वयं दावों के प्रति सुरक्षित रखने के लिए हानि के आधिक्य (एक्सओएल) पुनर्बीमा कवर द्वारा संरक्षित किया जाता है। अधःशायी सीमा से अधिक कोई दावे पुनर्बीमाकर्ताओं से वसूल किए जाएंगे। एक्सओएल कवर पर पुनर्बीमाकर्ताओं के रूप में भाग लेने में हितबद्ध पूल सदस्यों को प्राथमिकता आधार पर शेयर दिए जाते हैं और बकाया विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को दिया जाता है (विदेशी अर्पण)।

2.6.2.1 आतंकवाद पूल से संबंधित पश्चगमन प्रीमियम पर सेवा कर की गैर अदायगी

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथालागू) की धारा 65(105) (जैडएक्स) के साथ पठित धारा 66 विचार करती है कि जीवन बीमा कारबार करने वाले पुनर्बीमाकर्ता सहित किसी बीमाकर्ता द्वारा एक पॉलिसी धारक अथवा किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली कोई सेवा कर योग्य सेवा है। विदेशी पुनर्बीमाकर्ता के मामले में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66क के प्रावधान के अन्तर्गत प्रतिलोम प्रभार के अधीन देयता सेवा पाने वाले द्वारा वहन की जानी थी। 1 जुलाई 2012 से ऋणात्मक सूची में निर्दिष्ट सेवा को छोड़कर दी गई अथवा दिए जाने के लिए सहमत सभी सेवाओं पर सेवा कर उदग्रहीत होगा।

पूलिंग प्रबन्ध के बल पर जीआईसी आरई, राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता पूल प्रबन्धक के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद 45 दिनों के अन्दर सभी सदस्यों द्वारा पूल को अन्तरिक कुल प्रीमियम उनकी सम्बन्धित पूर्व निर्धारित शेयर प्रतिशतता की दर पर प्रत्येक पूल सदस्य को जीआईसी आरई द्वारा बांटा जाता है और मैट्रिक्स के रूप में वित्त वर्ष के अंत में उन्हें सूचित किया जाता है। इस प्रकार पश्चगमन जिसमें लेन देन शामिल होता है जिसके द्वारा एक पुनर्बीमाकर्ता अन्य बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता पुनर्बीमा का सम्पूर्ण अथवा पुनर्बीमा का भाग सौंप देता है यह इस प्रक्रिया द्वारा पूर्व में किया गया माना जाता है। तथापि स्वयं का शेयर प्रीमियम सौंपने के लिए माना नहीं जाता है। इस प्रकार आतंकवाद जोखिमों के लिए बीमाकृत कोई राशि पुनर्बीमाकर्ता के रूप में सभी पूल सदस्यों की भागीदारी के माध्यम से इस रीति में पुनर्बीमा की जाती है।

चूंकि ऊपर वर्णित कार्यकलाप स्पष्टतया पुनर्बीमा की प्रकृति में है इसलिए सेवा कर देयता उत्पन्न होगी जो उसके सम्बन्धित अनुपाती शेयरों के आधार पर प्रत्येक पुनर्बीमाकर्ता सदस्य द्वारा निभाई जानी है। हमने पाया कि जबकि पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी के शेयर की सेवा कर देयता जीआईसी द्वारा निभाई जाती है वहीं सौंपी गई प्रीमियम राशियों के उनके भाग पर प्रत्येक अन्य सदस्य की सेवा कर देयता भी मैट्रिक्स में निकाली गई थी और जीआईसी द्वारा

सूचित की गई थी। प्रत्येक सदस्य कम्पनी उनके नामों में पश्चगामित आतंकवाद प्रीमियम की राशि पर अपनी सेवा कर देयता निभाएगा।

तथापि, हमने पाया कि 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मैट्रिक्स अभी भी जीआईसी में तैयारी के अधीन था जबकि 2012-13 का मैट्रिक्स तैयार था। चूंकि सेरा द्वारा कवर वर्षों (2010-11 से 2012-13) के लिए जीआईसी द्वारा पश्चगामित राशियों का उनका शेयर सदस्यों को अभी सूचित किया जाना है जिसके लिए मैट्रिक्स सेरा जांच के समय पर तैयार था इसलिए उस पर देयता निभाई नहीं गई है। यह पाया जाता है कि आईआरडीए द्वारा निर्धारित कार्यविधि के कारण पश्चगमन मैट्रिक्स की तैयारी के अन्तिमीकरण की लम्बी प्रक्रिया के कारण सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ है। सेवाओं के मूल्यांकन के उपचित आधार पर सेवा कर प्रावधानों का गैर जीवन बीमा क्षेत्र द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया/तंत्र के साथ अनुपालन नहीं किया गया है।

जीआईसी आरई द्वारा तैयार मैट्रिक्स¹⁵ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से जीआईसी को छोड़कर सभी सदस्य गैर जीवन बीमा कम्पनियों से सम्बन्धित ₹ 47.38 करोड़ की राशि की सेवा कर देयता की गैर अदायगी का पता चला जैसा निम्नलिखित तालिका में चित्रित है जिसे ब्याज के साथ वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

तालिका 2.6 : लौटाई राशियों पर सेवा कर देयता

(₹ लाख में)

प्रीमियम का विवरण	वर्ष	देय कुल सेवा कर	जीआईसी आरई की सेवा कर देयता (पहले प्रदत्त)	जीआईसी के अतिरिक्त बीमा कम्प. से वसूल किए जाने वाला सेवा कर
पश्चगमन प्रीमियम	2012-13	5,014.26	886.44	4,127.82
पश्चगमन प्रीमियम (एक्सओएल)	2012-13	156.08	51.98	104.11
	2011-12	43.00	13.71	29.29
पश्चगमन प्रीमियम (विदेशी अर्पण)	2012-13	461.99	73.92	388.07
	2011-12	109.77	21.30	88.48
जोड़		5,785.10	1,047.35	4,737.77

¹⁵ स्रोत दस्तावेज: घरेलू अर्पण, एक्सेस आफ लौस (एक्सओएल) प्रीमियम और जीआईसी द्वारा तैयार पूल सदस्यों को वर्ष 2012-13 तथा 2011-12 के लिए एक्सेस आफ लौस (एक्स ओएल) प्रीमियम का विदेशी अर्पण और जीआईसी आरई से प्राप्त उन पर सेवा कर देयता

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि एलटीयू दिल्ली कमिश्नरी के अंतर्गत निर्धारिती को सेवा कर जमा करने को कहा गया है। एलटीयू - चेन्नई कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने सूचित किया कि मैट्रिक्स तैयार कर लिए गए हैं और सेवा कर देयताएं निभाने के लिए सदस्य कम्पनियों को भेज दिए गए हैं। एलटीयू-चेन्नई कमिश्नरी के अंतर्गत दो निर्धारितियों ने सेवा कर देयताओं का भुगतान कर दिया था। मुम्बई एसटी-1 कमिश्नरी के संबंध में मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया कि विभिन्न तकनीकी मामलों के कारण मैट्रिक्स प्रस्तुत करने में जीआईसी की ओर से विलम्ब हुआ था और प्रक्रिया को अब सरल और कारगर बना दिया गया है।

2.6.2.2 विशेष बीमा पूल प्रबन्ध पर प्राप्त सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

i) मैं. जनरल बीमा निगम (जीआईसी आरई) अर्थात् पूल प्रबन्धक और अनुबन्ध की अनुसूची में नामित प्रत्येक गैर जीवन बीमाकर्ताओं के बीच भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा पूल पर अनुबन्ध दिनांक 25 जुलाई 2007 की शर्तों की संवीक्षा से निम्नलिखित तथ्यों का पता चला:

भारतीय आतंकवाद पूल (पूल) के संघटक सभी सामान्य बीमा कम्पनियां, जो आतंकवाद जोखिमों की पॉलिसियों के प्रीमियम अंकित करते हैं और राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता मैं. जनरल बीमा निगम (जीआईसी आरई) हैं। यद्यपि जीआईसी सीधे प्रीमियम अंकित नहीं करती है फिर भी यह अन्य सदस्य कम्पनियों द्वारा पूल में अन्तरित प्रीमियम राशियों से निश्चित शेयर के साथ पूल का एक सदस्य है। अन्य सदस्य कम्पनियां भी पूल में अपना सम्बन्धित शेयर रखती हैं। जीआईसी पूल प्रबन्धक है, चूंकि पूल का प्रबन्धन तथा प्रशासन इसमें निहित है और इस कार्यकलाप हेतु यह आतंकवाद जोखिम के बीमा के मूल प्रीमियम के एक प्रतिशत की दर पर प्रबन्धन कमीशन नामक फीस प्रभारित करता है।

जीआईसी आरई के लेखाओं तथा आतंकवाद पूल तिमाही पश्च लेखा विवरण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि जीआईसी आरई ने सेवाप्रभारों के रूप में 1 प्रतिशत की दर पर फीस प्रभारित की थी। तथापि 2011-12 तथा 2012-

13 की अवधि की एसटी -3 विवरणियों की संवीक्षा से पता चला कि जीआईसी आरई सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान नहीं कर रहा था जो कर योग्य सेवाओं का मूल्य बनते हैं। पश्चगमन प्रीमियम के मैट्रिक्स, जो पूल के सदस्यों से प्राप्त लेखाओं के विवरण के आधार पर जीआईसी आरई द्वारा तैयार किया जाता है, ने दर्शाया कि पूल ने 2011-12 तथा 2012-13 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 145.52 करोड़ तथा ₹ 448.24 करोड़ का कुल निवल प्रीमियम प्राप्त किया। पूल प्रबन्धक होने पर जीआईसी आरई ने मूल प्रीमियम के 1 प्रतिशत की दर पर अनुबन्ध के अनुसार कुल ₹ 6.60 करोड़ प्राप्त किया जिस पर उन्होंने ₹ 78.21 लाख का सेवा कर अदा नहीं किया था जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि मामला परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 के तहत स्पष्ट किया गया है। जीआईसी आरई अन्य बीमाकर्ताओं के साथ केवल खर्चों को बांट रहा है और इस कार्यकलाप पर कर नहीं लगेगा। चूंकि बीमा कम्पनी तथा पुनर्बीमाकर्ता दोनों सम्पूर्ण राशि के रूप में सेवा कर का भुगतान करते हैं इसलिए किसी अन्य सेवा के अंतर्गत सेवा कर प्रभारित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आतंकवाद पूल अनुबन्ध के खण्ड 10 तथा 16 से पता चलता है कि अन्य पूल सदस्यों से देय फीस पूलिंग प्रबन्ध के प्रशासन के प्रबन्धन के लिए पूल प्रबन्धक द्वारा प्रभारित पारिश्रमिक है। इस प्रकार यह स्पष्टतया ऐसी स्थिति है जहाँ सेवा पाने वालों के रूप में पूल के अन्य सदस्यों को पूल प्रबन्धक के रूप में जीआईसी आरई द्वारा दी गई सेवा है और सीबीईसी के ऊपर उल्लिखित परिपत्र द्वारा कवर नहीं की जाती है चूंकि परिपत्र पुनर्बीमाकर्ता के साथ बीमाकर्ता द्वारा खर्चों को बांटने के बारे में बताता है। इस मामले में पॉलिसी जीआईसी द्वारा अंकित नहीं की जाती है और उसने कोई खर्च नहीं किया था जिसे अन्य बीमाकर्ता से वसूल किए जाने की आवश्यकता है। जीआईसी पूल का प्रबन्ध कर रहा है जो पुनर्बीमा की अपेक्षा एक अलग सेवा है और इसलिए इस सेवा के लिए सभी सदस्यों से एक

राशि प्रभारित कर रहा है। इसलिए पूल के प्रबन्ध के लिए प्राप्त प्रतिफल के लिए सेवा कर उदग्राह्य है।

ii) मोटर थर्ड पार्टी पूल के सेवा प्रभारों पर सेवा कर का भुगतान न करना

गैर जीवन बीमा कम्पनियों तथा जीआईसी आरई बीमांकन के बीच बहुपक्षीय पुनर्बीमा प्रबन्ध के अंतर्गत आईआरडीए के निर्देशों पर वाणिज्यिक वाहनों के लिए एकमात्र रूप से अप्रैल 2007 से प्रभावी भारतीय मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेश पूल (आईएमटीपी आईपी) का प्रबन्धन राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता के रूप में जीआईसी को सौंपा गया था।

जीआईसी आरई के लेखाओं तथा वार्षिक रिपोर्टों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2010-11 तथा 2011-12 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 27.19 करोड़ तथा ₹ 27.75 करोड़ की प्रशासनिक फीस/सेवा प्रभार अर्जित किए जो मोटर पूल से संबंधित/अन्य आय में शामिल खर्चों के साथ निवल था। ये राशियां सेवाओं के कर योग्य मूल्य में शामिल की जानी थीं क्योंकि ये वित्त अधिनियम की धारा 67 के अनुसार 'प्रभारित सकल राशि' के भाग से होंगी। हमने देखा कि इन राशियों को 2011-12 और 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 2.80 करोड़ एवं ₹ 2.86 करोड़ की राशि की कर योग्य सेवाओं, सेवा कर के मूल्य में शामिल नहीं किया गया था जो ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 इस मामले में भी लागू था।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्त अधिनियम 1994 की धारा 67 के अनुसार करयोग्य सेवा का मूल्य सेवा प्रदाता द्वारा "प्रभारित सकल राशि" होगी। वर्तमान मामले में परिपत्र दिनांक 16 अप्रैल 2010 लागू नहीं है।

2.6.3 सेवा कर का कम भुगतान

एसटी 3 विवरणी में प्रदर्शित करयोग्य आय के साथ वार्षिक लेखाओं (तुलन पत्र शेष परीक्षण) में प्रदर्शित सकल आय के मिलान के आधार पर की गई लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित 4 मामलों में ₹ 14.73 करोड़ के सेवा कर के कम भुगतान का पता चला:

तालिका 2.7: सेवा कर का कम भुगतान

(₹ लाख में)

निर्धारिती (आपत्ति में शामिल अवधि)	लेखापरीक्षा आपत्ति	सेवा कर	ब्याज (लेखापरीक्षा की तारीख तक विलम्ब अवधि)	ब्याज सहित सेवा कर कम भुगतान
मै. ओरियन्टल इंश्योरेंस कं. लि. एलटीयू कमिश्नरी दिल्ली (2011-12) (2012-13)	लेखाओं तथा एसटी3 विवरणियों में सकल प्रीमियम आय की मिलान विवरणी के अनुसार प्रीमियम आय में ₹ 105.39 करोड़ का अन्तर था।	1,085.49	325.65 (अप्रैल 2012 से नवम्बर 2013 तक 20 माह)	1,411.14
	1 अप्रैल 2012 से 12.36 प्रतिशत की बढ़ी दर के प्रति 10.3 प्रतिशत की दर पर बीमा/किराया सेवाओं आदि पर सेवा कर अदा किया गया था।	29.52	7.22 (नवम्बर 2013तक 18 से 12 माह तक का विलम्ब)	36.74
मै. एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमि; एसटी कमिश्नरी दिल्ली (2011-12)	तुलन पत्र के अनुसार सकल कर योग्य आय ₹ 31.56 करोड़ थी जबकि विवरणी के अनुसार सकल आय ₹ 30.31 करोड़ थी परिणाम स्वरूप ₹ 1.26 करोड़ का अवमूल्यांकन हुआ।	12.96	3.89 (अप्रैल 2012 से नवम्बर 13 तक 20 माह का विलम्ब)	16.85
मै. श्रीधर इंश्योरेंस ब्रोकर्स एसटी कमिश्नरी दिल्ली (जनवरी 2013 से मार्च 2013)	वर्ष 2012-13 के दौरान ₹ 9.31 करोड़ की दलाली आय में से ₹ 8.02 करोड़ दर सेवा कर अदा किया गया था और ₹ 0.55 करोड़ वीसीईएस के अन्तर्गत घोषित किया गया था तथापि शेष ₹ 0.47 करोड़ पर कर भुगतान नहीं किया गया था।	5.22	0.71 (अप्रैल 2013 से दिसम्बर 2013 तक 9 माह विलम्ब)	5.93
मै. हाक विजन लिमि. एसटी कमिश्नरी दिल्ली (2010-11 से 2012-13)	टीडीएस में दर्शाई सकल प्राप्तियों और एसटी-3 विवरणी की सकल प्राप्तियों में ₹ 18.42 लाख का अंतर हुआ था।	1.90	0.43 (नवम्बर 2013 तक 32 से 8 माह तक विलम्ब)	2.33
जोड़				1,472.99

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि मै. ओरियन्टल ने ₹ 10.85 करोड़ का भुगतान कर दिया है और ब्याज तथा शास्ति के लिए एससीएन जारी किया गया था। मै. एस इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड तथा मै. हाकविजन लिमि. के मामले जांच के अधीन हैं और एससीएन जारी किए जाएंगे यदि मांग की जाती है। मै. श्रीधर लिमि. ने ₹ 5.93 लाख के सेवा कर का भी भुगतान कर दिया है।

2.6.4 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम की धारा 75 के अनुसार निर्धारिती सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज भुगतान करने का दायी है। निर्धारित दर 1 अप्रैल 2011 से 13 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक बढ़ा दी गई है।

हमने एसटी कमिश्नरी दिल्ली में 6 मामलों में सेवा कर के विलम्बित भुगतान के उदाहरण देखे जिन पर ₹ 13.23 लाख का ब्याज वसूली योग्य था।

तालिका 2.8 देय ब्याज का भुगतान न करना

निर्धारिती	(₹ लाख में) सेवा कर* के विलम्बित भुगतान पर देय ब्याज
मै. कार्पोरेट वारन्टीज लिमि.	10.69
मै. बजाज कैपिटल इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड	1.74
मै. अलमण्डज इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्रा. लिमि.	0.34
मै. यूनियन इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विसेज लिमि.	0.24
मै. फेयरडील इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमि.	0.15
मै. डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.	0.07
जोड़	13.23

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तक मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि सभी निर्धारितियों ने ब्याज भुगतान कर दिया था।

2.6.5 सेनवेट क्रेडिट

2.6.5.1 सेनवेट क्रेडिट का गलत उपयोग

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3के प्रावधानों के अन्तर्गत एक सेवा प्रदाता को करयोग्य आउटपुट सेवा देने में प्रयुक्त किसी 'इनपुट सेवा' पर

प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट लेना अनुमत है। शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्च शिक्षा उपकर पर लिया गया क्रेडिट मूल सेवा कर के भुगतान हेतु प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

पुणे III कमिश्नरी में मै. बजाज आलियंज जनरल इंश्योरेंस कं. लिमि. की 2011-12 की अवधि विवरणियों की संवीक्षा से माह अक्टूबर 2011 के लिए ₹ 14.30 लाख के अग्रेनीत सेनवेट क्रेडिट में विसंगति का पता चला जो सेनवेट क्रेडिट नियमों के अनुसार अस्वीकार्य मूल कर तथा शिक्षा उपकर के गलत समायोजन के कारण था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.30 लाख का अधिक क्रेडिट लिया गया और अनुवर्ती माह में उपयोग किया गया जिसे वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती ने त्रुटि सुधार ली और ब्याज तथा शास्ति के लिए एससीएन जारी किया गया था।

2.6.5.2 गैर करयोग्य/मुक्त आउटपुट सेवाओं में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अन्तर्गत एक सेवा प्रदाता को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66/66क (1 जुलाई 2012 से धारा 66ख) के अन्तर्गत किसी इनपुट सेवा पर प्रदत्त उदग्रहण सेवा कर का क्रेडिट लेना अनुमत किया जाता है।

वित्त अधिनियम 1994के अध्याय V की धारा 64 जम्मू - कश्मीर राज्य को सेवा कर की प्रयोज्यता से बाहर करती है। इसलिए यदि सेवा कर जम्मू तथा कश्मीर में कारबार करने के लिए बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन के सम्बन्ध में अदा किए जाने को देय नहीं है तो इसका क्रेडिट लिया नहीं जाना चाहिए।

क) हमने निम्नलिखित उदाहरण देखे जहां निर्धारितियों ने जम्मू तथा कश्मीर में (जो गैर कर योग्य सेवाएं हैं) कारबार करने के लिए बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन पर ₹ 64.26 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। जो ऊपर कथित प्रावधान के मद्देनजर अस्वीकार्य था और ब्याज के साथ वसूल किया जाना आवश्यक था।

तालिका 2.9: गैर करयोग्य आउटपुट सेवाओं में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेनवेट क्रेडिट

(₹ लाख में)

निर्धारिती का नाम	कमिश्नरी	बीमा एजेंटों को प्रदत्त कमीशन पर प्रदत्त सेवा कर
मै. बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस पुणे III कं. लि.		38.40
मै. एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस एसटी- I, मुम्बई कं. लिमि.		1.53
मै. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. एसटी-II, मुम्बई लिमि.		24.33
	जोड़	64.26

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने मै. बजाज आलियांज इंश्योरेंस तथा मै. रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमि. के मामले में आपत्ति स्वीकार कर ली (नवम्बर 2014) और सूचित किया कि मै. बजाज आलियांज ने ₹ 14.23 लाख के ब्याज के साथ ₹ 60.77 लाख का सेनवेट क्रेडिट वापस कर दिया था और शास्ति हेतु एससीएन जारी किया जा रहा था जबकि मै. रिलायंस का मामला सत्यापित किया जा रहा था और एससीएन शीघ्र ही जारी किया जाएगा। तथापि, मै. एचडीएफसी इर्गो के मामले में मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार नहीं की और बताया कि क्योंकि जे एण्ड के में सेवा कर प्रावधान लागू नहीं हैं इसलिए ऐसी सेवाओं के लिए कोई कर देय नहीं है और निर्धारिती पहले कर भुगतान करता है और तब इसका सेनवेट क्रेडिट लेता है और कबायद में राजस्व निष्क्रिय है।

मंत्रालय ने समान मामलों के लिए दो अलग आधार लिए हैं। मंत्रालय को मामले में समान आधार लेने और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उसे स्पष्ट करने की आवश्यकता है। तथापि मै. एचडीएफसी इर्गो के मामले में मंत्रालय का तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अनुसार धारा 66, 66क अथवा 66ख के अन्तर्गत सेवा कर के लिए क्रेडिट स्वीकार्य है और जे एण्ड के पॉलिसियों के लिए प्रदत्त सेवा कर अधिनियम की किसी धारा के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अलावा यद्यपि जे एण्ड के पॉलिसियों के लिए सेवा कर भुगतान करने और तब क्रेडिट लेने की कबायद में राजस्व निष्क्रिय है इसलिए गैर कर योग्य पॉलिसियों पर प्रदत्त कर जे एण्ड

के ग्राहकों को दे दिया जाता है जो जे एण्ड को कर में न लाने के विधान के अभिप्राय को परिभाषित करता है।

ख) हमने यह भी पाया कि बीमाकर्ता ने करयोग्य तथा मुक्त सेवाओं के संबंध में सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) में अपेक्षा के अनुरूप कर योग्य आउटपुट सेवाओं तथा गैर कर आउटपुट सेवाओं (जम्मू तथा कश्मीर से संबंधित) के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे नहीं बनाए। जुलाई 2012 से पूर्व ऐसे अलग लेखाओं के अनुरक्षण हेतु कानून अथवा नियमों में कोई अपेक्षा नहीं थी। तथापि हमने नोट किया कि ऐसी अपेक्षा के अभाव का परिणाम सेनवेट को लागू करने पीछे तर्क के उल्लंघन में होता है क्योंकि इसका अर्थ केन्द्र सरकार के राजस्व को योगदान न करने वाली सेवाओं के प्रावधान के लिए इनपुट सेवाओं का उपयोग अनुमत करना होता है।

सेवा कर-1 मुम्बई कमिश्नरी में तीन निर्धारितियों की अभिलेखों को जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान करयोग्य तथा गैर करयोग्य सेवाओं के प्रावधान में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं के लिए अलग लेखे अनुरक्षित नहीं किए थे। यदि हम सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) की अनुरूपता लागू करते हैं तो सेनवेट क्रेडिट का अपेक्षित उलटाव ₹ 2.31 करोड़ बनेगा।

तालिका 2.10: जम्मू तथा कश्मीर सम्बंधित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट

				(₹ लाख में)
कमिश्नरी	निर्धारिती का नाम	अवधि	जे एण्ड के सम्बन्धित सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट	
एसटी-1 कमिश्नरी मुम्बई	मै. एचडीएफसी इर्गो	2011-12		5.27
	जनरल इंश्योरेंस कं. लिमि.			
	मै. आईसीआईसीआई प्रडेंशीयल लाइफ इंश्योरेंस कं. लिमि.	2010-11		76.46
	मै. न्यू इण्डिया एश्योरेंस कं. लिमि.	2012-13		150.18
कुल				231.91

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2014) तब मंत्रालय ने यह कहते हुए आपत्ति स्वीकार नहीं की (नवम्बर 2014) कि क्योंकि सेवा कर के प्रावधान जे एण्ड के को लागू नहीं है इसलिए सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) जो आनुपातिक सेनवेट क्रेडिट के उलटाव की अपेक्षा करता है, भी लागू नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मामला जे एण्ड के में सेवा कर की उदग्राह्यता से संबंधित नहीं है परन्तु सेवाओं, जो करयोग्य नहीं हैं, के लिए जे एण्ड के कर योग्य क्षेत्र में अनियमित सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने से सम्बन्धित है। जे एण्ड के से सम्बन्धित सेवाओं जो कर योग्य नहीं हैं, पर क्रेडिट का उलटाव न करना सेनवेट क्रेडिट योजना के मूल तर्क की अवज्ञा होगा। यह मामला मारुति सुजुकी लिमि. के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा केन्द्रीय उत्पाद के संबंध में भी निर्णीत किया गया है जहां सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि विद्युत, गैर शुल्क योग्य उत्पाद, के लिए क्रेडिट शुल्क योग्य उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त न की गई सीमा तक पात्र नहीं है। सेवा कर के संबंध में उचित संशोधन/स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो, भी दिया जाए।

2.7 अन्य मामले

उपर्युक्त के अतिरिक्त हमने निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के 4 अन्य मामले देखे जिनमें ₹ 9.04 लाख का कर प्रभाव अन्तर्गस्त है जिसमें ₹ 8.11 लाख वसूल कर लिए गए थे।

2.8 निष्कर्ष

जबकि बीमा क्षेत्र की सेवाओं का सेवा कर राजस्व को बहुत महत्वपूर्ण रूप से अंशदान करना जारी है वहीं सरकार को पहुंचने के लिए देय राजस्व का कम से कम कुछ भाग हमारे अनुपालन सत्यापन तन्त्रों में प्रतिबन्धों तथा प्रावधानों में कमी/अस्पष्टता जैसे विभिन्न घटकों के कारण सरकार को पहुंचने में विफल हो जाता है।

अध्याय III

बन्दरगाह क्षेत्र में सेवा कर देयता

3.1 प्रस्तावना

प्रमुख बन्दरगाहों तथा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा दी गई "पत्तन सेवाओं" पर सेवा कर 16 जुलाई 2001 से लागू किया गया था और 1 जुलाई 2003 से लघु बन्दरगाहों पर लागू किया गया था। वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2010 से और 30 जून 2012 तक यथा लागू) की धारा 65(82) के अन्तर्गत यथा परिभाषित बन्दरगाह सेवा" में "किसी रीति में बन्दरगाह अथवा अन्य बन्दरगाह के अन्दर दी गई कोई सेवा" को शामिल किया गया।

बन्दरगाह सेवा क्षेत्र 2012-13 में ₹ 1670 करोड़ से अधिक राजस्व अर्जित करने वाला प्रमुख राजस्व अर्जन सेवा क्षेत्रों में एक है। बन्दरगाह पर पहुंचने वाले/से चलने वाले जलयानों के संबंध में और आयात तथा निर्यात किए जा रहे माल के संबंध में बन्दरगाह सेवाएं देते हैं। सेवाओं में संचालन, खींचना, लंगर डालना, जलयानों का नौबन्ध, कार्गो का लदान तथा उतराई, जहाज से जहाज को कार्गो का हस्तांतरण, कार्गो का वजन करना, टिपरों पर घाट से कार्गो का परिवहन, भण्डारण प्रहस्तन, और जहाजों को जल, विद्युत की आपूर्ति जैसी सेवाएं, बंकर बनाना, जहाज चाण्डलर सेवाएं, जहाज मरम्मत सेवाएं, रेल जनित माल के लिए रेलवे कर्षण प्रभार, स्थानीय कर्षण तथा भण्डारण, जनशक्ति सेवाएं आदि शामिल होते हैं।

975 किलोमीटर की तट रेखा, जो देश में दूसरी लम्बी तटरेखा है, के साथ आंध्र प्रदेश राज्य में प्रचालन में एक प्रमुख बन्दरगाह-विशाखापत्तनम बन्दरगाह और पांच लघु बन्दरगाह यथा काकीनाडा गहरा समुन्द्र बन्दरगाह, काकीनाडा लंगरगाह बन्दरगाह, गंगावरम बन्दरगाह, कृष्णापत्तनम बन्दरगाह तथा रावा/दक्षिण यमन बन्दरगाह हैं। ओडिशा राज्य की प्रमुख बन्दरगाह के रूप में पारादीप बन्दरगाह और दो लघु बन्दरगाहों यथा धामरा बन्दरगाह तथा गोपालपुर स्वच्छ मौसम बन्दरगाह के साथ 480 किलोमीटर की तटरेखा है।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने, कि बन्दरगाह क्षेत्र से भारत सरकार को प्राप्त सेवा कर सरकार को वास्तव में पहुंच रहा है, के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिशा में मौजूद तन्त्रों की पर्याप्तता की जांच की। लेखापरीक्षा निम्न निर्धारित करने के लिए की गई थी:

- i. बन्दरगाह क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित सेवा कर के उदग्रहण, निर्धारण तथा संग्रहण के संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं, परिपत्रों/निर्देशों/व्यापार नोटिसों आदि की पर्याप्तता;
- ii. क्या कानून के वर्तमान प्रावधानों का पर्याप्त रूप से पालन किया जा रहा है;
- iii. क्या सेवा कर के उदग्रहण के लिए सम्भावित सेवा प्रदाताओं की पहचान करने और कर जाल में लाने के लिए पर्याप्त तंत्र था, और
- iv. क्या प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तंत्र था।

3.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने आन्ध्र प्रदेश तथा ओडिशा में 5 कमिश्नरियों, 6 बंदरगाहों (सेवा कर निर्धारितियों) तथा 12 बन्दरगाह सेवा प्रदाता यूनिटों में अभिलेखों की जांच की। कवर की गई अवधि 2010-11 से 2012-13 तक थी।

हमने निर्धारितियों के पंजीकरण से आरम्भ कर अननुपालन जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व की हानि हुई, के दृष्टान्तों की पहचान करने के लिए विवरणियों की प्राप्ति के मॉनीटरिंग, विवरणियों की संवीक्षा आंतरिक लेखापरीक्षा आदि की "बन्दरगाह सेवाओं" पर सेवा कर के उदग्रहण के प्रशासन की प्रभावकारिता की समीक्षा की।

3.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित यूनिटों में निर्धारित अभिलेखों की संवीक्षा से ₹ 44.89 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले प्रणाली तथा अनुपालन सम्बन्धित मामलों का पता चला। मंत्रालय ने ₹ 38.59 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा

आपत्तियों को स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2014) और ₹ 29.70 करोड़ की वसूली कर ली। प्रमुख निष्कर्षों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है:

3.5 प्रणाली मामले

3.5.1 विवरणियाँ दाखिल न करना/देरी से दाखिल करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 प्रावधान करती है सेवा कर के भुगतान के लिए दायी प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा दी गई सेवाओं पर देय कर स्वयं निर्धारित करेगा और निर्धारित विवरणी प्रस्तुत करेगा। विवरणी के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के लिए निर्धारित अनधिक ₹ 20,000 की विलम्ब फीस का भुगतान करेगा। विलम्ब के दिनों की संख्या के आधार पर विवरणी के विलम्बित प्रस्तुतीकरण के लिए विलम्ब फीस की दरें सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 7ग में निर्धारित हैं।

विशाखापत्तनम I, विशाखापत्तनम II, गुन्टूर तथा हैदराबाद II कमिश्नरियों द्वारा भेजी गई सूचना ने दर्शाया कि गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से देय 693 सेवा कर विवरणियों में से 605 विवरणियां समय पर प्राप्त हुई हैं, 44 विवरणियां विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं और 44 विवरणियां किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं। भुवनेश्वर I कमिश्नरी में देय 91 सेवा कर विवरणियों में से 85 विवरणियां समय पर प्राप्त हुई थीं और 6 विवरणियां किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं।

निर्धारितियों, जो विवरणियां प्रस्तुत करने में विफल हो गए, के संबंध में वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(2) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस/शास्ति लगाने की प्रकृति में किसी कार्रवाई का कोई साक्ष्य नहीं था। निर्धारितियों, जिन्होंने विलम्बित रूप से विवरणियां दाखिल की द्वारा भी विलम्ब फीस जमा नहीं की गई थी। ऐसे मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने विशाखापत्तनम I, II, हैदराबाद II कमिश्नरियों में दाखिल न करने वालों/देरी से दाखिल करने वालों से 43 मामलों में ₹ 2.49 लाख की वसूली सूचित की और भुवनेश्वर I कमिश्नरी में तीन मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे।

3.5.2 प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा करने में विफलता

एसीईएस के अन्तर्गत विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा प्रणाली द्वारा की जाती है और कमियों वाली विवरणियों की समीक्षा तथा सुधार के लिए प्रणाली द्वारा पहचान की जाती है। समीक्षा हेतु चिन्हित विवरणियां निर्धारिती के परामर्श से वैधीकृत की जानी होती हैं और प्रणाली में पुनः दर्ज की जाती हैं। इसके अलावा बोर्ड के परिपत्र दिनांक 11 मई 2009 के अनुसार एक बार एसीईएस कार्यान्वित हो जाने पर विवरणियां जोखिम के अवरोही क्रम में स्वतः सूचीबद्ध जो जाएंगी और चयन हेतु आयुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी।

अभिलेखों के सत्यापन पर यह देखा गया था कि आंध्र प्रदेश में गुन्टूर और हैदराबाद-॥ कमिश्नरियों में 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से प्राप्त 82 सेवा कर विवरणियों में से केवल 35 विवरणियों के संबंध में प्राथमिक संवीक्षा की गई थी।

ओडिशा में भुवनेश्वर । कमिश्नरी में प्राप्त 85 सेवा कर विवरणियों में से केवल 73 मामलों में प्राथमिक संवीक्षा की गई थी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश में 57 प्रतिशत विवरणियां तथा ओडिशा में 14 प्रतिशत विवरणियों में प्राथमिक संवीक्षा नहीं की गई थी।

गुन्टूर तथा हैदराबाद ॥ कमिश्नरियों में इन तीन वर्षों के दौरान बन्दरगाह क्षेत्र में सेवाओं से सम्बन्धित किसी एसटी-3 विवरणी की विस्तृत संवीक्षा नहीं की गई थी।

भुवनेश्वर । कमिश्नरी में केवल एक विवरणी के संबंध में विस्तृत संवीक्षा की गई थी। हमने यह भी पाया कि जोखिम क्रम में विवरणियों की सूची बनाने के लिए एसीईएस मांड्यूल भी प्रचालन में नहीं थी और प्रणाली विस्तृत संवीक्षा हेतु किसी विवरणी का चयन नहीं कर रही थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने तथ्य स्वीकार कर लिया (दिसम्बर 2014) कि विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की पहचान के लिए एसीईएस मांड्यूल कार्यात्मक नहीं था। उन्होंने आगे सूचित किया कि हैदराबाद-॥ कमिश्नरी में बन्दरगाह सेवाओं के अन्तर्गत पंजीकृत सभी निर्धारिती श्रेणी क यूनिटें हैं जो वार्षिक लेखापरीक्षा के अध्यक्षीन हैं इसलिए

विस्तृत संवीक्षा अपेक्षित नहीं है। भुवनेश्वर । कमिश्नरी में प्रमुख सेवा प्रदाताओं की प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जाती है।

मंत्रालय उत्तर पैरा में उल्लिखित प्राथमिक संवीक्षा को पूरा न करने के संबंध में मौन है।

3.5.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा में कमी

सेवा कर लेखापरीक्षा नियमावली पुस्तक 2011 के अनुसार ₹ तीन करोड़ (श्रेणी क यूनिटें) से अधिक कर भुगतान करने वाली सेवा यूनिटों (वार्षिक) की अनिवार्य रूप से प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अलावा ₹ एक तथा तीन करोड़ के बीच सेवा कर भुगतान करने वाली यूनिटों की दो वर्ष (श्रेणी ख) में एक बार लेखापरीक्षा की जानी है।

(i) हमने पाया कि विशाखापत्तनम ॥ कमिश्नरी में मै. कईआई-आरएसओएस लिमि. की दिसम्बर 2011 के बाद लेखापरीक्षा नहीं की गई थी यद्यपि यह श्रेणी क यूनिट है।

(ii) गुन्दूर कमिश्नरी में मै. कृष्णापत्तनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड (केपीसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि निर्धारिती ने माल के लदान/उतराई में विलम्ब के लिए आयातकों को मई 2011 में क्रेडिट नोट जारी किए और दी गई बन्दरगाह सेवाओं के लिए प्रभारित राशियों के प्रति देय राशियां समयोजित कीं। इस प्रबन्ध के कारण क्रेडिट नोटों में उल्लिखित उन राशियों के बराबर राशियां और कुल ₹ 2.88 करोड़ सेवा कर को प्रभार्य सकल राशि में शामिल नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप ब्याज के साथ 35.20 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने ब्याज तथा शास्ति सहित ₹ 40.80 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि केपीसीएल श्रेणी 'क' यूनिट थी परन्तु 2011-12 तथा 2012-13 में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा उसकी लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। सेवाओं के करयोग्य मूल्य की गणना में त्रुटि ऐसी थी जिसे विस्तृत संवीक्षा के माध्यम से खोजा नहीं जा सकता था (क्योंकि एसटी-3 विवरणी फारमेट ब्यौरों जैसे समायोजित क्रेडिट नोट आदि को शामिल करने का प्रावधान नहीं करता है)।

सिफारिश सं.2

- हम सिफारिश करते हैं कि निर्धारिती द्वारा जारी तथा समायोजित क्रेडिट नोट के ब्यौरे संवीक्षा में मामले की खोज सरल करने के लिए एसटी-3 विवरणी शामिल किया जाए। वैकल्पिक रूप से क्रेडिट नोट के ब्यौरों का सत्यापन करने के लिए निर्देश विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2009 में सम्मिलित किए जाएं।

3.5.4 राजस्व के लम्बित बकाया

बोर्ड के परिपत्र दिनांक 1 जनवरी 2013 के अनुसार उन मामलों में जहां आयुक्त (अपील) अथवा सीईएसटीएटी के पास मूल आदेश के प्रति स्थगन आवेदन के साथ अपील दायर की जाती है वहां वसूली अपील दायर करने के 30 दिन के बाद यदि स्थगन नहीं दिया जाता है अथवा स्थगन की शर्तों, यदि कोई हो, के अनुसार स्थगन याचिका निपटान के बाद, जो भी पहले हो, सूचित की जानी है।

केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1994 की धारा 35ए की उपधारा 2क के अनुसार जहां स्थगन का आदेश अपील से सम्बन्धित किसी कार्यवाही में किया जाता है वहां अपीलीय न्यायाधिकरण को ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के अन्दर अपील का निपटान करना था यदि ऐसी अपील एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर नहीं निपटाई जाती है तो स्थगन आदेश उस अवधि की समाप्ति पर रद्द हो जाएगा।

तथापि मै. कुमार काटन मिल्स प्रा.लिमि. बनाम सीसीई अहमदाबाद {2005 (180) ई एलटी 434 (एससी)} के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि स्थगन निर्धारिती के नियंत्रण से बाहर कारणों से निपटान न करने के कारण एक सौ अस्सी दिनों के बाद स्वतः रद्द नहीं होता है और अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसे मामले में स्थगन को बढ़ा सकता है। मै. पीएमएल इण्डस्ट्रीज लिमि; बनाम सीसीई {2013 (4) टीएमआई 101-पी एण्ड एम उच्च न्यायालय} के मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निर्णय पर भरोसा करते हुए निर्णय दिया कि विभाग इस तथ्य कि मामले

के अन्तिमीकरण में विलम्ब निर्धारिती को आरोप्य है, के साक्ष्य पर एक सौ अस्सी दिनों के बाद स्थगन के रद्दीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।

हमने पाया कि 31 मार्च 2013 को विशाखापत्तनम-I,II, गुन्दूर तथा हैदराबाद II कमिश्नरियों में बकाया के रूप में लम्बित ₹ 45.21 करोड़ वाले 21 मामले थे जहां स्थगन आवेदन 30 दिनों से अधिक से आयुक्त (अपील) तथा सीईएसटीएटी के पास लम्बित है। तथापि इन बकायों की वसूली प्रक्रिया अभी तक विभाग द्वारा आरम्भ नहीं किया गया है।

हमने यह भी पाया कि ₹ 159.67 करोड़ के राजस्व वाले विशाखापत्तनम- I तथा II कमिश्नरियों में 22 मामलों में सीईएसटीएटी ने बकायों की वसूली स्थगित कर दी। हमने पाया कि इन सभी मामलों में 6 माह की अवधि पहले ही समाप्त हो गई थी। तथापि विभाग ने उपयुक्त मामलों में स्थगन के रद्दीकरण हेतु आवेदन दायर करने के लिए इन मामलों की समीक्षा आरम्भ नहीं की थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि विशाखापत्तनम II कमिश्नरी में ₹ 1.78 करोड़ वसूल कर लिया गया था और उपर्युक्त मामलों में शीघ्र सुनवाई याचिका दायर की गई है। स्थगन रद्द कराने के लिए गुन्दूर कमिश्नरी में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आगे सूचित किया कि हैदराबाद कमिश्नरी में पार्टियां अपील के अधीन हैं और सीईएसटीएटी द्वारा स्थगन दिया गया है।

सिफारिश सं. 3

➤ एक सौ अस्सी दिन बाद स्थगन के रद्दीकरण से सम्बन्धित मैं. कुमार काटन मिल्स प्राई. लिमि. वनाम सीसीई अहमदाबाद {(180) ईएलटी 434 (एससी)} के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत केन्द्रीय उत्पाद अधिनियम 1994 की धारा 35ग (2क) को संशोधित करने पर बोर्ड विचार करे।

3.6 अनुपालन मामले

हमने चयनित निर्धारिती बन्दरगाहों तथा अन्य बन्दरगाह सेवा प्रदाताओं से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच की। सांविधिक प्रावधानों, सेनवेट सम्बन्धित

मामलों, झूटों के गलत प्राप्त करने कुछ अननुपालन के मामले जो हमने अभिलेखों की जांच के दौरान देखे, नीचे उल्लिखित हैं:

3.6.1 अपफ्रंट रेंटल फीस/किराया आय की रियायती फीस पर सेवा कर का गैर/कम भुगतान

धारा 68 के अनुसार किसी व्यक्ति को कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति धारा 66ख (अथवा पूर्व धारा 66) में निर्धारित दर पर सेवा कर अदा करेगा।

1 जुलाई 2012 से पूर्व धारा 65 (90क) में यथा परिभाषित 'अचल सम्पत्ति किराए पर देना' में अन्य के साथ किराए पर देना, भाड़े पर देना, पट्टा करना, लाईसेंस करना अथवा इस दौरान उपयोग हेतु अचल सम्पत्ति के अन्य समान प्रबन्ध अथवा उनमें निर्धारित कुछ अपवादों के अध्यक्षीन कारबार अथवा वाणिज्य को प्रोत्साहन शामिल किया गया। 1 जुलाई 2012 से "अचल सम्पत्तियों को किराए पर देने" को वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66ड में निर्दिष्ट सूची "घोषित सेवाएं" के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

बोर्ड का परिपत्र दिनांक 27 जुलाई 2005 स्पष्ट करता है कि जब किसी सेवा के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त किया जाता है जो भुगतान की प्राप्ति के समय पर कर योग्य नहीं है परन्तु सेवा का प्रावधान करने के दौरान करयोग्य हो जाती है तब ऐसा भुगतान दो अवधियों के बीच उचित रूप से बांटा जाना होता है और केवल सेवा के करयोग्य सेवा होने पर अथवा उसके बाद दी गई सेवा के भाग सेवा कर के लिए दायी है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(90क) के अन्तर्गत व्याख्या 2 स्पष्ट करती है कि इस खण्ड के प्रयोजन हेतु 'अचल सम्पत्ति किराए पर देना' कथित अचल सम्पत्ति का अधिकार अथवा नियंत्रण के हस्तान्तरण का ध्यान किए बिना किसी अचल सम्पत्ति के स्थान के उपयोग स्वीकार करना अथवा की अनुमति देना शामिल करता है। इसके अलावा बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 10 फरवरी 2012 में स्पष्ट किया कि बिल्ड-आपरेट-ट्रांसफर (बीओटी) परियोजनाओं में सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति किराए पर देना एक सेवा है

और उसके लिए प्राप्त प्रतिफल पर सरकार अथवा उसकी एजेंसी द्वारा सेवा कर देय है।

(i) हमने पाया कि 2008-09 के दौरान मै. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट ने मै. एचपीसीएल से ₹ 201.98 करोड़ तथा मै. राष्ट्रीय केमीकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड से ₹ 7.64 करोड़ की राशि क्रमशः 248.18 एकड़ तथा 10 एकड़ भूमि के पट्टा किराया के प्रति अपफ्रंट फीस के रूप में प्राप्त की।

ये अपफ्रंट फीसें दी जाने वाली सेवाओं के लिए सेवा प्रापक से प्राप्त अग्रिम की प्रकृति में थीं और कार्यकलाप के करयोग्य होने के समय से अर्थात् 1 जुलाई 2010 से सेवा कर लगाया जाना था। इसके परिणामस्वरूप इन दो लेनदेनों के संबंध में ₹ 19.24 करोड़ तथा ₹ 72.37 लाख के सेवा कर की अदायगी नहीं हुई।

इसके अलावा वीपीटी ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु किराया/पट्टे पर बन्दरगाह क्षेत्र का कुछ भाग पट्टे पर दिया था और सम्पदा किराया आय प्राप्त की थीं। हमने पाया कि यद्यपि ऐसी राशियों की प्राप्ति पर वीपीटी सेवा कर भुगतान कर रहा था परन्तु कुछ उदाहरणों में यह ₹ दो करोड़ की सेवा कर देयता निभाने में विफल हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ दो करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और 26.27 करोड़ वसूल कर लिए।

(ii) आंध्र प्रदेश सरकार तथा कृष्णापत्तनम पोर्ट कम्पनी लिमिटेड (केपीसीएल) नेल्लोर ने बिल्ड, आपरेट तथा हस्तान्तरण (बीओटी) आधार पर कृष्णापत्तनम बन्दरगाह के विकास के लिए 2004 में पीपीपी अनुबंध किया आंध्र प्रदेश बन्दरगाह सीमा के अन्दर निर्दिष्ट भूमि तथा वाटर फ्रंट की थी। अनुबंध के अनुसार केपीसीएल को 6.5 की वृद्धि के साथ आंध्र प्रदेश सरकार को भूमि के उचित बाजार मूल्य के 2 प्रतिशत की दर पर परिकल्पित वार्षिक पट्टा प्रभारों का भुगतान करना था। जलमग्न भूमि तथा जल क्षेत्र के संबंध में केपीसीएल को पट्टा अवधि के दौरान प्रति 1000 एकड़ ₹ 1 प्रतिवर्ष की दर पर पट्टा प्रभारों का भुगतान करना था। इसके अतिरिक्त ग्राही(केपीसीएल) को

ऐसी भूमि का उपयोग अथवा विकास करने के अधिकार के लिए आंध्र प्रदेश सरकार को सकल आय की प्रतिशतता के रूप में अनुदान फीस का भुगतान करना था। अनुदान फीस की दर पहले 30 वर्षों के लिए 2.6 प्रतिशत की दर पर निर्धारित की गई थी। इस प्रकार आंध्र प्रदेश सरकार यद्यपि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान केपीसीएल से प्राप्त ₹ 3.69 लाख के पट्टा प्रभारों तथा ₹ 70.62 करोड़ की अनुदान फीस पर सेवा कर का भुगतान करने की दायी थी परन्तु ऐसा करने में विफल हो गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 7.77 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो आंध्र प्रदेश सरकार की नोडल एजेंसी अर्थात् पोर्ट ऑफीसर, मछलीपट्टनम से वसूली योग्य है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि पोर्ट ऑफीसर, मछलीपट्टनम को ₹ 7.58 करोड़ का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

3.6.2 सेनवेट क्रेडिट

कर योग्य सेवाएं देने वाला सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4 के अनुसार प्रयोज्य सामग्री और पूंजीगत माल पर प्रदत्त उत्पाद शुल्क और किसी इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर का क्रेडिट प्राप्त कर सकता है। क्रेडिट का कुछ शर्तों को पूरा करने के अध्यक्षीन सेवा कर के भुगतान के प्रति उपयोग किया जा सकता है।

3.6.2.1 करयोग्य तथा कर मुक्त सेवा के लिए अलग लेखा का अनुरक्षण न करना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(1) विचार करता है कि सेनवेट क्रेडिट इनपुट अथवा इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर अनुमत नहीं होगा जो कर मुक्त माल के विनिर्माण में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए उपयोग की जाती है।

करयोग्य तथा कर मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अलग लेखें अनुरक्षित करने में विफल सेवा प्रदाता के मामले में नियम 6(3) के अनुसार निर्धारिती उसको यथा लागू निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा, नामतः-

- (i) माल का विनिर्माता कर मुक्त माल अथवा करमुक्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा

(ii) माल का विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त माल के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री अथवा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

गुन्टूर कमिश्नरी में मै. केपीसीएल के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि यद्यपि निर्धारिती ने 2012-13 में करयोग्य तथा कर मुक्त दोनों सेवाएं प्रदान की थीं परन्तु उसने अलग लेखे नहीं बनाए थे। निर्धारिती ने 2012-13 के दौरान ₹ 47.84 करोड़ की कर मुक्त सेवाएं दी थीं परन्तु ना तो कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के 6 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2.87 करोड़ का भुगतान अथवा उपलब्ध अन्य विकल्प का पालन किया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कारण बताओ नोटिस प्रक्रियाधीन हैं।

3.6.2.2 पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना

(i) पूंजीगत माल के संबंध में पूंजीगत माल के मूल्य के उस भाग के संबंध में स्वीकार्य नहीं है जो ऐसे पूंजीगत माल पर शुल्क की राशि का द्योतक है, जिसे आउटपुट सेवा का विनिर्माता अथवा प्रदाता सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 4(4) के तहत मूल्यह्रास (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 32 के अन्तर्गत) के रूप में दावा करता है। नियम 14 के अनुसार जहां सेनवेट क्रेडिट गलत प्रकार लिया/उपयोग किया गया है वहां यह ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा।

गुन्टूर कमिश्नरी में मै. जैम इंजी. एण्ड लॉजिस्टिक्स प्रा.लिमि. ने पूंजीगत माल अर्थात् कैटरपिलर्स का 2010-11 के दौरान आयात किया था और प्रतिकारी शुल्क सहित मूल्य पर आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यह्रास का लाभ लिया। तथापि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹ 93.05 लाख का गलत सेनवेट क्रेडिट लिया गया था और आगे सेवा कर के भुगतान हेतु उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत माल पर ₹ 40.98 लाख के ब्याज सहित ₹ 1.34 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ

लिया गया। इसके अलावा यद्यपि इस अवधि के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु यह चूक खोजी नहीं गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि कारण नोटिस प्रक्रियाधीन है।

सिफारिश सं. 4

➤ चूंकि सीवीडी की देखरेख सीबीईसी द्वारा की जाती है अतः सिफारिश की जाती है कि सीबीडी को केवल सेनवेट क्रेडिट के रूप में अनुमत किया जाए और ऐसे दृष्टांतों को होने से रोकने के लिए मूल्यहास केवल पूंजीगत माल (सीवीडी को छोड़कर) के निवल मूल्य पर अनुमत किया जाए।

(ii) “पूंजीगत माल” अभिव्यक्ति को सेनवेट नियमावली 2004 के नियम 2(क) में परिभाषित किया गया है। बोर्ड के परिपत्र दिनांक 08 जुलाई 2010 के अनुसार पूंजीगत माल की मरम्मत तथा अनुरक्षण हेतु प्रयुक्त प्रयोज्य सामग्री के क्रेडिट स्वीकार्य नहीं है और ‘नींव’ डालने और ‘अवलम्ब ढांचे’ बनाने के लिए प्रयुक्त सीमेंट तथा इस्पात मर्दों जैसी वस्तुओं को या तो पूंजीगत माल के लिए प्रयोज्य सामग्री के रूप में अथवा अन्तिम उत्पादों के संबंध में प्रयोज्य सामग्री के रूप में माना नहीं जा सकता है और इसलिए उन पर प्रदत्त शुल्क का कोई क्रेडिट सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत अनुमत नहीं किया जा सकता है।

विक्रम सीमेंट वनाम सीसीई इन्दौर {2005(187) ईएलटी 145 (एससी)} के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निर्णय दिया गया है कि पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा सम्मिलित नहीं है और केवल परिभाषा के अन्तर्गत शामिल तथा विनिर्माता की फैक्टरी में प्रयुक्त मर्दें पूंजीगत वस्तुओं के रूप में मानी जा सकती है।

मै. वीपीटी के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि उनको पूंजीगत वस्तुएं मानकर वस्तुओं यथा रेल, रेल स्लीपर, फिशफ्लेट, एमएस वोल्ट, प्लेट्स, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आदि पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था। इसके

परिणामस्वरूप ₹ 38.16 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लिया गया।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तक मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि ₹ 17.27 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और राशि के लिए रक्षात्मक एससीएन तैयारी के अधीन है।

3.6.3 अपात्र सेवाओं पर अनियमित सेनवेट क्रेडिट लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियमावली 2011 जो 1 अप्रैल 2011 से लागू हुए नियम 2(V) के अनुसार 'इनपुट सेवा' आउटपुट सेवा देने के लिए करयोग्य सेवा के प्रदाता द्वारा प्रयुक्त सेवाओं के रूप में परिभाषित की जाती है और उनको बाहर रखती है जो आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य सेवाओं, कास्मेटिक तथा प्लास्टिक सर्जरी, किसी क्लब की सदस्यता, स्वास्थ्य तथा स्वस्थता केन्द्र, जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और छुट्टी पर कर्मचारियों को दिए गए यात्रा लाभ जैसे छुट्टी अथवा गृह यात्रा रियायत जब ऐसी सेवाएं व्यक्तिगत उपयोग अथवा किसी कर्मचारी की खपत के लिए प्राथमिक रूप से उपयोग की जाती हैं।

इसके अलावा " इनपुट सेवाएं" भी सामान्य बीमा, प्राधिकृत सेवा केन्द्र सेवाएं, अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति, जहां तक वे मोटर वाहन के सम्बन्धित हैं जब करयोग्य सेवाओं, जिनके लिए पूंजीगत माल के रूप में मोटर वाहन पर क्रेडिट उपलब्ध है को छोड़कर, को बाहर रखती हैं। सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में सेवाओं की सूची अनुबद्ध की गई है जिनके लिए मोटर वाहन पूंजीगत वस्तुओं की परिभाषा के अन्तर्गत शामिल किया जा सकता है। बन्दरगाह सेवाएं उस विशिष्ट सूची में सम्मिलित नहीं होती हैं। बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 अप्रैल 2011 विशेष रूप से " रेंट-ए-कैब" सेवा कर सेनवेट क्रेडिट अस्वीकृत करता है।

हमने सात मामलों में अपात्र सेवाओं पर 1.69 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया जाना देखा उनमें से एक मामला उदाहरणस्वरूप नीचे दिया गया है:-

गुन्दूर कमिश्नरी में मै. केपीसीएल ने उपर्युक्त नियमों के अनुसार 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मोटर वाहन, प्राधिकृत सेवा केन्द्र सेवाओं सामान्य बीमा सेवाओं, अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति, रेंट ए कैब, कम अवधि के लिए आवास, हेलीकॉप्टर किराया प्रभार आदि के संबंध में सेवाओं पर सेनवेट पर सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया था, ये सेवाएं सेनवेट क्रेडिट प्रयोजनों हेतु अस्वीकार्य हैं। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.46 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लेना हुआ। यद्यपि केपीसीएल श्रेणी 'क' यूनिट है, परन्तु इसकी 2011-12 तथा 2012-13 में आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तक मंत्रालय के सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती द्वारा भेजी गई सूचना के सत्यापन के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

3.6.4 कारबार सहायक सेवाओं के आयात पर सेवा कर का कम भुगतान

सेवा कर (मूल्य का निर्धारण) नियमावली 2006 का नियम 7 विचार करता है कि धारा 66क के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त कर योग्य सेवा का मूल्य ऐसी राशि होगा जो दी गई अथवा दी जाने वाली सेवाओं के लिए प्रभारित वास्तविक प्रतिफल के बराबर है।

गुन्दूर कमिश्नरी में मै. केपीसीएल के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कारबार प्रोत्साहन, पूंजीगत व्यय, अन्य खर्चों, व्यावसायिक प्रभारों तथा यात्रा खर्चों की सेवाओं के लिए सेवा प्रदाताओं को विदेशी मुद्रा में किए गए भुगतान पर सेवा कर अदा किया गया था। तथापि सेवा कर लागू दरों पर सेवाओं के सकल मूल्य पर संगणित करने के स्थान पर सेवा कर को मिलाकर के रूप में प्रदत्त राशि मानकर संगणित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 10.94 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ब्याज तथा शास्ति सहित ₹ 11.88 लाख का भुगतान कर दिया था।

3.6.5 प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68(2) के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी कर योग्य सेवा के संबंध में उन पर सेवा कर ऐसी रीति में ऐसे व्यक्ति द्वारा अदा किया जाएगा जैसा निर्धारित किया जाए और ऐसे व्यक्ति को सभी प्रावधान लागू होंगे मानों वह सेवा कर भुगतान करने का दायी व्यक्ति है। केन्द्र सरकार ने नया आंशिक प्रतिलोम प्रभार तन्त्र अधिसूचित किया था जिसके अन्तर्गत कुछ सेवाओं के संबंध में सेवा कर अदा करने की देयता और निर्धारित प्रतिशतताओं के अनुसार 1 जुलाई 2012 से अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी दिनांक 20 जून 2012 के तहत सेवा प्राप्त कर्ता की होती है। हमने निम्नलिखित मामलों में प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर की गैर अदायगी देखी:

3.6.5.1 कार्य ठेका पर

बोर्ड ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 में बन्दरगाह से सम्बन्धित मूल कार्यों के निर्माण, उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के रूप में सेवाओं को कर मुक्त किया। सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के नियम 2(क) में यथा परिभाषित “मूल्य कार्य” का अर्थ है:

- (i) सभी नए निर्माण;
- (ii) भूमि पर परित्यक्त अथवा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के सभी प्रकार के परिवर्धन तथा परिवर्तन जो उन्हें कार्ययोग्य बनाने के लिए अपेक्षित हैं;
- (iii) संयंत्र, मशीनरी अथवा उपकरण अथवा संरचनाओं का उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा उत्थापन चाहे पूर्व निर्मित अथवा अन्यथा;

इसलिए बन्दरगाह से सम्बन्धित मूल कार्यों को छोड़कर कार्य ठेकों से सम्बन्धित सभी निर्माण 1 जुलाई 2012 से कर योग्य होगा।

विशाखापतनम-। कमिश्नरी में मै. वीपीटी तथा मै. विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्रा. लि. ने मूल कार्यों को छोड़कर निर्माण कार्यों के लिए 1 जुलाई 2012 के बाद सेवाएं प्राप्त की थीं। तथापि प्रतिलोम प्रभार के अन्तर्गत ₹ 52.18 लाख का सेवा कर उनके द्वारा अदा नहीं किया गया था।

इसके अलावा हमने पाया कि यद्यपि इस अवधि के लिए मै. विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्रा. लि. के संबंध में आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु इस पहलू का उल्लेख नहीं किया गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और मै. विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्रा. लि. से ₹ 0.61 लाख की वसूली सूचित की और आगे सूचित किया कि अभिलेखों की जांच के बाद मै. विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट को कारण बताओं नोटिस जारी किया जाएगा।

3.6.5.2 सरकार से प्राप्त सहायता सेवाओं पर

एक संगठन द्वारा दूसरे को प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी देने का कार्यकलाप अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 द्वारा 1 जुलाई 2012 से सहायता सेवाओं की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

विशाखापत्तनम-। कमिश्नरी में मै. वीपीटी तथा भुवनेश्वर-। कमिश्नरी में पारादीप पोर्ट ट्रस्ट (पीपीटी) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कुछ अधिकारी/स्टाफ ने केन्द्र/राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति आधार पर सेवा की थी। जुलाई 2012 से अगस्त 2013 के बीच दोनों निर्धारितियों द्वारा प्राप्त ऐसी सेवाओं का मूल्य ₹ 1.13 करोड़ बनता था। तथापि प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत ऐसी सेवा पर सेवा कर देयता उनके द्वारा निभाई नहीं गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 14.01 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

3.6.5.3 मोटर वाहन के किराए पर

अधिसूचना दिनांक 20 जून 2012 के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर किसी व्यक्ति जो सदृश कारबार में नहीं लगा है, को यात्री ढोने के लिए नामित मोटर वाहन के किराए के रूप में सेवाएं देने अथवा दिए जाने को सहमत सेवाओं के संबंध में सेवा पाने वाले द्वारा अदा किया जाना है। अधिसूचना सं.26/2012 मोटर वाहन के किराए पर 60 प्रतिशत के उपशमन

का प्रावधान करती है। प्रावधान न किया गया सेनवेट क्रेडिट इनपुट, इनपुट सेवाओं तथा पूंजीगत वस्तुओं पर लिया जाता है। क्या उपशमन का दावा किया गया अथवा नहीं, का ध्यान दिए बिना सेवा प्राप्त कर्ता सेवा प्रदाता को प्रदत्त मूल्य के 40 प्रतिशत पर सेवा कर वहन करने का दायी होगा।

विशाखापत्तनम-। कमिश्नरी में मै. वीपीटी तथा मै. बोथरा शिपिंग सर्विसेज लि. और विशाखापत्तनम-॥ कमिश्नरी में मै. काकीनाडा मैरीन एण्ड आफशोर काम्पलेक्स ने जुलाई 2012 से मार्च 2013 तक की बीच की अवधि के दौरान अलग-अलग प्राइवेट आपरेटरों से ₹ 2.22 करोड़ की राशि का “मोटर वाहन सेवा का किराया” प्राप्त किया था। तथापि उनके द्वारा ₹ 10.96 लाख का सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और एक मामले में ₹ 0.50 लाख की वसूली सूचित की और सूचित किया कि अन्य मामले में कारण बताओं नोटिस तैयारी के अधीन है (दिसम्बर 2014)।

3.6.6 ब्याज देयता की पूर्ति

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अनुसार सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति जो इसे निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को क्रेडिट करने में विफल रहता है, अवधि जिस तक ऐसे क्रेडिट करना विलम्बित है, के लिए साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

कराधान का बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 3(क) के अनुसार कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा का बीजक जारी किया जाता है बशर्ते जहां कि सेवा के प्रावधान की समाप्ति के चौदह दिन के अन्दर बीजक जारी नहीं किया जाता है वहां कराधान का बिन्दु ऐसी समाप्ति की तारीख होगी।

विशाखापत्तनम-। कमिश्नरी में मै. साउथ इण्डिया कार्पोरेशन लि. (एसआईसीएल) के अभिलेखों की संवीक्षा पर हमने पाया कि कुछ मामलों में निर्धारिती ने सेवा के प्रावधान की समाप्ति के 30 दिनों के अन्दर बीजक जारी नहीं किए थे। ऐसे बीजकों पर सेवा कर देयता कराधान के बिन्दु के रूप में

बीजक जारी करने को लेकर पूरी की गई थी जो कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के अनुसार चलने पर सही नहीं थी। इसलिए ₹ 12.33 लाख का ब्याज वसूली योग्य था।

हमने विशाखापत्तनम-1 तथा गुन्डूर कमिश्नरियों में तीन अन्य मामलों में भी पाया कि निर्धारितियों ने न तो अपनी ब्याज देयता पूरी की और न ही विभाग ने ब्याज वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ की। इसके परिणामस्वरूप ₹ 31.91 लाख का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और तीन मामलों में ₹ 20.11 लाख की वसूली सूचित की और एक मामले में कारण बताओं नोटिस तैयारी के अधीन है।

3.7 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किए गए उदाहरणों के अलावा सेवा कर अदा न करने, छूट का अनियमित लाभ लेना, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना/उपयोग, ₹ 58.67 लाख के ब्याज का भुगतान न करने की अन्तर्ग्रस्तता के 39 मामले भी देखे गए थे। मंत्रालय ने 33 मामलों में आपत्तियां स्वीकार कर ली और ₹ 53.91 लाख की वसूली सूचित की।

3.8 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का मत है कि संवीक्षा तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा आदि के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जैसे क्षेत्रों में सीबीईसी के क्षेत्रीय कार्यालयों का निष्पादन को सरकार को न पहुँच रहे राजस्व का जोखिम निम्नतम करने के उद्देश्य से सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय IV

मण्डप पालक की सेवाओं पर सेवा कर देयता

4.1 प्रस्तावना

मण्डप पालक की सेवाएं अधिसूचना सं.19/1997-दिनांक 26 जून 1997 के माध्यम से 1 जुलाई 1997 से सेवा कर जाल में आई। वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से यथा लागू) की धारा 65 'कर योग्य सेवा' को ऐसे उपयोग के संबंध में किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली सुविधाओं और भोजन प्रबन्ध के रूप में दी गई अथवा दी जाने वाली सेवाओं यदि कोई हो, सहित किसी रीति में मण्डप के उपयोग के संबंध में मण्डप पालक द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली किसी सेवा के रूप में 'कर योग्य सेवा' परिभाषित करती है।

जुलाई 2012 से वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66बी के अनुसार एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को कर योग्य क्षेत्र में दी गई अथवा दिए जाने को सहमत सभी सेवाओं, ऋणात्मक सूची में निर्धारित सेवाओं को छोड़कर, का अर्थ 'कर योग्य सेवा' से है।

4.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

हमने यह सुनिश्चित करने कि मण्डप पालक सेवाएं देने वाले प्रदाताओं से भारत सरकार को देय सेवा कर वास्तव में सरकार को पहुँच रहा था, के लिए गुजरात तथा राजस्थान में स्थापित तन्त्र की पर्याप्तता की जांच की। इस संबंध में लेखापरीक्षा निम्न निर्धारित करने के लिए की गई थी

- i. क्या कानून, नियमों के वर्तमान प्रावधान और निर्धारित कार्यविधियां पर्याप्त थीं और उनका पालन किया जा रहा है, क्या अनुपालन सत्यापन तन्त्र निर्धारितियों द्वारा अनुपालन मॉनीटर करने के लिए पर्याप्त था;

- ii. क्या सेवा कर उदग्रहण के लिए सम्भावित सेवा प्रदाताओं की पहचान करने और कर जाल में लाने के लिए पर्याप्त तन्त्र था; और
- iii. क्या प्रभावी मॉनीटरिंग तथा आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र था।

4.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने इस लेखापरीक्षा¹⁶ करने के दौरान गुजरात तथा राजस्थान में कमिश्नरियों के अन्तर्गत रेजों/मण्डलों में और निर्धारित परिसरों में उपलब्ध सुसंगत अभिलेखों की जांच की/जबकि विस्तार में अध्ययन करने के दौरान 6 कमिश्नरियां शामिल की गई थीं वहीं उन पहलूओं को भी शामिल किया था जो लेखापरीक्षा जांच करने के दौरान अन्य कमिश्नरियों के सम्बन्ध में हमारे ध्यान में आए।

कवर की गई अवधि 2010-11 से 2012-13 थी। तथापि मामले (लों) के महत्व के आधार पर कुछ दृष्टान्तों में पूर्व अवधि भी कवर की गई है। हमने मसौदा प्रतिवेदन जुलाई 2014 में मंत्रालय को जारी किया।

4.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमने सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लेने/उपयोग, ब्याज का भुगतान न करने आदि के मामले देखे जिनमें ₹ 9.17 करोड़ का वित्तीय निहितार्थ है। विभाग ने ₹ 6.82 करोड़ की वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर लीं (दिसम्बर 2014) और ₹ 15.85 लाख वसूल कर लिए। प्रमुख निष्कर्षों पर नीचे चर्चा की गई है:

क. कानून, नियमों, कार्यविधियों के प्रावधानों की पर्याप्तता और अनुपालन

4.4.1 मण्डप पालक सेवाओं के अन्तर्गत पंजीकरण-शास्त्रि प्रावधानों का पालन न करना

सेवा कर अदा करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति तारीख जिससे सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा

¹⁶ अहमदाबाद एसटी, राजकोट, बड़ोदरा-I, सूरत-I, जयपुर-I और जयपुर-II कमिश्नरियों में 38 निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की गई थी।

69 द्वारा वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत सेवा कर उदग्रहीत हो जाता है, से तीस दिनों के अन्दर पंजीकरण हेतु फार्म एसटी-1 में सम्बन्धित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को आवेदन करेगा। यदि कारबार का आरम्भ सेवा कर के उदग्रहण की तारीख के बाद है तब आवेदन कारबार के आरम्भ की तारीख से तीस दिनों के अन्दर किया जाना है।

कोई व्यक्ति जो उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार पंजीकरण लेने में विफल रहता है, शास्ति भुगतान करने का दायी होगा जो ₹ 5,000 (8 अप्रैल 2011 से ₹ 10,000) तक बढ़ायी जा सकती है अथवा ₹ 200 प्रतिदिन के लिए जिसके दौरान विफलता जारी रहती है जो भी नियत तारीख के बाद पहले दिन से आरम्भ कर वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(क) के अन्तर्गत वास्तविक अनुपालन की तारीख तक अधिक हो।

हमने देखा कि कमिश्नरियां इस प्रावधान का उपयोग अपर्याप्त रूप से करती हैं। उन मामलों में भी जहां पंजीकरण में विलम्ब हुआ था, इस प्रावधान का रेजों द्वारा विरले ही आश्रय लिया जाता है। उदाहरणार्थ जयपुर-। कमिश्नरी में एक सेवा प्रदाता मै. क्षीर सागर डवलपर्स प्रा. लि. ने 48 दिनों के विलम्ब के साथ पंजीकरण हेतु आवेदन किया। कमिश्नरी ने विलम्बित पंजीकरण के प्रति कोई शास्तिक कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013), तब कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2013) और बताया कि शास्तिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

सिफारिश सं.5

- मंत्रालय विवरणियां विलम्ब दाखिल करने के लिए विलम्ब शुल्क से सम्बन्धित वित्त अधिनियम की धारा 70 में सांविधिक प्रावधान के अनुरूप पंजीकरण में विलम्ब के मामलों में विलम्ब शुल्क का खण्ड लागू करने पर विचार करें।

4.4.2 अनुपालन सत्यापन तन्त्र में अपर्याप्तताएं

कमिश्नरियों तथा अधीनस्थ कार्यालयों जैसे मण्डल रेंज को आन्तरिक लेखापरीक्षा करने और विवरणियों की विस्तृत संवीक्षा करने के लिए विभाग द्वारा निर्धारित प्रतिमानों का पालन करना है। एक प्रभावशाली अनुपालन

सत्यापन तन्त्र रैंजों द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा आदि जैसे स्थापित किसी अनुपालन सत्यापन तन्त्र के माध्यम से निर्धारितियों द्वारा अपवंचनों की खोज करेगा। हमने यह आश्वासन, कि सरकार को देय राजस्व वास्तव में सरकार को पहुँच रहा था, प्राप्त करने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने कि निर्धारितियों की ओर से चूकों को उजागर करने के लिए स्थापित प्रणालियां काफी शक्तिशाली थीं, के लिए चयनित निर्धारितियों के अभिलेखों की जांच की। तथापि निम्नलिखित मामलों में देखा कि कमिश्नरियों/उनके अधीनस्थ कार्यालयों ने वित्तीय निहितार्थ वाली निर्धारितियों की ओर से निम्नलिखित चूकों को या तो आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रक्रिया के माध्यम से अथवा संवीक्षा के माध्यम से खोजा नहीं गया था।

4.4.2.1 सेवा कर का भुगतान न करना

अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी का एक निर्धारिती के अभिलेखों की जांच के दौरान हमने वित्तीय अभिलेखों से देखा कि निर्धारिती ने 2008-09 से 2012-13 की अवधि के लिए कंकरिया क्षेत्र के “पिकनिक हाउस” से प्राप्त ₹ 2.59 करोड़ की किराया आय पर ₹ 28.66 लाख का सेवा कर अदा नहीं किया था। इसके अलावा निर्धारिती ने प्रदर्शनियों तथा अन्य मण्डप पालक सेवाओं के लिए अपनी सम्पत्ति (संस्कार केन्द्र संग्रहालय पाल्दी) देने के लिए ₹ 44.04 लाख की आय भी अर्जित की थी जिस पर ₹ 4.83 लाख का सेवा कर अदा नहीं किया गया था। इस मामले में सेवा कर की कुल गैर अदायगी ₹ 33.49 लाख बनी जो लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूली योग्य है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब कमिश्नरी ने बताया (जून 2014) कि ₹ 33.49 लाख के सेवा कर की मांग करते हुए निर्धारिती के कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था (अक्तूबर 2013)।

4.4.2.2 मण्डप पालकों द्वारा दी गई अन्य सेवाओं पर सेवा कर भुगतान न करना

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में एक पंजीकृत सेवा प्रदाता मै. सिन्धु सेवा समाज के निर्धारिती परिसरों में वित्तीय अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि

निर्धारिती ने अक्टूबर 2009 से दिसम्बर 2013 तक की अवधि के दौरान मै. भगवती बैंकटस एण्ड होटल्स लि. के साथ अनुबन्ध किया था। अनुबन्ध के अनुसार पूर्ववर्ती ने निर्धारिती के परिसरों में आयोजित किए जाने वाले उनके कार्यक्रमों के किराएदारों के लिए साजसज्जा तथा भोजन व्यवस्था देने के लिए मै. भगवती बैंकटस को अनुमति दी। निर्धारिती ने प्रतिफल के रूप में मै. भगवती बैंकटस एण्ड होटल्स लि. से निर्धारित प्रभार संग्रहीत किए और इस प्रकार 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ₹ 1.50 करोड़ की आय अर्जित की। चूँकि यह कार्यकलाप वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(19) के अन्तर्गत यथा परिभाषित “कारबार सहायक सेवाओं” का प्रावधान बनता है इसलिए सेवा कर देयता पूरी की जानी थी। तथापि निर्धारिती ने प्रत्यक्ष कर ₹ 16.83 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया जो लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूल किया जाना है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब कमिश्नरी ने ब्याज तथा शास्ति सहित ₹ 35.68 लाख का निर्धारिती को मांग पत्र जारी किया (अक्टूबर 2013)। निर्धारिती ने ₹ 2.58 लाख का आंशिक भुगतान कर दिया था।

4.4.2.3 एसटी-3 विवरणियों में घोषित आंकड़ों तथा वित्तीय अभिलेखों में उल्लिखित आंकड़ों के बीच बेमेल होना

अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी में 5 दृष्टान्तों तथा जयपुर-॥ कमिश्नरी में कमिश्नरी में 1 में निर्धारिती अभिलेखों की जांच ने दर्शाया कि वित्तीय अभिलेखों में प्रति सेवाओं का करयोग्य मूल्य एसटी-3 विवरणियों की अपेक्षा काफी अधिक था। करधान बिन्दु नियमावली 2011 के आरम्भ से अवधि के दौरान यह स्थिति जारी थी। सेवा कर विवरणियों में चित्रित निम्नतर आंकड़े अपर्याप्त अनुपालन सत्यापन को आरोप्य राजस्व का रिसाव दर्शाते हैं। हमने देखा कि ये चूकें या तो आन्तरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से अथवा निर्धारिती अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से खोजे नहीं गए थे।

उदाहरण के लिए हमने देखा कि यद्यपि अहमदाबाद निगम (एमसी) स्पष्टतया एक प्रमुख राजस्व अंशदाता था और वार्षिक अथवा दो वर्षों में कम से कम एकबार आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा कवर किया गया था परन्तु सेरा द्वारा कवर की गई सम्पूर्ण अवधि के दौरान कोई आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी।

जब हमने इन चूकों का उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब अहमदाबाद एसटी कमिश्नरी ने सेवा कर की मांग कर सभी मामलों में कारण बताओं नोटिस जारी किया (अक्टूबर 2013)। मै. स्वागत केटरर्स प्रा. लि. के मामले में कमिश्नरी ने सूचित किया कि निर्धारिती ने विभेदक सेवा कर अदा कर दिया।

हमें जयपुर-॥ कमिश्नरी से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा (दिसम्बर 2014) है।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है।

4.4.2.4 सेवा कर का कम भुगतान

सीबीईसी ने परिपत्र दिनांक 24 सितम्बर 1997 द्वारा स्पष्ट किया कि होटल तथा रेस्टोरेंट, जो किसी शादी, सम्मेलन, पार्टियों, प्रदर्शनी आदि आयोजित करने/आयोजन करने के लिए कमरों, बगीचों आदि के साथ अपने हाल किराए पर देते हैं, 'मण्डप पालक सेवाओं' की परिभाषा के अन्तर्गत कवर होंगे। अधिसूचना सं.1/2006(एसटी) दिनांक 1 मार्च 2006 और बाद की अधिसूचना सं.26/2012(एसटी) दिनांक 20 जून 2012 ने 30 जून 2012 तक 40 प्रतिशत की दर पर और उसके बाद सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारित सकल राशियों के 30 प्रतिशत की दर पर मण्डप पालक सेवा के संबंध में उपशमन का प्रावधान किया। वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 (105)(ड.) कर योग्य सेवा को ऐसे उपयोग के संबंध में किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली सुविधाओं और भोजन व्यवस्था के रूप में दी गई अथवा दी जाने वाली सेवाएं भी यदि कोई हो सहित किसी रीति में मण्डप के उपयोग के संबंध में मण्डप पालक द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दिए जाने के रूप में -कर योग्य सेवा' परिभाषित करती है।

जहाँ एलसीडी, प्रोजेक्टर्स, फोटोग्राफी, वीडियो शूटिंग आदि जैसी सुविधाएं मण्डप के उपयोग के संबंध में मण्डप पालक द्वारा दी जाती हैं और इन सुविधाओं को देने के लिए प्रभार संग्रहीत किए जाते हैं वहाँ मूल्य कर योग्य सेवाओं के मूल्य में शामिल किया जाएगा और तदनुसार सेवा कर उदग्रहणीय होगा।

क) हमने जयपुर-॥ कमिश्नरी में दो मण्डप पालकों और जयपुर-॥ कमिश्नरी में पांच मण्डप पालकों की एसटी-3 विवरणियों, लेखा बहियों तथा सेवा कर अभिलेखों की जांच के दौरान देखा कि निर्धारितियों ने विशेष तारीखों के लिए कमरों तथा भोजन व्यवस्था के साथ अपने बैंकट हाल किराए पर दिए परन्तु 2011-12 तथा 2012-13 की अवधि के दौरान दिए गए आवास के लिए

प्रभारित सकल राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। प्रभारित सकल राशि अर्थात् ₹ 8.81 करोड़ पर सेवा कर ₹ 63.62 लाख बना। यह ब्याज तथा शास्ति, जैसा लागू किया जाए, के साथ वसूल किया जाना है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब जयपुर-1 कमिश्नरी में दोनों मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2013) और बताया कि सरकारी राजस्व वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है। हमें जयपुर-11 कमिश्नरी की प्रतिक्रिया का इन्तजार है (दिसम्बर 2014)।

हमें मंत्रालय के उत्तर का इन्तजार है (दिसम्बर 2014)।

ख) इसी प्रकार जयपुर-1 कमिश्नरी में चार मण्डप वालकों के संबंध में हमने देखा कि निर्धारितियों ने कमरों में आवास के साथ अपना बैंकट हाल किराए पर दिया, 2011-12 की अवधि के लिए 50 प्रतिशत(40 प्रतिशत के स्थान पर) की दर पर और 2012-13 की अवधि के दौरान 40 प्रतिशत की दर पर (30 प्रतिशत के स्थान पर) उपशमन का दावा किया। परिणामस्वरूप ₹ 12.86 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ। यह ब्याज तथा शास्ति, जैसा लागू किया जाय, के साथ वसूल किया जाना है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब जयपुर-1 कमिश्नरी ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2013) और बताया कि लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ सरकारी राजस्व वसूल करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

ग) हमने देखा कि जयपुर-11 कमिश्नरी में मै. होटल लीला बेंचर पैलेस ने एक प्रतिफल के लिए फोटोग्राफी, वीडियो शूट, एलसीडी, प्रोजेक्टर, कलबेलिया कार्यक्रम, लावाजामा एराइवल परफार्मेंस, डांस आदि जैसी अन्य सुविधाओं के साथ बैंकट/सम्मेलन कक्ष किराए पर दिया। इसने 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के दौरान ऐसी सेवाओं के लिए ₹ 1.32 करोड़ के प्रभार संग्रहीत किए और केवल ₹ 2.35 लाख पर सेवा कर का भुगतान किया। शेष राशि पर नीचे दर्शाए अनुसार ₹ 14.34 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था:

तालिका 4.1

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रभारित सकल राशि	राशि जिस पर एसटी प्रदत्त	राशि जिस पर एसटी प्रदत्त नहीं	एसटी का कम भुगतान
2010-11	32.10	1.93	30.17	3.11
2011-12	53.03	0.14	52.89	5.45
2012-13	47.07	0.28	46.79	5.78
कुल	132.20	2.35	129.85	14.34

हमें मंत्रालय/कमिश्नरी के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

4.4.2.5 कर मुक्त सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) प्रावधान करता है कि अलग लेखा अनुरक्षित न करने वाला सेवा प्रदाता निम्नलिखित भुगतान विकल्पों में से किसी एक का अनुपालन करेगा (i) आउटपुट सेवाओं का सेवा प्रदाता कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा अथवा (ii) उपनियम (3क) में निर्धारित शर्तों तथा कार्यविधियों के अध्याधीन कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान में अथवा के संबंध में प्रयुक्त इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

जयपुर-॥ कमिश्नरी में मै. मरूधर होटल प्रा. लि. तथा मै. इण्डियन होटल्स कम्पनी लिमिटेड की विवरणियों की संवीक्षा के दौरान हमने देखा कि निर्धारितियों ने उपर्युक्त विकल्प (ii) का चयन किया और करमुक्त सेवाओं को आरोप्य क्रेडिट की राशि का सही प्रकार भुगतान नहीं किया, परिणामस्वरूप ₹ 75.95 लाख का कम भुगतान हुआ। यह ब्याज तथा शास्ति जैसी लागू की जाए के साथ वसूल की जानी है।

हमें मंत्रालय/कमिश्नरी की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

4.4.2.6 संग्रहीत परन्तु जमा न किया गया सेवा कर

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 तथा 68 के साथ पठित सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6 के अनुसार निर्धारित कलेण्डर माह जिसमें सेवा दी गई हुई मानी गई है, के अनुवर्ती माह के 5/6 तक मासिक आधार पर सेवा कर भुगतान करेगा।

अहमदाबाद एसटी कमिशनरी में अहमदाबाद नगर के लेखाकरण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 2008-09 से 2012-13 तक की अवधि के लिए मण्डप पालक सेवा, विज्ञापन हेतु स्थान की बिक्री और अचल सम्पत्तियां किराए पर देने सहित विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत सेवा कर संग्रहण ₹ 9.43 करोड़ बना। तथापि उसी अवधि के तदनुरूपी सेवा कर का प्रेषण ₹ 8.36 करोड़ दर्शाया गया था। इस प्रकार ₹ 1.07 करोड़ ग्राहकों से संग्रहीत था परन्तु सरकारी खाते को अदा नहीं किया गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया तब कमिशनरी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2013) कि निर्धारिती को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था।

4.4.2.7 अन्य मामले

उपर्युक्त के अतिरिक्त हमें सेवा कर के गैर/कम भुगतान, सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लिया जाना, उपशमन तथा सेवा के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का गैर/कम भुगतान आदि से सम्बन्धित अनियमितताओं के 18 मामले भी देखने में आए जिनमें ₹ 39.19 लाख का राजस्व अन्तर्ग्रस्त है। विभाग ने ₹ 26.03 लाख के राजस्व वाले 11 मामलों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली थीं और ₹ 13.26 लाख वसूल कर लिए थे। शेष मामलों में हमें विभाग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

ख. सम्भावित सेवा प्रदाताओं की पहचान करने के तन्त्र की पर्याप्तता

4.4.3 कर आधार विस्तृत करने और दाखिल करना बन्द करने वालों की पहचान करने के लिए विशेष सेल का सर्जन

राजस्व की वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कर आधार का विस्तारीकरण आवश्यक है। स्वैच्छिक अनुपालन पर बढ़ते भरोसे के साथ व्यक्तियों, जो कर भुगतान करने को दायी हैं परन्तु भुगतान का परिहार किया था, की पहचान करने के लिए विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र करने के लिए एक प्रभावीतन्त्र स्थापित करना विभाग के लिए महत्वपूर्ण हो गया है ताकि उन्हें कर जाल में लाया जा सके जिससे कर आधार का विस्तारीकरण हो। सीबीईसी ने सम्भावित निर्धारितियों की पहचान करने और दाखिल करना बन्द करने वालों

की पहचान करने के लिए प्रत्येक कमिश्नरी में एक विशेष सेल बनाने के लिए नवम्बर 2011 में निर्देश जारी किए। मई 2003 में मुख्य कमिश्नरियों को परिचालित डीजीएसटी की कार्य योजना में भी विभिन्न स्रोतों जैसे यलो पेजेज, सेवा प्रदाताओं के संघ, समाचार पत्र विज्ञापन, क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों, वेबसाइटों, बैंकों, नगर निगमों और पीएसयू तथा निजी क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों आदि से सूचना के संग्रहण पर बल दिया गया।

हमने म्यूनिसिपैलिटीज तथा नगरपालिकाओं द्वारा सेवाओं का पंजीकरण न कराना देखा जिसमें ₹ 1.31 करोड़ अन्तर्गस्त थे। कमिश्नरियों द्वारा विवरणी दाखिल करना बन्द करने वालों की पहचान में भी हमने कमियां देखी। इन पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

4.4.3.1 सेवा प्रदाताओं द्वारा पंजीकरण न करना और परिणामतः सेवा कर का भुगतान न करना

अचल सम्पत्ति किराए पर देना 1 जून 2007 से धारा 65(105)(जैडजैडजैडजैड), के द्वारा, 10 सितम्बर 2004 से धारा 65(105)(जैडजैडडब्ल्यू) के द्वारा पण्डाल तथा शामियाना और 1 जुलाई 1997 से धारा 65(105)(एम) के द्वारा मण्डप पालक सेवाएं वित्त अधिनियम 1994 के अन्तर्गत कर योग्य हो गए।

हमने महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजकोट के कार्यालय में उपलब्ध स्थानीय निकायों के अभिलेखों का सत्यापन किया और पाया कि 13 स्थानीय स्वशासन संस्थाओं जैसे म्यूनिसिपैलिटी तथा नगर पालिका ने अचल सम्पत्तियों से संबंधित कर योग्य सेवाओं पर आय प्राप्त की थी जो ऊपर उल्लिखित सेवा श्रेणियों में से एक अथवा अधिक के अन्तर्गत कर योग्य होगी। तथापि उन्होंने सेवा कर अधिकारियों से पंजीकरण नहीं लिया था और अपनी सेवा कर देयता का निर्वाह नहीं किया था। इन मामलों में अन्तर्गस्त सेवा कर लगभग 1.31 करोड़ बनता था।

चार मामलों की कमिश्नरियों द्वारा अपंजीकृत सेवा प्रदाताओं के रूप में पुष्टि की है। हमें शेष मामलों के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (नवम्बर 2014)।

आपत्ति दर्शाती है कि गुजरात में कमिश्नरियों द्वारा की जा रही कार्रवाई यह सुनिश्चित करने कि सम्भावित निर्धारित सेवा कर जाल में कवर किए गए हैं, के लिए तीव्र किए जाने की आवश्यकता है।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

4.4.3.2 बन्द दाखिल कर्ता तथा दाखिल न करने वालों की पहचान

चयनित कमिश्नरियों से संग्रहीत सूचना हमने देखा कि अक्टूबर 2013 को

- i) वडोदरा-। कमिश्नरी में किसी विशेष सेल का सर्जन नहीं किया गया था।
- ii) राजकोट कमिश्नरी ने सूचित किया कि सर्वेक्षण अनुभाग द्वारा सर्वेक्षण किए गए थे और बन्द दाखिल कर्ताओं तथा दाखिल न करने वालों की पहचान के लिए एक दल बनाया गया था। कमिश्नरी ने विशेष सेल बनाने से सम्बन्धित कोई विशेष सूचना नहीं दी थी। कमिश्नरी ने 877 विलम्ब फाइल कर्ताओं, 12,669 बन्द दाखिल कर्ताओं तथा 19,404 दाखिल न कर्ताओं की पहचान की थी। तीन अधिकारियों का एक दल बनाया गया था जिसने 2012-13 के दौरान विभिन्न बन्द दाखिल कर्ताओं/दाखिल न करने वालों को 2,167 ई-मेल जारी किए और सितम्बर 2013 तक 5,906 नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से केवल 720 बन्द दाखिल कर्ताओं/दाखिल न करने वालों ने जवाब दिए।

राजकोट कमिश्नरी ने यह भी बताया कि डाटाबेस में त्रुटियां हुई थीं। इसके अलावा कुछ पार्टियों जिनको विभाग ने नोटिस जारी किए, ने साक्ष्य प्रस्तुत किया कि उन्होंने विवरणियां दाखिल कर दी थीं। इसके अलावा सैकड़ों ठेकेदार बोली से पूर्व पंजीकरण लेते हैं और बोली प्राप्त करने में विफलता पर वे आसानी से शहर छोड़ जाते हैं। अखोजनीय हो जाते हैं।

- iii) सूरत-। कमिश्नरी द्वारा भेजी गई सूचना से हमने देखा कि 2010-11 से 2012-13 तक की अवधि के लिए 35,753 विवरणियां देय थीं। जिनमें से केवल 8,971 विवरणियां प्राप्त हुई थीं और 21,402 विवरणियां, अर्थात् देय विवरणियों का 60 प्रतिशत, किंचित प्राप्त नहीं हुई थी। दाखिल न करने वालों/बन्द फाइल कर्ताओं से सम्बन्धित कमिश्नरी द्वारा की गई कार्रवाई लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

iv) इसी प्रकार हमने देखा कि केवल सेवा कर विवरणियों के बन्द दाखिल कर्ताओं/दाखिल न करने वालों के मामलों को देखने के लिए अगस्त 2011 में तथा जून 2012 में क्रमशः जयपुर-1 तथा ॥ कमिश्नरियों में विशेष सेल बनाया गया था। लेखापरीक्षाकी अवधि के दौरान कोई सर्वेक्षण नहीं किए गए थे। 31 मार्च 2013 को जयपुर-1 कमिश्नरी में 26,801 निर्धारिती और जयपुर-॥ कमिश्नरी में 10,877 निर्धारिती बन्द दाखिल कर्ताओं के रूप में पहचाने गए थे। जयपुर-1 में 448 निर्धारितियों ने और जयपुर-॥ में 457 निर्धारितियों ने अपने पंजीकरण अभ्यर्पित कर दिए थे। जबकि जयपुर-1 कमिश्नरी ने महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर एसपी-3 विवरणियां दाखिल न करने के कारण पूछने के लिए बन्द दाखिल कर्ताओं को 4,593 पत्र जारी करने से सम्बन्धित सूचना भेजी वहीं जयपुर-॥ कमिश्नरी द्वारा ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

v) अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी में विशेष सेल बनाया गया है और सर्वेक्षण किए गए हैं। कमिश्नरी ने 6,214 बन्द दाखिल कर्ताओं की पहचान की जिन्हें लिखित सूचनाएं दी गई थी और वे उत्तर दे रहे थे। कमिश्नरी ने 1,112 दाखिल न करने वालों की भी पहचान की और विशेष लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा अनुभाग के योजना सेल को सूची सौंपी।

ग. कमिश्नरियों द्वारा अपर्याप्त मॉनीटरिंग

4.4.4 अध्याय V के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन हेतु अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 94 के अन्तर्गत नियम निर्धारित किए गए हैं। जब तक उसके अनुपालन का मॉनीटरिंग नहीं किया जाता है तब तक उनके प्रयोजन के विफल हो जाने की सम्भावना है। हमने निम्नलिखित दृष्टान्त देखे जो सम्बन्धित क्षेत्रों में कमिश्नरियों द्वारा मॉनीटरिंग को सुदृढ करने की आवश्यकता को प्रकट करते हैं:

4.4.4.1 एसटी विवरणियों की समय से प्राप्ति का मॉनीटरिंग न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 7 प्रावधान करता है कि एसटी-3 विवरणी अप्रैल-सितम्बर और अक्तूबर-मार्च की छमाही अवधि के लिए क्रमशः 25 अक्तूबर तथा 25 अप्रैल तक दाखिल की जानी है। विवरणी दाखिल न

करने/ दाखिल करने में विलम्ब पर उपर्युक्त नियम 7ग के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क लगता है। एसटी-3 विवरणियों का विलम्बत प्रस्तुतीकरण प्राथमिक संवीक्षा में जांच के भाग के रूप में रेंज अधिकारियों द्वारा बताया जाना है।

निर्धारिती अभिलेखों की जांच के दौरान हमने अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, जयपुर-I तथा जयपुर-II कमिशनरियों में हमने 16 दृष्टान्त देखे जहाँ निर्धारिती ने 2010-11 से 2012-13 के दौरान विलम्बित रूप से एसटी-3 विवरणी दाखिल की। तथापि वित्त अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत विलम्ब शुल्क के साथ विवरणियों का प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने के लिए अथवा धारा 77 के अन्तर्गत शास्ति लगाने के लिए सम्बन्धित रेंजों द्वारा कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की गई थी।

राजकोट कमिशनरी ने उत्तर दिया (अप्रैल 2014) कि एक निर्धारिती ने बाद में विलम्ब शुल्क जमा कर दिया (अप्रैल 2014)। हमें अन्य मामलों के संबंध में कमिशनरियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

हमने देखा कि कोई प्रणाली नहीं थी जिसके द्वारा कमिशनरी/मण्डल इस संबंध में अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई का मॉनीटरिंग करें। एसीईएस के आरम्भ और निर्धारितियों द्वारा विवरणियों का आनलाईन करने ने भी नियमों के अननुपालन के मामलों में अथवा कमिशनरियों/मण्डलों द्वारा बेहतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित करने में रेंजों में शीघ्र ही अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की।

हमें मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

4.4.4.2 इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से कर देयों का भुगतान न करना

जहाँ किसी निर्धारिती ने पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में ₹ 10 लाख अथवा अधिक के कुल सेवा कर का भुगतान किया है वहाँ वह अदा किए जाने के लिए दायी सेवा कर को इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अवसीमा 1 जनवरी 2014 से ₹ 1 लाख तक निम्नतम की गई है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 77(1)(घ) के अनुसार कोई व्यक्ति, जिससे इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर अदा करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसा करने में

विफल रहता है, ₹ 5000 तक (07 अप्रैल 2011 तक) शास्ति जो 8 अप्रैल 2011 से ₹ 10,000 तक आगे बढ़ाई गई है।

हमने सात दृष्टान्त देखे (नवम्बर 2013) जहाँ चार कमिश्नरियों अहमदाबाद, राजकोट, सूरत-1 तथा वडोदरा-1 के अन्तर्गत निर्धारितियों ने कर देयों के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की अपेक्षा करने वाले प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया। रेंजों ने या तो शास्ति लगाने के लिए अथवा नवम्बर 2013 तक सेवा कर का ई-भुगतान प्रोत्साहित करने के लिए निर्धारितियों को कोई पत्र जारी करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की थी।

कमिश्नरियों ने उत्तर दिया (अप्रैल-जून 2014) कि तीन निर्धारितियों ने बाद में शास्ति का भुगतान कर दिया था और अन्य भुगतान करने को सहमत हो गए थे। इसके अलावा एक मामले में कारण बताओं नोटिस दिनांक 17 अक्टूबर 2013 जारी किया गया था और अन्य मामले में प्रक्रियाधीन था। हमें एक मामले के संबंध में प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

हमने यह भी देखा कि यह दर्शाने को अभिलेख पर कुछ नहीं था कि कमिश्नरियां अनुपालन प्रोत्साहित करने के लिए रेंजों द्वारा की गई कार्रवाई का मॉनीटरिंग कर रही थीं।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

4.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा का मत है कि वर्तमान अनुपालन सत्यापन प्रणालियों को अपवंचन निम्नतम करने के लिए विवरणियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा तथा संवीक्षा करने सहित क्षेत्रों में सुदृढ करने की आवश्यकता है। सेवा कर आधार के विस्तारीकरण के संबंध में अधिक अग्रलक्षी अभिगम लिए जाने की आवश्यकता है।

अध्याय V

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा

5.1 प्रस्तावना

सीबीईसी ने 2001 में सेवा कर के संबंध में स्वनिर्धारण लागू किया। स्वनिर्धारण के आरम्भ के साथ विभाग ने विवरणियों की संवीक्षा के साथ सशक्त अनुपालन सत्यापन तन्त्र के लिए भी प्रावधान किया। चूँकि निर्धारण अब निर्धारिती का उत्तरदायित्व है इसलिए विभाग का मुख्य कार्य दावित कर की प्रभावी दर के अनुसार निर्धारित शुल्क, घोषित कर योग्य मूल्य और लिए गए सेनवेट क्रेडिट की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत कर विवरणी की संवीक्षा करना है। एसीईएस के माध्यम से विवरणियों का ई-फाइलिंग अक्टूबर 2011 से अनिवार्य बनाया गया था। संवीक्षा दो चरणों में की जाती है अर्थात एसीईएस द्वारा प्राथमिक संवीक्षा और विस्तृत संवीक्षा जो एसीईएस अथवा अन्यथा द्वारा चिन्हित विवरणियों पर मानवीय रूप में की जाती है।

5.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा जांच का उद्देश्य अनुपालन सत्यापन के लिए औजार के रूप में मौजूद प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा प्रणालियों की प्रभावकारिता निर्धारित करना था।

5.3 लेखापरीक्षा क्षेत्र

हमने 26 कमिश्नरियों की 129 रैंजों में 2011-12 तथा 2012-13 में दाखिल सेवा कर विवरणियों की नमूना जांच की। तथापि अन्तर्ग्रस्त मामलों के आधार पर हमने पूर्व अवधियों, जहाँ कहीं आवश्यक माना गया, से संबंधित आपत्तियां शामिल की हैं।

5.4 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षित यूनिटों में निर्धारित अभिलेखों की संवीक्षा में ₹ 57.53 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले कुछ अनुपालन सम्बन्धित तथा मामलों का पता चला। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 44.96 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) और ₹ 3.67 करोड़ वसूल कर लिए। प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित पैराग्राफों में सोदाहरण दिए गए हैं:

क. प्राथमिक संवीक्षा

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 7 परिकल्पना करता है कि सेवा कर भुगतान का दायी प्रत्येक व्यक्ति छमाही के अन्त में 25 दिनों के अन्दर फार्म एसटी-3 में छमाही विवरणी प्रस्तुत करनी है। निर्धारितियों द्वारा विवरणियां दाखिल करना तथा रैंज अधिकारियों द्वारा विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा 2009-10 से एसीईएस के माध्यम से आन लाइन किया जाता है।

हम चयनित रैंजों में जांच करने के दौरान जैसे देखे गए, प्राथमिक संवीक्षा से संबंधित अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर नीचे चर्चा करते हैं।

5.4.1 विवरणियों का प्रस्तुतीकरण

i) हमने देखा कि 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान प्राप्य 2,45,240 विवरणियों में से केवल 1,39,349 (57 प्रतिशत) विवरणियां चयनित कमिश्नरियों में प्राप्त हुई थीं। प्राप्त कुल विवरणियों में से 8091 (6 प्रतिशत) विवरणियां विलम्बित रूप से प्राप्त हुई थीं और 1,05,891 (43 प्रतिशत) किंचित प्राप्त नहीं हुई थीं। फाइल न करने वालों/बन्द फाइल कर्ताओं की पहचान सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 के पैरा 1.2.1 में प्राथमिक संवीक्षा के प्रयोजनों में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। तथापि विभाग ने फाइल न करने वालों/बन्द फाइल कर्ताओं की पहचान नहीं की। हमने यह भी देखा कि विवरणी विलम्बित दाखिल करने के मामलों में विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि दाखिल न करने वालों/बन्द दाखिल कर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई आरम्भ की गई है।

ii) संवीक्षा संचालन

सेवा कर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा के समापन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है इसके विपरीत केन्द्रीय उत्पाद विवरणियों की संवीक्षा के मामले में जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विवरणियों की संवीक्षा की नियम पुस्तक 2008 प्राथमिक तथा विस्तृत संवीक्षा दोनों के समापन के लिए 3 माह का प्रतिमान निर्धारित करती है।

एक अच्छी प्रथा के रूप में इस प्रतिमान को लागू कर विभिन्न कमिश्नरियों से यथा प्राप्त विवरणियों की संवीक्षा के समापन की स्थिति को तालिका बद्ध किया। हमने देखा कि चयनित रेंजों में प्राप्त विवरणियों में से केवल 38,936 (28 प्रतिशत) की तीन माह के अन्दर संवीक्षा की गई थी। 2,37,913 (70 प्रतिशत) विवरणियों की विलम्बित संवीक्षा की गई थी। 34,478 विवरणियों में से चयनित रेंजों में संवीक्षा तथा सुधार के लिए चिन्हित 26,863 (78 प्रतिशत) 3 माह से अधिक अवधि के लिए समीक्षा तथा सुधार के लिए लम्बित रहीं।

जह हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि संवीक्षा मामलों में लम्बन एसीईएस में समस्याओं के कारण है। लम्बन को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सिफारिश सं. 6

- 'समीक्षा तथा सुधार' मामलों के संबंध में सुधार कार्रवाई सहित सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा के समापन के लिए समय सीमा निर्धारित करने की सिफारिश की जाती है।

5.4.2 विलम्बित फाइलिंग के लिए विलम्ब शुल्क का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 7ग विवरणियां दाखिल करने की रीति निर्धारित करता है और अधिदेश भी करता है कि विशेष छमाही, जिससे विवरणी सम्बन्धित है, के अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक ऐसी विवरणी दाखिल की जानी है। यह आगे प्रावधान करता है कि यदि विवरणी निर्धारित देय तारीख तक दाखिल नहीं की जाती है तो निर्धारिती से विलम्ब की अवधि के लिए विलम्ब शुल्क के साथ विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 70 (1) के अनुसार ऐसा विलम्ब शुल्क ₹ 20,000 से अधिक नहीं हो सकता है।

हमने देखा कि 1,39,349 विवरणियों में से 8091 विवरणियां 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान लेखापरीक्षित यूनिटों में विलम्ब से दाखिल की गई थीं। विलम्ब से प्राप्त 865 विवरणियों की नमूना जांच में पता चला कि ₹ 31.65 लाख विलम्ब शुल्क के रूप में सरकार को देय था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2014) तब मंत्रालय/विभाग ने 14 मामलों में ₹ 24.02 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

ख. निर्धारण की विस्तृत संवीक्षा

विस्तृत संवीक्षा का प्रयोजन बोर्ड के मार्ग निर्देशों में अभिज्ञात जोखिम प्राचलों के लिए प्रदर्शित असाधारण प्रवृत्तियों के सही कारण अभिनिश्चित करता है। कर विवरणी में भेजी गई सूचना की वैधता स्थापित करने के अतिरिक्त विस्तृत संवीक्षा का अन्य प्रमुख उद्देश्य सेवाओं, जो निर्धारण से बच गई हैं के संबंध में मूल्यांकन, कर योग्यता की सत्यता, सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की सत्यता आदि सुनिश्चित करने के द्वारा स्वनिर्धारण की सत्यता स्थापित करना है।

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 का अध्याय 4 परिकल्पना करता है कि कुल विवरणियों के अनधिक दो प्रतिशत विस्तृत संवीक्षा हेतु अभिज्ञात जोखिम प्राचलों के आधार पर चयन की जानी हैं।

5.4.3 चयनित रैंजों में लेखापरीक्षा जांच के दौरान निम्नवत देखा:-

क) एसीईएस प्रणाली ने विस्तृत संवीक्षा हेतु विवरणियों की सूची नहीं बनाई।

ख) 2011-12 तथा 2012-13 में प्राप्त 1,39,349 विवरणियों में से केवल 121 विवरणियों की चयनित कमिशनरियों द्वारा संवीक्षा की गई थी जो प्राप्त कुल विवरणियों के 0.1 प्रतिशत से भी कम हैं।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि विस्तृत संवीक्षा करने के लिए कार्रवाई आरम्भ की गई है।

5.5 निर्धारितियों द्वारा अननुपालन

हमने कुछ विवरणियों की संवीक्षा की जहाँ विभाग ने विस्तृत संवीक्षा की थी और वहाँ भी जहाँ विभाग ने संवीक्षा प्रक्रिया की दक्षता निर्धारित करने के लिए और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए विस्तृत संवीक्षा नहीं की थी।

हमने देखा कि अनेक दृष्टान्तों में निर्धारितियों द्वारा स्वनिर्धारण में चूकें हुई थीं जिनमें वित्तीय निहितार्थ अन्तर्गस्त था। निर्धारिती का अननुपालन खोजा नहीं गया था जबतक सेरा ने उसका उल्लेख नहीं किया। इनमें से कुछ चूकों जो विभाग के अनुपालन सत्यापन तन्त्र से बच गए परन्तु निर्धारिती विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की हमारी जांच के दौरान देखे गए सोदाहरण दिए जाते हैं:

5.5.1 सेवा कर की गैर/कम अदायगी

हमने 56 मामलों के संबंध में ₹ 41.03 करोड़ के सेवा कर तथा ब्याज के गैर/कम भुगतान देखे। मंत्रालय/विभाग ने 19 मामलों में आपत्ति स्वीकार और ₹ 1.07 करोड़ वसूल कर लिए। तीन मामले उदाहरणस्वय दिए गए हैं:-

i) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105)(जैडजैडएम) के अनुसार विमान पतन प्राधिकरण द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी विमान पतन में किसी व्यक्ति को दी गई अथवा दी जाने वाली सेवा सेवा कर को प्रभार्य है।

नागपुर कमिश्नरी में मै. मिहान लि. (एमआईएल), महाराष्ट्र विमान पतन विकास कं. लि. तथा भारतीय विमान पतन प्राधिकरण (एएआई) का संयुक्त उद्यम, डा. बाबासाहेब अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय विमान पतन, नागपुर में सुविधाओं के उपयोग के लिए ग्राहकों से लाइसेंस फीस वसूल कर रहा है। यह देखा गया था कि एएआई द्वारा रिलायंस इण्डस्ट्रीज से लाइसेंस फीस संग्रहीत की गई थी और आगे एमआईएल को दी गई थी।

हमने देखा कि न तो निर्धारिती ने और न ही एएआई ने मार्च 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के दौरान रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से संग्रहीत लाइसेंस फीस के संबंध में विमान पतन सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.57 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि जारी करने के लिए एससीएन प्रक्रियाधीन है।

ii) वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105)(जैडजैडजैडजे) के अनुसार ऐसी मशीनरी, उपकरण तथा साधनों का आधिपत्य का अधिकार और प्रभावी नियंत्रण हस्तान्तरित किए बिना उपयोग हेतु मशीनरी, उपकरण तथा साधनों सहित अमूर्त वस्तुओं की आपूर्ति के संबंध में सेवा कर योग्य सेवा है।

हमने देखा कि कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. ट्रांसेफ सर्विसेज लिमिटेड (टीएसएल) ने 2011-12 में फ्रेट कंटेनर/उपकरण की आपूर्ति के लिए ₹ 27.72 करोड़ की किराया आय प्राप्त की। ग्राहकों के साथ किए करार/पट्टा अनुबन्ध से पता चला कि ये लेन-देन केवल पट्टा प्रचालन कर रहे थे और बिक्री नहीं थे। पट्टाधारियों द्वारा प्राप्त केवल अधिकार अनुमत अभिरक्षा और पट्टाकृत कंटेनर का उपयोग करने का अधिकार था। आधिपत्य तथा प्रभावी नियंत्रण का कानूनी अधिकार दिए बिना, वस्तुओं की मानी गई बिक्री के रूप में मान्य न होने पर विभिन्न पार्टियों को फ्रेट कंटेनर का उपयोग अनुमत करने का ऐसा लेन-देन उपयोग हेतु 'अमूर्त वस्तु सेवा की आपूर्ति' के अन्तर्गत शामिल किया गया था। तथापि किराया आय के प्रति प्राप्त राशि पर सेवा कर प्राप्त नहीं हुआ था परिणामस्वरूप ₹ 2.85 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि बराबर शास्ति तथा लागू ब्याज के साथ ₹ 15.32 करोड़ की मांग की पुष्टि हो गई थी।

iii) सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से दी गई और भारत में प्राप्त) नियमावली 2006 के साथ पठित वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 66ए प्रावधान करती है कि सेवाओं का आयात भारत में सेवा प्राप्त कर्ता के हाथों में कर योग्य है। इसके अलावा सेवाओं का कराधान (भारत के बाहर से दी गई और भारत में प्राप्त) नियमावली 2006 के नियम 5 के साथ पठित सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3(4)(ड.) के अनुसार ऐसी सेवाओं पर सेवा कर केवल नकदी के माध्यम से अदा किया जा सकता है और इनपुट सेवाओं पर प्राप्त सेनवेट क्रेडिट का उपयोग करने के द्वारा नहीं।

बंगलौर सेवा कर कमिश्नरी में मै. ट्यूटर विस्ता ग्लोबल प्रा. लि. ने 2011-12 के दौरान ₹ 7.43 करोड़ की सेवाओं का आयात किया। निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से ऐसी आयातित सेवाओं पर सेवा कर का भुगतान किया जो अनियमित था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 76.55 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (दिसम्बर 2014) कि ₹ 76.55 लाख की राशि का निर्धारिती को एससीएन जारी किया गया था।

5.5.2 सेवाओं का गलत मूल्यांकन

हमने दी गई सेवाओं के मूल्य का गलत मूल्यांकन देखा परिणामस्वरूप दो मामलों के संबंध में ₹ 28.37 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो नीचे उदहरणस्वरूप दिए गए हैं:-

i) कोचीन कमिश्नरी में मै. मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स प्रा. लि. का केन्द्रीकृत पंजीकरण था और कोच्ची तथा चेन्नई में स्थित अपने कार्यालयों से बीजक जारी किए। तथापि सेवा कर भुगतान करते समय निर्धारिती ने चेन्नई कार्यालय से जारी सेवा कर बीजकों की गणना नहीं की परिणामस्वरूप अप्रैल 2012 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के दौरान ₹ 12.66 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ₹ 1.78 लाख के ब्याज के साथ राशि का भुगतान कर दिया था।

ii) कोचीन कमिश्नरी में में. गणेश बेंजोप्लास्ट लि. ने 2011-12 की अवधि की दौरान ₹ 1.92 करोड़ के बीजक जारी किए परन्तु विवरणी में ₹ 56.40 लाख के रूप में सेवा के मूल्य की घोषणा की और उस पर सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.35 करोड़ के सेवा मूल्य का छिपाव हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 13.93 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अगस्त 2013) तब मंत्रालय ने ₹ 13.93 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)।

5.5.3 छूट का गलत लाभ लेना

हमने देखा कि पांच मामलों के सम्बन्ध में विभिन्न निर्धारितियों को ₹ 6.58 करोड़ के सेवा कर से छूट गलत प्रकार से अनुमत की गई थी। उदाहरणस्वरूप एक मामला नीचे हैं:

अधिसूचना 1/2006 (क्र सं. 10) दिनांक 1 मार्च 2006 इस शर्त कि ऐसी कर योग्य सेवाओं को देने के लिए प्रयुक्त इनपुट पूंजीगत माल अथवा इनपुट सेवाओं पर कोई सेनवेट क्रेडिट न लिया गया हो, के अध्यक्षीन काम्पलेक्स सेवा के निर्माण के संबंध में करयोग्य सेवाओं के मूल्य पर 67 प्रतिशत के उपशमन का प्रावधान करती हैं।

मुम्बई एसटी II कमिश्नरी में में. लार्सन एण्ड टूब्रो लिमिटेड इसीसी डिवीजन ने कथित अधिसूचना के अन्तर्गत उपशमन का लाभ लेने के बाद आवासीय काम्पलेक्स सेवा के निर्माण पर सेवा कर भुगतान किया। तथापि, निर्धारिती ने ऐसे निर्माण के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त सेवा कर के क्रेडिट का लाभ भी लिया जिसने अधिसूचना में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन किया। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ₹ 29.36 करोड़ के उपशमन का गलत लेना हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.02 करोड़ के सेवा कर का कम उदग्रहण हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2013) तब मंत्रालय ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने कार्य ठेका सेवा के लिए किसी सेनवेट क्रेडिट का उपयोग नहीं किया है।

मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपशमन का लाभ उपलब्ध नहीं है यदि सेनवेट क्रेडिट का प्रयोग किया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि इस सेवा के लिए अथवा किसी अन्य कर योग्य सेवाओं के लिए।

5.5.4 सेनवेट क्रेडिट का गलत लाभ लेना

हमने देखा कि ₹ 6.97 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट का 35 मामलों में विभिन्न निर्धारितियों द्वारा गलत प्रकार लाभ लिया गया था। मंत्रालय/विभाग ने 12 मामलों में आपत्ति स्वीकार कर ली और ₹ 84.94 लाख की वसूली की। उदाहरण स्वरूप से मामले नीचे दिए गए हैं:

i) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(1) परिकल्पना करता है कि इनपुट अथवा इनपुट सेवा की ऐसी मात्रा पर सेनवेट क्रेडिट अनुमत नहीं होगा जिसका उपयोग कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए किया जाता है।

यदि सेवा प्रदाता करयोग्य तथा कर मुक्त सेवाओं से सम्बन्धित अलग लेखे अनुरक्षित करने में असफल होता है तब नियम 6(3) के अनुसार निम्नलिखित दो विकल्पों में से निर्धारिती किसी का अनुपालन करेगा जो उसको लागू हो, नामतः-

(i) वस्तुओं का विनिर्माता 31 मार्च 2011 तक कर मुक्त वस्तुओं अथवा कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के पांच प्रतिशत और उसके बाद कर मुक्त वस्तुओं अथवा कर मुक्त सेवाओं के मूल्य के छः प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा

(ii) वस्तुओं का विनिर्माता अथवा आउटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा के सम्बन्ध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2011 आगे स्पष्ट करती हैं कि मुक्त सेवाओं में व्यापार शामिल होता है।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3घ(ग) के अनुसार व्यापार के मामले में उपर्युक्त नियमों के नियम 6 के प्रयोजन हेतु मूल्य बिक्री मूल्य, और बेची वस्तुओं की लागत के बीच अन्तर अथवा बेची वस्तुओं की लागत का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, होगा।

नागपुर कमिश्नरी में में. गुसा ग्लोबल रिसोसेज प्रा. लि. में कारबार सहायक सेवाएं प्रदान की (कोयले की धुलाई) और तदनुसार नकदी के माध्यम से और सेनवेट क्रेडिट लेखा के माध्यम से सेवा कर अदा किया। तथापि निर्धारिती व्यापार कार्यकलाप में भी लगा था और 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान उसने कोयले का व्यापार किया। चूंकि व्यापार कर मुक्त सेवा हैं इसलिए निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(2) के अनुसार अलग लेखे अनुरक्षित करने चाहिए थे जो किया नहीं गया था। इसलिए निर्धारिती ₹ 4.92 करोड़ के सेनवेट क्रेडिट को वापिस लौटाने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (दिसम्बर 2013) तब मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि यथासमय एससीएन जारी किया जाएगा।

ii) सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 3 के अनुसार करयोग्य सेवा के प्रदता को इनपुट/पूँजीगत माल/उसके द्वारा प्राप्त इनपुट सेवाओं पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अथवा सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट लेना अनुमत किया जाता है।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में में. ब्ल्यूज ने इनपुट सेवाओं पर ₹ 50 लाख का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया और वर्ष 2011-12 के दौरान सेवा कर भुगतान के लिए उसका उपयोग किया यद्यपि इस अवधि के दौरान निर्धारिती को उपलब्ध सेनवेट मात्र ₹ 18.35 लाख था। इसके परिणामस्वरूप स्वरूप ₹ 31.65 लाख का सेनवेट क्रेडिट अधिक लिया गया जो अनियमित था और ब्याज तथा शास्ति के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जून 2013) तब मंत्रालय ने ₹ 31.65 लाख की वसूली सूचित की (दिसम्बर 2014)। ब्याज के संबंध में आगे कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित हैं।

iii) अधिसूचना संख्या 30/2012-एसटी दिनांक 1 जुलाई 2012 (अधिसूचना संख्या 45/2012-एसटी द्वारा यथा संशोधित) के अनुसार जनशक्ति सेवाओं और सुरक्षा सेवाओं की आपूर्ति की सेवा के मामले में प्राप्तकर्ता सेवा कर का 75 प्रतिशत और प्रदाता सेवा कर का 25 प्रतिशत भुगतान करेगा। इसलिए जहाँ सेवा प्राप्त कर्ता ने अपनी देयता का निर्वाह नहीं किया है वहाँ उस मात्रा तक सेनवेट क्रेडिट उपलब्ध नहीं होगा।

हल्दिया कमिश्नरी में मै. केजरीवाल कास्टिंग लि. ने जुलाई 2012 से जुलाई 2013 तक के दौरान विभिन्न सेवा प्रदाताओं (ठेकागत श्रम आपूर्तिकार) द्वारा प्रस्तुत बिलों पर प्रभारित 100 प्रतिशत सेवा कर का इनपुट सेवा क्रेडिट प्राप्त किया था। तथापि निर्धारिती ने ऊपर उद्धरित अधिसूचना के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत अपनी सेवा कर देयता का निर्वाह नहीं किया और कथित इनपुट सेवाओं के पूर्ण क्रेडिट का गलत प्रकार लाभ लिया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 37.70 लाख के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ लेना हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य हैं।

जब हमने इसका उल्लेख किया (सितम्बर 2013) तब मंत्रालय ने बताया (दिसम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 37.70 लाख का सेनवेट क्रेडिट वापस कर दिया था। मंत्रालय ने आगे सूचित किया कि निर्धारिती ने ₹ 12.48 लाख के ब्याज के साथ ₹ 53.09 लाख का सेवा कर भुगतान कर दिया था।

5.6 अन्य मामले

ऊपर चर्चा किए गए मामलों के अतिरिक्त हमने सेवा कर के कम भुगतान/भुगतान न करने, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर भुगतान करने में विफलता आदि के 87 मामले भी देखे जिनमें ₹ 2.35 करोड़ का राजस्व अन्तर्गस्त हैं। मंत्रालय/विभाग ने 52 मामलों में आपत्तियां स्वीकार कर ली और ₹ 1.23 करोड़ वसूल कर लिए।

5.7 निष्कर्ष

यद्यपि सीबीईसी की प्रत्याशा यह थी कि विवरणियों की आनलाईन स्वचलित संवीक्षा के आरम्भ के साथ दक्षता में वृद्धि होगी और जनशक्ति को विस्तृत संवीक्षा हेतु मुक्त कर दिया जाएगा जो रैंजो का प्रमुख कार्य बन जाएगा परन्तु क्षेत्र में वास्तविक स्थिति चाहने से काफी दूर हैं। रैंजो के प्रमुख कार्य के रूप में निर्धारणों की संवीक्षा अपने स्थान का दावा कर सके उससे पूर्व बहुत कुछ किए जाने की अधिक आवश्यकता हैं।

अध्याय VI

नियमों तथा विनियमों का अननुपालन

6.1 प्रस्तावना

हमने सेवा कर के भुगतान से सम्बन्धित निर्धारितियों द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों की जांच की और कर भुगतान तथा सेनवेट क्रेडिट प्राप्त करने की सत्यता की जांच की। हमने ₹ 128.25 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले सेनवेट क्रेडिट के अनियमित प्राप्त करने और लाभ लेने, सेवा कर के गैर/कम भुगतान आदि के मामले देखे। हमने 80 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 127.33 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 78 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) जिनमें से ₹ 26.93 करोड़ वसूल कर लिए गए थे। उपर्युक्त 78 पैराओं में से 73 पैराओं में मंत्रालय/विभाग ने ₹ 108.21 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाली सुधार कार्रवाई आरम्भ कर दी/पूर्ण कर ली। हमने परिशिष्ट II में इन पैराग्राफों के ब्यौरे भेजे हैं। आपत्तियां चार प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं:

सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर का कम भुगतान

सेनवेट क्रेडिट

ब्याज का भुगतान न करना

6.2 सेवा कर का भुगतान न करना

6.2.1 दूर आपरेटर सेवा के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करना

अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2007 द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 1 मार्च 2006 कुछ शर्तों के अध्याधीन पैकेज दूर की सेवाओं और आवास आरक्षण के सम्बन्ध में प्रभारित सकल राशि के क्रमशः 75 तथा 90 प्रतिशत का उपशमन अनुमत करने के द्वारा आपरेटर सेवाओं को छूट निर्धारित करती हैं। यह अधिसूचना लागू नहीं है जब इनपुट अथवा पूंजीगत माल पर शुल्क

का सेनवेट क्रेडिट अथवा ऐसी कर योग्य सेवाओं को देने के लिए प्रयुक्त इनपुट सेवाओं पर सेवा कर का सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के अन्तर्गत सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया गया है।

मुम्बई एसटी। कमिश्नरी में व्यस्त मै. ट्रेड विंग्स लिमिटेड ने दूर आपरेटर सेवाओं के कारण अधिसूचना दिनांक 23 अगस्त 2007 के अन्तर्गत छूट का दावा का कर उपशमित मूल्य पर सेवा कर भुगतान कर रहा था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि निर्धारिती ने सेवाओं के निर्यात के रूप में दावा 2009-10 तथा 2010-11 की अवधि के दौरान क्रमशः ₹ 95.65 लाख और ₹ 4.63 करोड़ राशि की निर्गामी दूर सेवाओं के प्रति भारतीय मुद्रा में प्राप्त कमीशन की सकल राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। चूंकि कमीशन राशि परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में प्राप्त नहीं हुई थी इसलिए लेखापरीक्षा दावा करता है कि दी गई सेवाओं के निर्यात के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा निर्धारिती ने इनपुट सेवा कर क्रेडिट प्राप्त किया था और उसका उपयोग किया था जिससे ऊपर कथित अधिसूचना में अनतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 में क्रमशः ₹ 66.19 लाख तथा ₹ 3.71 करोड़ के प्राप्त (खरीदी गई विदेशी मुद्रा को छोड़कर) कमीशन के निवल प्रतिफल पर ₹ 45 लाख का सेवा कर भुगतान करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जुलाई 2012) तब कमिश्नरी ने अगस्त 2012 तथा मार्च 2013 में ₹ 4.57 लाख के ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹ 7.65 लाख के सेवा कर की वसूली की सूचना दी। यह प्रतिफल में उपशमन लेने के बाद था। इसके अलावा कमिश्नरी ने सूचित किया कि निर्धारिती ने 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 1.31 लाख तथा ₹ 3.71 लाख की इनपुट सेवाओं पर लिया गया सेनवेट क्रेडिट उलट दिया था। इस प्रकार लेखापरीक्षा के कहने पर कुल ₹ 17.24 लाख की वसूली की गई थी। इसके अलावा लेखापरीक्षा तर्क कि निर्धारिती उपशमन का पात्र नहीं था और पूर्ण दर पर सेवा कर भुगतान करने का दायी था, पर कमिश्नरी ने 2009-10 तथा 2010-11 वित्तीय वर्षों के लिए निर्गामी दूर सेवाओं के प्रति क्रमशः ₹ 95.65 लाख तथा ₹ 4.63 करोड़ राशि के प्राप्त कमीशन के सकल मूल्य पर

₹ 57.59 लाख के सेवा कर की मांग कर कारण बताओं नोटिस जारी किया (फरवरी 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.2.2 कार्य ठेका सेवा

वित्त अधिनियम 1994 के अध्याय की धारा 65(105) (जेडजेडजेडजेडए) (i) तथा (ii) (ग) कार्य ठेका को ठेका के रूप में परिभाषित करती हैं जिसमें ऐसे ठेका के निष्पादन में अन्तर्ग्रस्त वस्तुओं का हस्तांतरण वस्तुओं की बिक्री के रूप में कर को दायी हैं ऐसा ठेका एक नए आवसीय परिसर अथवा उसके भाग के निर्माण करने के लिए हैं। अधिनियम की धारा 65(91ए) के अनुसार आवसीय परिसर का अर्थ एक परिसर में स्थित बारह आवसीय यूनिटों से अधिक वाले भवन अथवा भवनों, एक सामूहिक क्षेत्र और किसी एक अथवा अधिक सेवाओं जैसे पार्क लिफ्ट पार्किंग स्थान कम्यूनिटी हाल सामूहिक जल आपूर्ति बहिःस्राव संसाधन प्रणाली से बने किसी परिसर से हैं।

बोर्ड ने अपने परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के पैरा सं. 3 के द्वारा स्पष्ट किया कि जब प्रवर्तकों/निर्माण कर्ताओं/विकास कर्ताओं तथा अन्तिम स्वामी के बीच आरम्भिक अनुबंध "बिक्री अनुबंध" की प्रकृति में हैं और ऐसे बिक्री पत्रक के निष्पादन तक आवासीय परिसर के निर्माण के संबंध में ऐसे विक्रेता द्वारा दी गई कोई सेवा स्वसेवा की प्रकृति में होगी और परिणामतः सेवा कर लगेगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 65(105) (जेडजेडएच) के अन्तर्गत 1 जुलाई 2010 से अन्तर्विष्ट व्याख्या के अनुसार, इस खण्ड के प्रयोजनों हेतु किसी परिसर, को निर्माण से पूर्व, के दौरान अथवा के बाद (उस समय पर लागू किसी विधि के अन्तर्गत ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा समापन प्रमाणपत्र देने से पूर्व निर्माता द्वारा सम्भावित क्रेता से अथवा उसकी बाबत कोई राशि प्राप्त नहीं हुई हैं, के मामलों को छोड़कर) निर्माता द्वारा पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बिक्री के लिए अपेक्षित हैं, के निर्माण को निर्माता द्वारा क्रेता को दी गई सेवा होना माना जाएगा।

कालीकट कमिश्नरी में कार्य ठेका देने वाला एक सेवा कर निर्धारिती में. चतमकुलम प्रोजेक्ट्स एण्ड डबलपर्स प्रा. लिमिटेड ने बोर्ड के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के आधार पर सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए 'शून्य' विवरणियां दाखिल की। निर्धारिती ने कमिश्नरी को सूचित किया कि वे कोई कर योग्य सेवा नहीं दे रहे थे क्योंकि वे ग्राहकों के स्व अधिभोग के लिए केवल स्वतन्त्र मकानों का निर्माण कर रहे थे। निर्धारिती ने पंजीकरण अभ्यर्पित करने के लिए आवेदन किया और विभाग द्वारा अभ्यर्पण अनुमत किया गया था। निर्धारिती ने 8 अगस्त 2011 को "परिसर सेवाओं का निर्माण" के अन्तर्गत दोबारा सेवा कर पंजीकरण लिया और सेवा कर भुगतान आरम्भ कर दिया।

वाणिज्यिक कर विभाग, पलक्कड़ के साथ निर्धारिती के वैट अभिलेखों के प्रति सत्यापन ने दर्शाया कि उन्होंने 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए क्रमशः ₹ 2.81 करोड़ तथा ₹ 6.65 करोड़ के पण्यावर्त के लिए 3 प्रतिशत की मिश्रित दर पर कार्य ठेका कर अदा किया हैं। फार्म 108 में वैट की वार्षिक विवरणी तथा वेबसाइट में दिए गए विज्ञापनों के अनुसार निर्धारिती ने सामूहिक सुविधाओं, जैसे सुरक्षा कार्मिक, मनोरंजन/स्वास्थ्य क्लब, खेल क्षेत्र बगीचा आदि वाले विभिन्न फ्लैटों तथा विला परियोजनाएं पूर्ण की। निर्धारिती ने 31 मार्च 2010 को तुलन पत्र के अनुसार मकानों तथा फ्लैटों के निर्माण के लिए क्रमशः ₹ 92.52 लाख तथा ₹ 15.71 लाख की अग्रिम राशियां भी प्राप्त की। चूंकि बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 आवासीय परिसर सेवा का निर्माण देने में लगे निर्माताओं को सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में था और कार्य ठेका सेवा से किसी प्रकार सम्बन्धित नहीं था इसलिए निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के दौरान दी गई कार्य ठेका सेवाओं के लिए सेवा कर भुगतान करने की दायी था। तथापि निर्धारिती 2009-10 तथा 2010-11 वर्षों के लिए ₹ 39.04 लाख (वैट विवरणी में दर्शायी गई सकल आय के आधार पर) का सेवा कर भुगतान नहीं किया, सितम्बर 2010 तक शून्य विवरणी दाखिल की और तब पंजीकरण अभ्यर्पित किया। पंजीकरण का अभ्यर्पण मंजूर करने से पूर्व कमिश्नरी निर्धारिती द्वारा दी गई सेवा की कर देयता सुनिश्चित

करने में विफल हो गया जैसा सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4(7) तथा (8) के अन्तर्गत प्रावधान किया गया।

जब हमने इसका उल्लेख किया (अक्टूबर 2011) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (सितम्बर 2012, अगस्त 2013 तथा मार्च 2014) कि ये ठेके आवसीय यूनिटों, जिनका स्वामित्व पहले ही ग्राहकों/सेवा प्राप्तकर्ता के पास था, के निर्माण के लिए अलग अलग निर्माण ठेकों के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा निर्मित किए गए थे और स्वयं ग्राहकों ने अपने नामों में बिल्डिंग परमिट प्राप्त किए थे। यह भी बताया गया था कि परिसरों के अन्दर सामूहिक क्षेत्र अथवा सामूहिक सुविधाएँ नहीं थीं उस रूप में निर्धारिती का कार्यकलाप “आवसीय परिसर सेवा का निर्माण” की कर योग्य सेवा की परिधि में नहीं आता था। कमिश्नरी ने आगे बताया कि निर्धारिती बोर्ड के परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 के बल पर सितम्बर 2010 तक की अवधि के लिए ‘शून्य’ एसटी 3 विवरणी दाखिल की थी। यह भी उत्तर दिया गया था कि उन मामलों में भी जहाँ कार्य ठेका के अन्तर्गत वैट देय था वहाँ सेवा केवल तभी करयोग्य होगी यदि यह “आवसीय परिसर सेवा के निर्माण” की परिभाषा के अन्तर्गत आती हो। कमिश्नरी ने यह भी बताया कि निर्धारिती को ₹ 39.04 लाख की राशि के सेवा कर की मांग करते हुए कारण बताओ नोटिस दिनांक 1 अक्टूबर 2013 जारी किया गया था।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कार्य ठेका के अन्तर्गत आवसीय यूनिटों का निर्माण वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65(105) (जेडजेडजेडए) के खण्ड (ग) के बल पर कार्य ठेका सेवाओं के अन्तर्गत सेवा कर आकर्षित करता है। एडवांस रूलिंग अथारिटी द्वारा हरे कृष्ण डवलपर्स के मामले में जारी एडवांस रूलिंग दिनांक 7 अप्रैल 2008 के अनुसार “जब सब प्लॉट का क्रेता कार्य ठेका करता है तब ऐसा ठेका एक अलग घर के निर्माण के लिए नहीं है परन्तु एक जो आवसीय परिसर द्वारा दी गई सभी सुविधाओं जैसे क्लब हाऊस आदि क्रेता को उपलब्ध होगा। इसलिए कार्य ठेका के माध्यम से निर्मित अकेले घर की अपेक्षा अलग-अलग घर आवासीय परिसर के एक भाग के रूप में देखा जाना है। इस प्रकार धारा 65(105) के (जेडजेडजेडजेडए) के खण्ड (ग) में आने वाली “अथवा उस का एक भाग” अभिव्यक्ति सच्चाई से लागू

होती हैं। इसके अलावा निर्धारिती द्वारा किए गए विज्ञापनों के अनुसार वे अपने ग्राहकों को सामूहिक सुविधाएं जैसे पार्किंग, खेल क्षेत्र, बगीचा, सुरक्षा आदि दे रहे थे और इसके अलावा भूमि के बिक्री पत्र के अनुसार निर्धारिती के नाम में सामूहिक सड़क के उपयोग के अधिकार का प्रावधान था। इसके अलावा निर्धारिती ने क्रेताओं से नेमी अनुरक्षण के खर्च पूरे करने के लिए समग्र निधि भी संग्रहीत की और बिक्री पत्र दिनांक 24 जून 2009 के अनुसार निर्माता ने मिट्टी से सम्पत्ति को भरने के लिए राजस्व मण्डल अधिकारी से अनुमति प्राप्त की और पंचायत से विल्डिंग परिमिट प्राप्त किया। इसके अलावा बोर्ड का परिपत्र दिनांक 29 जनवरी 2009 आवासीय परिसर सेवा के निर्माण देने में लगे निर्माताओं को सेवा कर की प्रयोज्यता के बारे में था और कार्य ठेका सेवा के बारे में किसी प्रकार नहीं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.2.3 प्रबन्धन, अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवा

प्रबन्धन अनुरक्षण अथवा मरम्मत सेवा (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) का अर्थ ठेका अथवा अनुबन्ध के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अथवा विनिर्माता अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्पत्तियों चाहे चल अथवा नहीं के प्रबन्धन के समबन्ध में, सम्पत्तियों चाहे चल अथवा नहीं का अनुरक्षण अथवा मरम्मत, अथवा सुधार करने अथवा पुररूद्धार सहित अनुरक्षण अथवा मरम्मत अथवा मोटर वाहन को छोड़कर किन्हीं वस्तुओं की सर्विसिंग देने के किसी सेवा से हैं।

मुम्बई II कमिश्नरी में अनुरक्षण तथा मरम्मत की सेवाएं देने में लगे मै. ग्रेडर एण्ड पील (इंण्डिया) लिमि. से पता चला कि निर्धारिती के विशाल ठेकों के अनुरक्षण तथा मरम्मत, जंग आदि से बचाने के लिए ठेकों की पेंटिंग से सम्बन्धित कार्यों पर अपने उप ठेकेदारों के माध्यम से मै. एचपीसीएल को सेवाएं प्रदान की। एसटी-3 विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने 2009-10 तक की अवधि के लिए अनुरक्षण तथा मरम्मत श्रेणी के अन्तर्गत ऐसी सेवाओं के प्रति सेवा कर देयता का निर्वाह किया था। तथापि, अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए निर्धारिती ने ₹ 2.39 करोड़ की मै. एचपीसीएल को दी गई सेवाओं के मूल्य पर देय

₹ 24.65 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जून 2011) तब निर्धारिती ने सेनवेट क्रेडिट के माध्यम से ₹ 24.65 लाख की राशि का भुगतान कर दिया और ₹ 0.68 लाख (जून 2011) का ब्याज भुगतान कर दिया। तथापि देय ब्याज ₹ 2.89 लाख बना और इस प्रकार ₹ 2.21 लाख के ब्याज का कम भुगतान वसूली योग्य था।

कमिश्नरी ने सूचित किया (सितम्बर 2011) कि मामला आगे की कार्रवाई के लिए सेवा कर ॥ मुम्बई कमिश्नरी को भेजा गया था। आगे उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.3 सेवा कर का कम भुगतान

6.3.1 सेवा के आयात के अधीन सेवा कर

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 7 के साथ पठित सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 6(1) की व्याख्या अनुबंध करती हैं कि जहाँ तक सयुक्त उद्यम का सम्बन्ध हैं, सेवा कर ऐसे कर के दायी व्यक्ति से उदग्राह्य हैं चाहे राशि वास्तव में प्राप्त नहीं हुई हैं परन्तु यह सेवा प्रदाता की लेखा बहियों में डेबिट अथवा क्रेडिट की गई हैं। कर योग्य सेवा के प्रति प्राप्त कोई राशि किसी लेखा चाहे सेवा प्रदाता की लेखा बहियों में उचन्त लेखा अथवा अन्य नाम कहा जाए को डेबिट अथवा क्रेडिट कोई भुगतान शामिल होगा।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. इमरसन कलइमेंट टेकनालजीज़ (इण्डिया) लिमि. कारबार सहायता सेवाएं, अमूर्त वस्तु सेवाओं की अपूर्ति, कारबार सहायक सेवाएं आदि देने में लगा था। एसटी-3 विवरणी के सामने वित्तीय अभिलेखों के मिलान सहित विस्तृत संवीक्षा के दौरान यह देखा गया था कि निर्धारिती ने 2009-10 से 2010-11 तक की अविधि के दौरान ₹ 26.38 करोड़ के एजेंसी कमीशन परामर्श तथा अन्य सेवा प्रभार, डिजाइन तथा सलाहकार प्रभार आदि के प्रति विदेशी मुद्रा में विशाल व्यय किया था। तथापि विभिन्न श्रेणियों यथा तकनीकी निरीक्षण, बीएस आदि के अन्तर्गत सेवा प्राप्तकर्ता के रूप से सेवा

कर के भुगतान के लिए कर योग्य सेवा के मूल्य के रूप से केवल ₹ 11.74 करोड़ की राशि ली गई थी। चूंकि ये लेन देन संयुक्त उद्यमों के साथ थे इसलिए सकल राशि, जब और जैसे यह ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत लेखाबहियों में प्रतिबिम्बित की गई हैं, पर सेवा कर देय हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के अननुपालन के परिणामस्वरूप ₹ 1.51 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तब कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और सूचित किया (फरवरी 2014) कि 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के लिए ₹ 1.56 करोड़ का एससीएन जारी किया जा रहा है। कमिश्नरी ने यह भी सूचित किया (मई 2014) कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान के प्रति ₹ 21.42 लाख की राशि वसूल की गई थी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

6.4 सेनवेट क्रेडिट

6.4.1 अपात्र बीजकों पर सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ उठाना

अधिसूचना दिनांक 17 मार्च 2012 द्वारा यथा संशोधित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली 2002 का नियम 7 परिकल्पना करता है कि इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) शर्त कि एक से अधिक यूनिटों में प्रयुक्त सेवा को आरोप्य सेवा कर का क्रेडिट सभी यूनिटों जिनसे सेवा उसी अवधि के दौरान सम्बन्ध रखती है, के पण्यावर्त की कुल राशि को सम्बन्धित यूनिट की सुसंगत अवधि के दौरान पण्यावर्त के आधार पर आनुपातिक वितरित किया जाएगा, के अध्यक्षीन अपनी विनिर्माण यूनिटों अथवा आउटपुट सेवाएं देने वाली यूनिटों को इनपुट सेवा पर प्रदत्त सेवा कर के संबंध में सेनवेट क्रेडिट वितरित कर सकता है।

कोल्हापुर कमिश्नरी में मै. रीटर इण्डिया प्रा. लि. उत्थापन, प्रतिष्ठापन तथा संस्थापन, वाणिज्यिक प्रशिक्षण तथा कोचिंग, कारबार सहायक सेवाएं आदि देने में लगा है और कोयम्बटूर में सेवा कर भुगतान के लिए केन्द्रीयकृत पंजीकरण रखता था। निर्धारिती ने बीजकों जो कोरेगावँ पूणे स्थित अपनी अन्य यूनिट को जारी किए थे, के आधार पर इनपुट सेवा का सेनवेट क्रेडिट प्राप्त किया। यह देखा गया था कि न तो पूणे यूनिट आईएसडी के रूप से

पंजीकृत थी और न ही कोयम्बदूर स्थित मुख्यालय यूनिट द्वारा सेनवेट क्रेडिट के वितरण हेतु निर्धारितप्रक्रिया अपनाई गई थी। इसके परिणामस्वरूप नवम्बर 2012 से जनवरी 2013 तक की अवधि के लिए ₹ 1.77 करोड़ की राशि के सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लिया जाना हुआ।

जब हमने इसका उल्लेख किया (मई 2013) तक कमिश्नरी ने बताया (जून 2014) कि पैराग्राफ स्वीकार्य प्रतीत होता हैं और ब्याज तथा शास्ति के साथ ₹ 4.77 करोड़ की राशि का नवम्बर 2012 से अप्रैल 2014 तक की अवधि के लिए सेनवेट क्रेडिट की अस्वीकृति का प्रस्ताव करने वाला मसौदा कारण बताओं नोटिस जारी किया जा रहा हैं।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.5 ब्याज का भुगतान न करना

6.5.1 पूंजीगत माल पर सेनवेट क्रेडिट का गलत लिया जाना

सेनवेट क्रेडिट नियमावली, 2004 के नियम 4(2) के अनुसार किसी भी समय एक वित्त वर्ष में एक फैक्ट्री में प्राप्त पूंजीगत माल या आउटपुट सेवा प्रदाता के परिसर में सेनवेट क्रेडिट केवल उसी राशि के लिए लिया जा सकता हैं जो उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पूंजीगत माल पर दत्त शुल्क की 50 प्रतिशत से अधिक न हो सेनवेट क्रेडिट का बकाय उस वित्तीय वर्ष में जिसमें पूंजीगतमाल प्राप्त किया गया था उसके अनुवर्ती किसी वित्तीय वर्ष में लिया जा सकता हैं।

नोएडा आयुक्तालय में मै. डिश टीवी इंडिया लि. नोएडा के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह पाया गया (सितम्बर 2011) कि निर्धारिती ने 2008-09 2009-10 और 2010-11 की अवधि के दौरान उपरोक्त नियम 4(2) के अनुसार 50 प्रतिशत की अनुग्रहता के प्रति पूंजीगत माल जैसा सेट टॉप बॉक्स पर 100 प्रतिशत डिश ऐंटिना एलएनबी विसुईंग कार्ड, आरसीए केबल्स इत्यादि पर सेनवेट क्रेडिट का लाभ लिया था। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2011 तक ₹ 89.87 करोड़ तक के सेनवेट क्रेडिट का अधिक लाभ दिया जिस पर निर्धारिती को सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 14 के अनुसार ₹ 11.68 करोड़ की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं।

जब हमने इस बारे में बताया (फरवरी 2012), कमिश्नरी ने बताया (जुलाई 2013) कि मार्च 2013 के दौरान अक्टूबर 2007 से मार्च 2011 की अवधि के लिए ₹ 12.29 करोड़ की ब्याज राशि की मांग के लिए एक कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

6.5.2 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 प्रावधान करती हैं कि धारा 68 अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति, जो निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में विफल होता है, दस प्रतिशत से कम नहीं और 36 प्रतिशत से अधिक नहीं, प्रतिवर्ष की ऐसी दर पर सामान्य ब्याज का भुगतान करेगा, जैसी केन्द्र सरकार द्वारा उस समय पर निर्धारित की जाती है जिससे कर अथवा उसके भाग का ऐसा क्रेडिट करना विलम्बित है।

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3 अन्य बातों के साथ प्रावधान करता है कि जहाँ बीजक सेवा कर नियमावली 1994 के नियम 4 क में निर्धारित समय अवधि के अन्दर जारी नहीं किया जाता है वहाँ कराधान का बिन्दु सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा। नियम 3 भी प्रावधान करता है कि सेवा की आपूर्ति जारी रहने के मामलों में जहां सम्पूर्ण सेवा अथवा भाग का प्रावधान ठेका जो सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करने के लिए सेवा प्राप्त कर्ता से अपेक्षा करता है, शर्तों में घटना के समापन पर आवधिक रूप से निर्धारित किया जाता है वहाँ प्रत्येक ऐसी घटना के समापन की तारीख, जैसा ठेकामें निर्दिष्ट किया जाए, सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होना माना जाएगा।

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 4 क प्रावधान करता है कि करयोग्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कर योग्य सेवा के समापन अथवा ऐसी कर योग्य सेवा के मूल्य के प्रति किसी भुगतान का प्राप्ति, जो भी पहले हो, की तारीख से तीस दिनों के अन्दर दी गई अथवा दिए जाने को सहमत कर योग्य

सेवा के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्ति अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एक बीजक, एक बिल जैसा भी मामला हो, चालान जारी करेगा।

नियम यह भी प्रावधान करता है कि सेवा की आपूर्ति जारी रहने के मामले में ऐसी कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति तारीख, जब ठेका में निर्दिष्ट प्रत्येक घटना, जो सेवा प्रदाता को कोई भुगतान करने के लिए सेवा प्राप्त कर्ता से अपेक्षा करती है, के तीस दिनों के अन्दर बीजक, बिल अथवा चालान जैसा भी मामला हो, जारी करेगा।

जयपुर। कमिश्नरी में एक दूरसंचार सेवा प्रदाता (सेवा कर निर्धारिती) ने अप्रैल 2011 तथा सितम्बर 2012 की बीच अन्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को एसएमएस टर्मिनेशन (रोमिंग) से सम्बन्धित इंटरकनेक्ट यूसेज प्रभार सेवाएं दी थीं जिन पर दूरसंचार प्रचालकों के बीच कुछ विवाद होने के कारण “बिल एण्ड कीप” मोड के अन्तर्गत बिल तैयार करने को स्थगित रखा गया था। निर्धारिती को बाद में 30 अगस्त 2012 को टीडीएसएटी से अनुकूल निर्णय प्राप्त हुआ। चूंकि अन्य पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने को चुना इसलिए अन्य पार्टी को कोई अन्तरिम राहत अस्वीकार कर अक्टूबर 2012 में उच्चतम न्यायालय के आदेश पारित करने तक बीजक जारी करना विलम्बित हुआ था। निर्धारिती ने इस चरण पर बीजक जारी किए और दिसम्बर 2012 तथा जनवरी 2013 के दौरान एसएमएस पर इंटरकनेक्ट यूसेज प्रभारों (आईयूसी) पर सेवा कर जमा किया। प्रदत्त सेवा कर राशि अप्रैल 2011 से सितम्बर 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 2.35 करोड़ थी।

हमने देखा कि चूंकि दी गई सेवा कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 2(ग) के अन्तर्गत सेवा की लगातार आपूर्ति थी इसलिए कराधान का बिन्दु नियम 3 (नियम 6 में समान प्रावधान 1 अप्रैल 2012 से पूर्व की अवधि कवर करता है) के अनुसार निर्धारित किया जाना था।

तारीख, जब प्रत्येक घटना अर्थात् बिलिंग अवधि के लिए एसएमएस टर्मिनेशन से सम्बन्धित इंटरकनेक्ट यूसेज की सेवा का प्रावधान पूर्ण हुआ था, से 30 दिनों के अन्दर बीजक जारी किए गए थे यद्यपि सेवा कर नियमावली 1994 के

नियम 4 के द्वारा अपेक्षा की गई। इसलिए कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 3 के अनुसार “कराधान का बिन्दु” सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा जो इस मामले में परन्तुक द्वारा प्रत्येक बिलिंग अवधि (मासिक/द्विमासिक आदि) से सम्बन्धित सेवा के प्रावधान के समापन की तारीख होगा। इसलिए वर्तमान प्रावधानों के अनुसार निर्धारित ₹ 35 लाख के ब्याज भुगतान करने का दायी था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (नवम्बर 2013) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मार्च 2014) कि पूर्व 1 जुलाई 2011 की अवधि के लिए कराधान का बिन्दु उत्पन्न नहीं होता था क्योंकि समापन की तारीख अथवा बीजक जारी करना, जो भी पहले था, कराधान बिन्दु का निर्धारण करेगा। कमिश्नरी ने यह भी बताया कि सेवा प्राप्तकर्ता से कोई राशि संग्रहीत नहीं की गई थी।

कमिश्नरी का उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि कराधान बिन्दु नियमावली 2011 के नियम 6 (अथवा नियम 3) के अनुसार प्रत्येक बिलिंग अवधि से सम्बन्धित आईयूसी सेवाओं के प्रावधान के समापन पर सेवाओं की निरन्तर आपूर्ति (जहाँ कोई बीजक जारी नहीं किया गया था) के मामले में सेवा कर देयता उत्पन्न होगी।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित हैं (दिसम्बर 2014)।

अध्याय VII

आन्तरिक नियंत्रणों की प्रभावकारिता

7.1 प्रस्तावना

आन्तरिक नियंत्रण एक अनिवार्य प्रक्रिया हैं जो किसी स्वत्व के प्रबन्धन तथा कार्मिक द्वारा प्रभावित हैं और जोखिमों के समाधान तथा उचित आवश्वासन देने के लिए डिजाइन की गई हैं कि स्वत्व के मिशन की खोज करने में निम्नलिखित सामान्य उद्देश्य प्राप्त किए जा रहे हैं:

- सुव्यवस्थित, नीतिपरक मितव्ययी, दक्ष तथा प्रभावी प्रचालन निष्पादित करना
- उत्तरदायी बाध्यताएं पूरी करना
- लागू कानून तथा विनियमों का पालन करना
- हानि, दुरुपयोग तथा क्षति¹⁷ के प्रति संसाधनों की सुरक्षा करना

7.2 लेखापरीक्षा परिणाम

अभिलेखों की जांच करने के दौरान हमारे ध्यान में आन्तरिक लेखापरीक्षा, संवीक्षा, निर्धारित नियम पुस्तक में कमियां जैसे क्षेत्रों में अनेक उदाहरण आए जो संकेत करते हैं कि विभाग वर्तमान प्रणालियों तथा कार्यविधियों की पर्याप्तता की देखभाल करे। हमने ₹ 179.69 करोड़के वित्तीय निहितार्थ वाले 94 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपत्तियां सूचित की। मंत्रालय/विभाग ने ₹ 178.65 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 93 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों में लेखापरीक्षा आपत्तियां स्वीकार कर ली (दिसम्बर 2014) जिसमें से ₹ 57.12 करोड़ की वसूली कर ली गई थी। उपर्युक्त 93 पैराग्राफों में से ₹ 145.43 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 75 पैराओं में मंत्रालय/विभाग ने सुधार कार्रवाई आरम्भ की/पूर्ण कर ली। हमने

¹⁷ इन्टोसाई जीओवी 9100-सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आन्तरिक नियंत्रण मानकों के मार्गनिर्देश

इन पैराग्राफों के ब्यौरे परिशिष्ट III में भेजे हैं। आपतियाँ तीन प्रमुख शीर्षों के अन्तर्गत शामिल की गई हैं:

विवरणियों की संवीक्षा

निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

अन्य मामले

7.3 विवरणियों की अपर्याप्ता संवीक्षा

हमने रैंजो में एसटी-3 विवरणियों की जांच करते समय छः उदाहरण देखे जहाँ हमने देखा कि विवरणियों की अपर्याप्त संवीक्षा के कारण कर भुगतान की देयता अधिकारियों की जानकारी से छिप गई।

7.3.1 संग्रहीत परन्तु सरकारी खाते में जमा न किया गया सेवा कर

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 68 प्रावधान करती हैं कि कोई कर योग्य सेवा देने वाला प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित दर पर सेवा कर भुगतान करेगा। सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6 अनुबद्ध करता है कि सेवा कर माह के छठे दिन तक केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अदा किया जाएगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अथवा अन्य मामलों में कलैण्डर माह जिसमें भुगतान प्राप्त किया जाता है, के तत्काल अनुवर्ती माह के पांचवे दिन तक जमा किया जाता है। यदि निर्धारित निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में असफल होता है तो वह वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 की अन्तर्गत निर्धारित दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करेगा।

एसीईएस प्रणाली का जयपुर। कमिश्नरी में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर रैंज बहरोड में एसटी 3 विवरणियों की संवीक्षा और सेवा प्राप्तकर्ताओं के अभिलेखों से प्रति सत्यापन के दौरान सेरा ने देखा कि पांच सेवा प्रदाताओं ने जनशक्ति आपूर्ति की सेवा दी थी और 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान दो सेवा प्राप्तकर्ताओं से ₹ 71.66 लाख राशि का सेवा कर संग्रहीत किया। इन पांच सेवा प्रदाताओं ने या तो सुसंगत अवधि के लिए एसटी 3 विवरणियां फाइल नहीं की थीं अथवा शून्य विवरणी फाइल की। इसलिए वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अन्तर्गत प्रभार्य ब्याज तथा धारा 76 और 77 के

अन्तर्गत शास्ति के साथ इन सेवा प्रदाताओं से ₹ 71.66 लाख का सेवा कर वसूल किया जाना आवश्यक है।

जब हमने इसका उल्लेख किया (फरवरी 2014) तब कमिश्नरी ने उत्तर दिया (मई 2014) कि इन पांच सेवा प्रदाताओं ने ₹ 40.71 लाख का आंशिक सेवा कर भुगतान कर दिया था और सेवा कर के विभेदक बकाया देयों की वसूली की कार्रवाई सभी चूक कर्ताओं के विरुद्ध मांग सह कारण बताओं नोटिस जारी करने के द्वारा आरम्भ की जा रही थी। कमिश्नरी ने आगे बताया कि दो निर्धारिती 2011-12 तथा 2012-13 के लिए एसटी 3 विवरणी फाइल नहीं कर सके क्योंकि उनकी पंजीकरण संख्याएं एसीईएस पर अभ्यर्पित के रूप में दर्शाई गई हैं।

कमिश्नरी का उत्तर सरकारी खाते को पहुँच रहे प्रेषणों के साथ अभ्यर्पित पंजीकरणों से सम्बन्धित डाटा की प्रति जांच करने के लिए एक तन्त्र स्थापित करने की आवश्यकता को दर्शाता है।

हम मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं (दिसम्बर 2014)।

7.3.2 सेनवेट क्रेडिट नियमावली 1994 के साथ निर्धारिती के अननुपालन की खोज न करना

सेवा कर विवरणियों की संवीक्षा नियम पुस्तक 2009 के पैरा 1.2.1 के अनुसार प्राथमिक संवीक्षा का उद्देश्य अन्य के साथ समय से विवरणी प्रस्तुतीकरण, समय से देयों का भुगतान सुनिश्चित करना है। सेवा कर विवरणी संवीक्षा नियम पुस्तक के पैरा 1.2 ख के अनुसार प्राथमिक संवीक्षा सभी विवरणियों के सम्बन्ध में की जानी है। अनुबन्ध 2.1 विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा की जांच सूची बताता है जो अन्य के साथ क्रमांक. 14(क) विशेष रूप से उल्लेख करता है कि विभाग से सत्यापन करने की प्रत्याशा की जाती है कि क्या सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 के नियम 6(3) की शर्तें प्रथम दृष्टया सन्तुष्ट की गई हैं।

सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6(3) प्रावधान करता है कि अलग लेखे अनुरक्षित न करने वाला आउटपुट सेवा का प्रदाता निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का पालन करेगा (i) आउटपुट सेवा का प्रदाता कर मुक्त

सेवाओं के मूल्य के 5 प्रतिशत (अप्रैल 2011 से मार्च 2012 तक) और 6 प्रतिशत (अप्रैल 2012 से) के बराबर राशि का भुगतान करेगा, अथवा (ii) कर मुक्त वस्तुओं के विनिर्माण में अथवा के संबंध में अथवा कर मुक्त सेवाओं के प्रावधान के लिए प्रयुक्त इनपुट तथा इनपुट सेवाओं को आरोप्य सेनवेट क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान करेगा।

सेवा कर । मुम्बई कमिश्नरी के अधीन मण्डल III की एसटी 3 विवरणियों की संवीक्षा में पता चला कि मै. नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपोजिटरी लिमि. (एनएसडीएल) ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान कर योग्य तथा कर मुक्त सेवाएं प्रदान की। निर्धारिती ने उपर्युक्त नियम 6 के प्रावधानों के उल्लंघन में कोई विकल्प नहीं दिया था। ऊपर कथित अवधि के लिए कर मुक्त सेवाओं का मूल्य ₹ 68.93 लाख बना जिस पर निर्धारिती ने आरोप्य सेनवेट क्रेडिट को वापिस नहीं किया जो ब्याज के साथ वसूली योग्य था। यह देखा गया था कि इन विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा रेंज द्वारा की नहीं गई थीं।

हमारे उल्लेख किए जाने पर (फरवरी 2013) मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि निर्धारिती ने अप्रैल 2010 से जून 2012 तक की अवधि के लिए ₹ 6.76 लाख के ब्याज के साथ ₹ 14.62 लाख का सेनवेट क्रेडिट को वापिस करके कुल कर देयता का निर्वाह किया था। मंत्रालय का उत्तर विवरणियों की प्राथमिक संवीक्षा करने के लिए रेंज की विफलता पर मौन हैं।

7.4 निर्धारितियों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

विभाग द्वारा अपनाई गई अनुपालन सत्यापन प्रणाली तीन महत्वपूर्ण भागो विवरणी की संवीक्षा, लेखापरीक्षा तथा अपवंचन रोधी से बनी हैं। लेखापरीक्षा के माध्यम से अनुपालन सत्यापन जोखिम प्राचलों के आधार पर निर्धारिती यूनितों के चयन सहित निर्धारित प्रक्रियाएं अपनाने के द्वारा निर्धारिती परिसरों में लेखापरीक्षा करना और निर्धारित नियमों तथा विनियमों के साथ अनुपालन का स्तर जान लेने के लिए निर्धारिती के अभिलेखों की संवीक्षा करना अपरिहार्य होता है।

आन्तरिक लेखापरीक्षा को निर्धारितियों के पंजीकृत परिसरों में उनके अभिलेखों की पहुँच के लिए सेवा कर नियमावली 1994 के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त है। प्रत्येक कमिश्नरी अपने आन्तरिक लेखापरीक्षा अनुभाग के अन्दर सहायक/उप आयुक्त तथा लेखापरीक्षकों से युक्त और अपर/संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता एक लेखापरीक्षा सेल रखता है। लेखापरीक्षा सेल योजना, मॉनीटरिंग तथा की गई लेखापरीक्षाओं का मूल्यांकन करने के लिए उत्तरदायी है। अधीक्षकों तथा निरीक्षकों से बने लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा योजना के अनुसार और सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 के अनुसार निर्धारित परिसरों में लेखापरीक्षा करते हैं।

हमने निर्धारितियों की कवरेज की पर्याप्तता तथा निम्नलिखित दो श्रेणियों (क) विभागीय लेखापरीक्षा दल द्वारा पहले ही लेखापरीक्षित और (ख) लेखापरीक्षा के लिए देय परन्तु सेरा द्वारा लेखापरीक्षा के समय पर विभागीय लेखापरीक्षा द्वारा कवर न किए गए में से एक के अन्तर्गत आने वाले निर्धारितियों की नमूना लेखापरीक्षण दलों द्वारा की गई लेखापरीक्षाओं की गुणवत्ता की जांच करने का प्रयास किया। हमने ₹ 32.70 करोड़ के सेवा कर निहितार्थ वाले मामले देखे जिन पर निम्नलिखित पैराग्राफों के चर्चा की गई है। हमने 16 मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफों के माध्यम से मंत्रालय को ये आपतियां सूचित की, मंत्रालय ने चार मामलों में अन्तर्ग्रस्त राजस्व की मात्रा तक लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और शेष मामलों में हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

7.4.1 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा पहले ही शामिल चयनित निर्धारित परिसरों में अभिलेखों की सेरा की जांच के दौरान हमने कुछ दृष्टान्त देखे जहाँ कमिश्नरी की लेखापरीक्षा पार्टियों से निर्धारितियों द्वारा अननुपालन के कुछ महत्वपूर्ण मामले उल्लेख करने से छूट गए थे।

7.4.1.1 सेवा कर भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 के खण्ड 31 के अनुसार “परामर्शी इंजीनियर” का अर्थ किसी व्यावसायिक योग्य इंजीनियर अथवा इंजीनियर अथवा इंजीनियर फर्म से है जो इंजीनियरी के एक अथवा अधिक शिक्षण में ग्राहक को किसी रीति में तकनीकी मामले पर कोई

सलाह परामर्शी कार्य या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से देता है परन्तु कम्प्यूटर हार्डवेयर इंजीनियरी अथवा कम्प्यूटर साफ्टवेयर कार्य के शिक्षण में नहीं।

इसके अलावा सीबीईसी ने अपने परिपत्र दिनांक 11 जुलाई 1997 में परामर्श सेवा का क्षेत्र स्पष्ट किया है जिसमें निर्माण, पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन की सेवा शामिल होगी। सीबीईसी ने अपने परिपत्र दिनांक 6 मई 2011 में यह भी स्पष्ट किया कि सड़क, सुरंग तथा पुलो आदि के निर्माण के संबंध में किराए पर ली गई वास्तुकार तथा परामर्श इंजीनियर की सेवाएं सेवा कर के उदग्रहण से मुक्त नहीं होगी।

पटना कमिश्नरी मे मै. राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एनएचपीसी) लि. को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अन्तर्गत बिहार में सड़क परियोजनाओं के निर्माण पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन का कार्य सौंपा गया था और इस कार्य के लिए निर्धारिती को कुल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की दर पर परामर्श फीस का भुगतान किया गया था। चूंकि निर्माण पर्यवेक्षण तथा परियोजना प्रबन्धन कार्य परामर्शी इंजीनियरी सेवा की परिभाषा के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारिती द्वारा दी गई सेवा कर योग्य सेवा थी। निर्धारिती ने परामर्श फीस के रूप में 2008-09 से 2011-12 तक के दौरान ₹ 96.89 करोड़ प्राप्त किए परन्तु ₹ 10.31 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं किया था।

आन्तरिक लेखापरीक्षा यद्यपि 2009-10 तक की अवधि के लिए की गई थी परन्तु चूक का उल्लेख नहीं किया था जो बाद में सेरा द्वारा खोजा गया था।

जब हमने इसका उल्लेख किया (जनवरी 2013) तब मंत्रालय ने बताया (नवम्बर 2014) कि जारी कारण बताओं नोटिस ₹ 10.31 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय आदेश दिनांक 13 जून 2014 द्वारा निर्णीत किया गया था। निर्धारिती ने ₹ 5.35 करोड़ के ब्याज और ₹ 2.58 करोड़ की शास्ति के साथ सेवा कर राशि का भुगतान कर दिया था। मंत्रालय का उत्तर चूक खोजने में अन्तरिक लेखापरीक्षा दल की विफलता पर मौन है।

7.4.1.2 सेवा कर का भुगतान न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1क) प्रावधान करता है कि सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छाशक्ति से केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अग्रिम में सेवा कर के रूप में राशि का भुगतान और सेवा कर, जो बाद की अवधि के लिए भुगतान करने का वह दायी है, के प्रति ऐसे प्रदत्त राशि का समायोजन कर सकता है।

बशर्ते कि निर्धारिती

- (i) ऐसे भुगतान की तारीख से पन्द्रह दिनों की अवधि के अन्दर केन्द्रीय उत्पाद के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को अग्रिम में प्रदत्त सेवा कर की राशि के ब्यौरे सूचित करेगा, और
- (ii) अधिनियम की धारा 70 के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली बाद की विवरणी में किए गए अग्रिम भुगतान और उसके समायोजन, यदि कोई हो, के ब्यौरे दर्शाएगा।

भावनगर कमिश्नरी में गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमि. जुलाई 2009 माह के दौरान की गई निकर्षण सेवा के लिए ₹ 3.67 करोड़ सेवा कर भुगतान करने का दायी था। जुलाई 2009 की एसटी-3 विवरणी से जैसा देखा गया, निर्धारिती ने पीएलए के माध्यम से ₹ 60.87 लाख का भुगतान किया और ₹ 3.07 करोड़ की बकाया राशि पूर्व अवधि में प्रदत्त अग्रिम सेवा कर के प्रति समायोजित की गई बताई गई थी। तथापि हमने अप्रैल 2007 से जून 2009 तक की एसटी-3 विवरणियों में कोई अग्रिम भुगतान नहीं देखा। इसके अलावा सेवा कर के अग्रिम भुगतान की कोई सूचना अथवा साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था। इस प्रकार निर्धारिती ₹ 3.07 करोड़ का सेवा कर भुगतान करने में विफल हो गया।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2014) और सूचित किया कि कारण बताओ नोटिस का जारी किया जाना प्रक्रियाधीन था। आगे की कार्रवाई प्रतीक्षित है (मई 2014)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.3 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज भुगतान न करना

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 के अनुसार सेवा कर भुगतान करने का दायी प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित प्रतिशत पर साधारण ब्याज का भुगतान करे यदि देय सेवा कर सरकारी खाते में विलम्ब से अदा किया गया है। अधिसूचनाओं दिनांक 10 सितम्बर 2004 तथा 1 मार्च 2011 के अनुसार ब्याज की दर 31 मार्च 2011 तक 13 प्रतिशत प्रतिवर्ष और उसके बाद 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष थी।

बैंगलुरु सेवा कर कमिश्नरी में मै. प्रेस्टिज एस्टेट प्रोजेक्ट्स लि. बैंगलुरु ने 1 दिन से 38 दिनों के बीच विलम्ब से अक्टूबर 2010 से मार्च 2012 तक की अवधि के लिए सेवा कर भुगतान किया था। तथापि निर्धारिती ने सेवा कर के इन विलम्बित भुगतानों पर ब्याज भुगतान नहीं किया। ऊपर संदर्भित अवधि के लिए देय ब्याज ₹ 14.28 लाख बनता थी।

यद्यपि 2012-13 के दौरान कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा यूनिट का दौरा किया गया था परन्तु उनके द्वारा ब्याज भुगतान न करना खोजा नहीं गया था और प्राथमिक संवीक्षा में भी इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप सेरा द्वारा उल्लेख किए जाने तक यह चूक बिना खोजे रही।

हमारे बताए जाने पर (सितम्बर 2013) मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती ने जुलाई 2010 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए ब्याज के प्रति ₹ 27.84 लाख अदा कर दिया (दिसम्बर 2013)। मंत्रालय का उत्तर निर्धारिती द्वारा ब्याज की गैर अदायगी को खोजने में विभागीय दलों की विफलता पर मौन है।

7.4.1.4 सेवा कर का भुगतान न करना

कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3(ख) प्रावधान करता है कि जहाँ सेवा देने वाला व्यक्ति नियम 3 के खण्ड(क) में निर्धारित समय से पूर्व भुगतान प्राप्त करता है वहाँ कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब वह ऐसे भुगतान की मात्रा तक ऐसा भुगतान प्राप्त करता है। नियम 3 की व्याख्या भी कहती है कि किसी नाम से ज्ञात द्वारा जब कभी कोई अग्रिम कर योग्य सेवा

के प्रावधान के प्रति सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त किया जाता है तो कराधान का बिन्दु प्रत्येक ऐसे अग्रिम की प्राप्ति की तारीख होगा।

भावनगर कमिशनरी में मै. गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमि. ने ₹ 317.52 करोड़ मूल्य की पोर्ट सेवाएं दी जिसके प्रति इसने जुलाई 2011 तथा मार्च 2012 के बीच ₹ 103.32 करोड़ का अग्रिम भुगतान प्राप्त किया। इस प्रकार निर्धारिती जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक की अवधि के दौरान उपचित आधार पर ₹ 33.77 करोड़ का सेवा कर भुगतान करने का दायी था। तथापि निर्धारिती ने प्राप्ति आधार पर ₹ 32.13 करोड़ के सेवा कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.64 करोड़ के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य है।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिशनरी ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जनवरी 2014) और बताया कि एससीएन जारी किया जा रहा है। आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.5 गलत वर्गीकरण के कारण सेवा कर का कम भुगतान

वित्त अधिनियम 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन सेवा को संयंत्र मशीनरी उपकरण अथवा संरचनाओं, चाहे पूर्व सज्जित अथवा अन्यथा के उत्थापन, प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के संबंध में प्रतिष्ठापन तथा सस्थान एजेंसी द्वारा दी गई किसी सेवा के अर्थ में परिभाषित करती है। सेवा 10 सितम्बर 2004 से कर योग्य है।

कार्य ठेका सेवा 1 जून 2007 से निवल सेवा कर के अधीन आई है और अर्थ एक ठेका से है जिसमें ऐसे ठेका के निष्पादन में अन्तर्गस्त वस्तुओं में सम्पत्ति का हस्तान्तर माल की बिक्री के रूप में कर को दायी है और ऐसा ठेका वित्त अधिनियम 1994 की धारा 65 के उप खण्ड (जेडजेडजेडए) के अन्तर्गत यथा निर्धारित कार्य करने के प्रयोजन हेतु है।

आगे सेवा कर (मूल्य निर्धारण) नियमावली 2006 के अनुसार कर योग्य सेवा का मूल्य कथित नियमों के नियम 6 के अन्तर्गत यथा उल्लिखित मर्दों के मूल्य को छोड़कर ऐसी सेवाएं देने के लिए प्रभारित "सकल राशि" है।

इसके अलावा अधिनियम की धारा 75 परिकल्पना करती है कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज देय है।

इस प्रकार उपर्युक्त से यह परिणाम निकलता है कि यदि विशिष्ट ठेका कार्य ठेका है जिस पर वैट/बिक्री कर देय है तो सेवा कार्य ठेका सेवा के अन्तर्गत कर योग्य होगा। यदि ठेका एक सामान्य सेवा ठेका है (अर्थात् या तो कोई सामग्री अन्तर्गस्त नहीं है अथवा यदि सामग्री अन्तर्गस्त है तो वैट/बिक्री कर देय नहीं है) तो सेवा कर योग्य सेवा के सम्बन्धित शीर्षों के अन्तर्गत वर्गीकरणीय होगी।

कोलकाता सेवा कर कमिशनरी में मै. स्टील प्रोडक्ट्स लिमि.(यू-11) ने 400 केवी डी/सी अकोला-औरंगाबाद ट्रांसमिशन लाइन के उत्थापन के लिए एचजी पावर ट्रांसमिशन एसडीएन बीएमडी, सेलांगर, मलेशिया के साथ एक अनुबन्ध किया। कार्य के क्षेत्र में टावरों का उत्थापन, उत्थापित 400 केवी डी/सी ट्रांसमिशन लाइन का परीक्षण तथा चालू करना आदि शामिल किए गए। निर्धारिती ने ऐसी सेवाओं के लिए एचजी पावर ट्रांसमिशन को बिल जारी किए और कार्य ठेका सेवा के अन्तर्गत 2 प्रतिशत अथवा 4 प्रतिशत (यथा लागू) की दर पर सेवा कर भुगतान किया। चूंकि सेवा में सम्पत्ति का हस्तान्तरण अन्तर्गस्त नहीं था और ऐसे कार्य पर बिक्री कर देय नहीं था अथवा अदा नहीं किया गया था इसलिए निर्धारिती को उत्थापन प्रतिष्ठापन अथवा संस्थापन के अन्तर्गत 12 प्रतिशत (अथवा यथा संशोधित) की दर पर सेवा कर भुगतान करना चाहिए था। इस प्रकार सेवा के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2007 से मार्च 2009 तक की अवधि के दौरान ₹ 65.10 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमारे बताए जाने पर (अक्टूबर 2009) कमिशनरी ने आपत्ति स्वीकार कर ली (फरवरी 2013)। इसके अलावा कमिशनरी ने लागू ब्याज तथा शास्ति की बराबर राशि के साथ अक्टूबर 2007 से मार्च 2012 तक की अवधि को शामिल कर ₹ 82.93 लाख के सेवा कर को एक कारण बताओ नोटिस की प्रति प्रस्तुत की (अप्रैल 2013)।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (दिसम्बर 2014)।

7.4.1.6 अन्य मामलें

हमने पांच अन्य मामलों में निर्धारितियों द्वारा सेवा कर की गैर अदायगी/कम अदायगी, सेनवेट क्रेडिट के अनियमित लाभ आदि के ₹ 88.21 लाख के दृष्टान्त देखे जो विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा दलों द्वारा बताए नहीं गए थे। कमिश्नरियों ने सभी मामलों में लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

हमने देखा कि यद्यपि उपर्युक्त सभी मामलों में कमिश्नरी के आन्तरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा की गई थी परन्तु सेरा के बताए जाने तक चूक खोजने से रह गई।

7.4.2 सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक प्रावधानों की अपर्याप्तता

26 मई 2013 को मुख्य आयुक्तों को परिचालित महानिदेशक सेवा कर की कार्ययोजना के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं से सम्बन्धित पीएसयूज तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठनों सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करने और उनके पते सहित ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने की अपेक्षा की गई थी। इसके अलावा, प्रत्येक रेंज अधिकारी को उनके द्वारा प्राप्त की जा रही विभिन्न सेवाओं के सम्बंध में पीएसयूज सहित प्रमुख निर्धारितियों से सूचना प्राप्त करनी थी और कर आधार को विस्तृत करने के लिए ऐसे सेवा प्रदाताओं के ब्यौरे प्राप्त करने थे। तथापि सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 में ऐसा कोई अनुकूल प्रावधान नहीं था जो सम्बंधित कमिश्नरी/मण्डल/रेंज के आन्तरिक लेखापरीक्षा सेल के लिए समान ब्यौरे संग्रहीत (निर्धारित परिसरों में लेखापरीक्षा के दौरान) और भेजने के लिए सेवा कर लेखापरीक्षा दलों को बाध्यकारी बनाए।

जमशेदपुर कमिश्नरी में मुख्यतया दूरसंचार सेवा आदि देने में लगा मै. तारापुर एण्ड कम्पनी लि. ने अप्रैल 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान 22 जनशक्ति भर्ती एजेंसियों को ₹ 5.68 करोड़ का भुगतान किया परन्तु इन सेवा प्रदाताओं द्वारा 10.30 प्रतिशत की दर पर ₹ 58.50 लाख के सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

हमने देखा कि एक आन्तरिक लेखापरीक्षा टीम ने दिसम्बर 2010 तथा जनवरी 2012 में मै. तारापुर एण्ड कम्पनी लि. में लेखापरीक्षा की थी परन्तु कमिश्नरी अथवा सम्बन्धित अधीनस्थ अधिकारियों को इन सेवा प्रदाताओं द्वारा सेवा कर देयता/प्रावधान को पूरा न करने के बारे में कोई ब्यौरे सूचित करने में विफल हो गए थे जो चूककर्ता सेवा प्रदाताओं के प्रति कार्रवाई आरम्भ करने को सरल बना देता।

हमारे बताए जाने पर (सितम्बर 2011) मंत्रालय ने आपत्ति स्वीकार करते हुए सूचित किया (दिसम्बर 2014) कि 19 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे और तीन मामलों में निर्धारितियों ने ब्याज के साथ सेवा कर जमा कर दिया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि नवम्बर 2014 में नयम पुस्तक में पैरा सं. 7.6.7 के समावेशन के माध्यम से सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2011 में वांछित परिवर्तन किए गए हैं। **लेखापरीक्षा का मत है कि समान प्रावधान केन्द्रीय उत्पाद लेखापरीक्षा नियम पुस्तक 2008 में सम्मिलित किया जाना चाहिए क्योंकि बड़े विनिर्माता भी अनेक सेवा प्रदाताओं, जो उनसे सेवा कर भी प्रभारित करते हैं, से इनपुट सेवाएं प्राप्त करते हैं।**

7.4.3 आन्तरिक लेखापरीक्षा द्वारा अनिवार्य यूनिटों की कवरेज के प्रतिमानों का अपर्याप्त अनुपालन

सेवा कर लेखापरीक्षा नियम पुस्तक, 2011 का पैरा 5.1.2 परिकल्पना करता है कि एक वर्ष में ₹ 3 करोड़ अथवा अधिक (नकद + सेनवेट) का सेवा कर भुगतान करने वाले सेवा प्रदाताओं की प्रतिवर्ष लेखापरीक्षा की जानी है।

7.4.3.1 जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं पर सेवा कर भुगतान न करना

परिसर सेवा के निर्माण पर सेवा कर अधिसूचना दिनांक 7 जून 2005 द्वारा 16 जून 2005 से वित्त अधिनियम, 1994 (1 जुलाई 2012 से पूर्व यथा लागू) की धारा 65 की उपधारा 105 (जजेडजेडजेडएच) के अन्तर्गत सेवा कर उदग्राह्य है। धारा 65(30क) परिसर के निर्माण को नए आवासीय परिसर अथवा उसके एक भाग, का निर्माण आवासीय परिसर के संबंध में समापन

तथा परिष्करण सेवाएं और मरम्मत, परिवर्तन, नेवीकरण अथवा समान सेवाओं का पुनरूद्धार सहित के रूप में परिभाषित करती है।

इसके अलावा 'आवासीय परिसर' का अर्थ अधिनियम की धारा 65(91क) के द्वारा बारह आवासीय यूनिटों से अधिक वाले भवन अथवा भवनों, एक सामूहिक क्षेत्र और सुविधाएं अथवा सेवाएं जैसे पार्क, लिफ्ट पार्किंग स्थान आदि से बने परिसर से है।

1 जुलाई 2010 से अधिसूचना दिनांक 22 जून 2010, ने जवाहरलाल नेहरू नैशनल अरबन रिन्यूअल मिशन (जेएनएनयूआरएम) तथा राजीव आवास योजना को करमुक्त कर दिया।

अहमदाबाद सेवा कर कमिश्नरी में मै. एमवी ओमनी प्रोजेक्ट (आई) लि. 2007-08 से 2010-11 तक के वर्षों के दौरान जेएनएनयूआरएम परियोजनाओं के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी), वडोदरा महानगर सेवा सदन (वीएमएसएस-बीएजी) तथा वडोदरा महानगर सेवा सदन-किशनवाडी को परिसर सेवा का निर्माण देने में लगा था।

अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि निर्धारिती ने प्रत्येक ब्लॉक में 12 आवासीय यूनिटों से अधिक वाले गृह ब्लॉकों के निर्माण की सेवाएं प्रदान की और अक्टूबर 2007 तथा मई 2010 के बीच तीन परियोजनाओं के लिए ₹ 70.14 करोड़ (टीडीएस सहित) प्राप्त किए। ₹ 41.74 करोड़ के उपशमन के बाद निर्धारिती ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर भुगतान करने का दायी था तथापि निर्धारिती ने किसी सेवा कर का भुगतान नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप उपशमित मूल्य पर ₹ 1.86 करोड़ के सेवा कर का भुगतान नहीं हुआ।

हमारे बताए जाने पर (जून 2011) कमिश्नरी ने सूचित किया (जुलाई 2013) कि इस मामले में जारी कारण बताओं नोटिस (अक्टूबर 2011) ₹ 1.86 करोड़ की मांग की पुष्टि करते हुए निर्णय हो गया था (फरवरी 2013)।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.2 कराधान बिन्दु नियमों का अननुपालन

अधिसूचना दिनांक 27 जून 2011 के साथ पठित अधिसूचना दिनांक 31 मार्च 2011 द्वारा यथा संशोधित कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 3

प्रावधान करता है कि जब तक अन्यथा प्रावधान न किया जाए 1 जुलाई 2011 से 'कराधान का बिन्दु' वह समय होगा जब की गई अथवा दिए जाने वाली सेवा के लिए बीजक जारी किया जाता है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति जो बिना अधिनियम 1994 की धारा 75 प्रावधान करती है कि निर्धारित अवधि के अन्दर केन्द्र सरकार के खाते को कर अथवा उसके किसी भाग को क्रेडिट करने में विफल हो जाता है, ऐसी दर, जो उस समय केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, पर साधारण ब्याज अदा करेगा।

मुम्बई एसटी-कमिशनरी की डिविजन 1 में मै. एमीरात वायु सेवाओं द्वारा घरेलू/अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा पर यात्रियों को चढाने, कार्गो प्रहस्तन सेवाओं, वायु सेवाओं द्वारा माल का परिवहन आदि परिवहन की श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत हैं। लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती आईएटीए(अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ) अधिकृत एजेंटों के माध्यम से टिकटें बेच रहा था और आईएटीए बिलिंग सेटलमेंट प्लान (बीएसपी) के माध्यम से बिक्री रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था। बीएसपी के अनुसार निर्धारिती पाक्षिक आधार पर बिक्री रिपोर्ट प्राप्त कर रहा था अर्थात् माह के पहले पक्ष की बिक्री रिपोर्ट उसी माह के अन्तिम सप्ताह में प्राप्त हुई थी इस प्रकार, राशि बिक्री माह के अनुवर्ती माह में निर्धारिती के लेखों को क्रेडिट की गई थी और द्वितीय पक्ष के लिए अगले माह के पहले सप्ताह में प्राप्त हुई थी। इसके अलावा जुलाई 2011 से मार्च 2012 तक के सेवा कर कार्यचालन और एसटी-3 विवरणी के ब्यौरों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती प्राप्ति आधार पर अर्थात् कराधान बिन्दु नियमावली 2011, के प्रावधानों का पालन किए बिना अपने एजेंटों से केवल राशि प्राप्त करने के बाद सेवा कर भुगतान कर रहा था। जिसके परिणामस्वरूप सेवा कर का विलम्बित भुगतान हुआ जिस पर ₹ 1.59 करोड़ का ब्याज वसूल किए जाने की आवश्यकता है।

हमारे बताए जाने पर (मार्च 2013) कमिशनरी ने सूचित किया (अप्रैल 2013) कि प्रथम दृष्टया आपत्ति स्वीकार की जाती है। कमिशनरी ने बताया कि वे ऐसे मामलों से अवगत हैं और कमिशनरी का आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग अप्रैल 2013 के दौरान कथित निर्धारिती की लेखापरीक्षा कर रहा था।

हमने देखा कि यद्यपि मामला कमिश्नरी की जानकारी में था परन्तु उन्होंने किसी भी अनुपालन सत्यापन विधियों जैसे संवीक्षा अथवा आन्तरिक लेखापरीक्षा (यद्यपि निर्धारिती श्रेणी ए यूनिट था) के माध्यम से उसका उल्लेख नहीं किया था जब तक सेरा ने आपत्ति का उल्लेख नहीं किया। निर्धारिती को कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया था जैसा वित्त अधिनियम 1994 (यथा संशोधित) की धारा 73 के अन्तर्गत अपेक्षित था। कमिश्नरी ने लेखापरीक्षा के चूक बताए जाने तक ब्याज राशि वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई आरम्भ नहीं की।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.3 अवमूल्यांकन के कारण सेवा कर का कम भुगतान

सीबीईसी के परिपत्र फा.सं बी 1/6/2005 टीआरयू दिनांक 27 जुलाई 2005 के पैरा 14.5 के अनुसार यदि वाणिज्यिक परिसर के निर्माण का ठेका एकल ठेका है और सड़कों का निर्माण ठेका के अनुसार अलग कार्यकलाप के रूप में पंजीकृत नहीं है तब सेवा कर सड़क के निर्माण के मूल्य सहित निर्माण के लिए प्रभारित एकल राशि पर उदग्राह्य होगा।

दोबारा ऊपर उद्धृत परिपत्र के पैरा 14.6 के अनुसार जब अनेक भिन्न घटकों से बने ठेका के अन्तर्गत दी गई सेवाओं पर प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर एक दृष्टिकोण लिया जाना है कि क्या सेवा प्रदान ने एकल समग्र आपूर्ति अथवा विभिन्न सेवाओं की आपूर्ति की है जो भिन्न प्रकार मानी जानी है।

इसके अलावा वित्त अधिनियम 1994 की धारा 75 परिकल्पना करती है कि सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर निर्धारित दर पर ब्याज देय है।

कोलकाता सेवा कर कमिश्नरी में मै. सुभाष प्रोजेक्ट एण्ड मार्केटिंग लि. (एसपीएमएल) विभिन्न करयोग्य सेवाएं जैसे 'निर्माण सेवाएं', उत्थापन, प्रतिष्ठापन तथा संस्थापन सेवाएं और 'अनुरक्षण तथा मरम्मत सेवाएं' देने में लगा था। हमने देखा कि दी वेस्ट बंगाल पावर डवलपमेंट कारपोरेशन लि. (डब्ल्यूबीपीडीसीएल) ने मै. एसपीएमएल को पंचेट बांध जलाशय से संचालनीह टीपीएस (ओसी 125) तक उत्थापन तथा कच्चा पानी रचना प्रणाली के लिए

टर्नकी पैकेज के लिए ठेका दिया था। इस परियोजना के निर्माण का ठेका मूल्य ₹ 33.13 करोड़ था। अनुबंध के मूल्य विघटन की संवीक्षा से पता चला कि ठेका का सिविल भाग अलग-अलग यूनिटों जैसे आवासीय क्वार्टर, रोड क्रॉसिंग, और पाइप पुल, सर्विस रोड आदि में विभक्त किया गया था। हमने आगे देखा कि निर्धारिती ने उपर्युक्त सेवाओं को कर मुक्त माना और आर बिलों के माध्यम से प्राप्त राशि पर सेवा कर भुगतान नहीं किया। इसके अलावा बिलिंग तथ संग्रहण ब्यौरों की संवीक्षा से पता चला कि निर्धारिती ने कथित सेवाओं के लिए 2007-08 तथा 2008-09 वर्षों के लिए ₹ 5.33 करोड़ की राशि प्राप्त की थी। चूंकि उपर्युक्त ठेका एकल ठेका था इसलिए सड़क, पुलों आदि का निर्माण प्रथक कार्यकलाप के रूप में मान्य नहीं है इसलिए ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार उपर्युक्त ठेका के अन्तर्गत निर्धारिती द्वारा सड़क, पुलों आदि के निर्माण मूल्य सहित ठेका के लिए प्रभारित से सकल राशि पर सेवा कर प्रभार्य था। इसके परिणामस्वरूप 2007-08 तथा 2008-09 के दौरान ₹ 5.33 करोड़ की मात्रा तक अवमूल्यांकन के कारण उपकर सहित ₹ 65.87 लाख के सेवा कर का कम भुगतान हुआ।

हमारे बताएं जाने पर (मार्च 2010) कमिश्नरी ने मामला स्वीकार कर लिया और सूचित किया (अप्रैल 2014) कि लागू ब्याज तथा शास्ति के साथ मांग की पुष्टि हो गई है।

हमें मंत्रालय के उत्तर की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

7.4.3.4 सेवा कर जमा न करना

सेवा कर नियमावली 1994 का नियम 6(1)(i) प्रावधान करता है कि अनुवर्ती माह के छठवे दिन तक केन्द्र सरकार खाते को सेवा कर क्रेडिट करना होगा यदि शुल्क इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जाता है और अन्य मामले में पांचवे दिन तक जमा किया जाता है। इसके अलावा यथा संशोधित वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73क के अनुसार कोई व्यक्ति, जो सेवा कर भुगतान करने का दायी है और सेवा कर के रूप में किसी रीति में कोई राशि संग्रहीत की है, ऐसा व्यक्ति ऐसे संग्रहीत राशि को केन्द्र सरकार के क्रेडिट को अविलम्ब जमा करेगा।

हमने देखा कि जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. ओरस इंडिया प्रा. लि. मनोहरपुर, पश्चिम सिंहभूमि ने मै. इस्को से अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान सेवा कर के रूप में ₹ 86.10 लाख की राशि प्राप्त की। निर्धारिती ने इनुपट क्रेडिट के रूप में ₹ 33.68 लाख की राशि समायोजित की परन्तु वित्त अधिनियम तथा उक्त नियम 6(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत यथा अपेक्षित अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक की अवधि के दौरान वसूली गई राशि के प्रति ₹ 52.43 लाख जमा नहीं किया।

हमारे बताए जाने पर (अक्टूबर 2011) मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (सितम्बर 2014) कि निर्धारिती ने ₹ 8.50 लाख (नवम्बर 2011 से जनवरी 2012 तक के दौरान) के ब्याज सहित ₹ 61.54 लाख को सेवा कर जमा कर दिया है। मंत्रालय का उत्तर निर्धारिती की आन्तरिक लेखापरीक्षा न करने पर मौन है।

7.4.3.5 सेवा कर के विलम्बित भुगतान पर ब्याज का अनुदग्रहण

1 अप्रैल 2011 से यथा संशोधित कराधान बिन्दु नियमावली 2011 का नियम 7 प्रावधान करता है कि जब सेवा कर प्रतिलोम प्रभार तंत्र के अन्तर्गत देय है तब कराधान का बिन्दु वह तारीख होगा जिसको सेवा प्रदाता को भुगतान किया जाता है यदि ऐसी सेवा के लिए भुगतान बीजक की तारीख से छः माह के अन्दर नहीं किया जाता है तथापि यदि ऐसी सेवा भुगतान बीजक की तारीख से छह माह के अन्दर नहीं किया जाता है तब कराधान का बिन्दु ऐसे निर्धारित किया जाएगा मानो नियम 7 विद्यमान नहीं है और यथा लागू नियम 3,4,5,8 अथवा 8क के अन्तर्गत निर्धारित किए जाएंगे। इस मामले में ब्याज भी लागू होगा।

इसके अलावा उपर्युक्त कराधान बिन्दु नियमावली का नियम 3(क) प्रावधान करता है कि कराधान का बिन्दु वह समय होगा जब बीजक जारी किया जाता है यदि बीजक सेवा के समापन की तारीख से 30 दिनों के अन्दर जारी किया जाता है।

इसके अलावा यथा संशोधित सेवा कर नियमों का नियम 6(i) प्रावधान करता है कि सेवा कर माह/तिमाही, जिसमें सेवा दी गई मानी गई है, के तत्काल बाद के माह/तिमाही के 5/6वे दिन तक सरकार के क्रेडिट को जमा किया

जाएगा। नियत तारीख तक सेवा कर भुगतान करने में विफलता विलम्बित भुगतान के लिए 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज लगता है।

जमशेदपुर कमिश्नरी में मै. जमशेदपुर कन्टिनुअस एनीलिंग एण्ड प्रोसेसिंग कम्पनी प्रा. लि. ने मै. निपॉन स्टील कार्पोरेशन जापान के साथ संयुक्त उद्यम की कन्टिनुअस एनीलिंग एण्ड प्रोसेसिंग लाइन के लिए लाइसेंस तथा प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण हेतु एक अनुबन्ध किया और ₹ 31.62 करोड़ के भुगतान पर उसकी सेवाएं प्राप्त की जिन पर निर्धारित सेवा कर नियमों के नियम 2(1) (घ) (iv) के अनुसार प्रतिलोम प्रभार तन्त्र के अन्तर्गत सेवा कर भुगतान करने का दायी था। यह आगे देखा गया था कि विदेशी सेवा प्रदाता ने कार्य के समापन के बाद (निर्धारित अवधि के अन्दर) मई तथा अगस्त 2012 के बिल प्रस्तुत किए गए थे परन्तु सेवा कर का भुगतान बीजक जारी करने के छः माह बाद मार्च 2013 में किया गया था। इस प्रकार निर्धारित कराधान बिन्दु नियमावली के नियम 3(क) के अन्तर्गत सेवा कर के विलम्बित भुगतान के लिए ₹ 40.02 लाख के ब्याज भुगतान करने का दायी था क्योंकि कराधान का बिन्दु तब उत्पन्न हुआ जब बीजक जारी किए गए थे।

हमारे बताए जाने पर (जुलाई 2013) कमिश्नरी ने लेखापरीखा आपत्ति स्वीकार कर ली और बताया (जनवरी 2014) कि निर्धारित ने ₹ 40.02 लाख के ब्याज का भुगतान कर दिया है।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

यद्यपि सभी मामलों में निर्धारित प्रतिमानों के अनुसार विभाग के आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा यूनिट की वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी थी परन्तु आन्तरिक लेखापरीखा नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप यह चूक सेरा द्वारा बताए जाने तक पहचान में नहीं आया।

7.5 अन्य मामले

आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया

वित्त अधिनियम 1994 की धारा 73 के अनुसार सामान्यतया कारण बताओ नोटिस एक वर्ष के अन्दर (28 मई 2012 से '18 माह') अन्दर शुल्क अपवंचन के इरादे से गबन, साठगांठ, दुराग्रही गलत कथन, तथ्यों के छिपाव

आदि के मामले में सुसंगत तारीख से पांच वर्षों की अवधि के अन्दर जारी किया जाना है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 73(6)(ख) के अनुसार सुसंगत का अर्थ अन्य के साथ जहां कोई आवधिक विवरणियां जैसा ऊपर कहा गया, दायित्व नहीं की जाती हैं वहां अन्तिम तारीख जिसको कथित नियमों के अन्तर्गत दाखिल की जाने वाली विवरणियां दाखिल की जाती हैं, से है। उच्चतम न्यायालय ने मै. निजाम सुगर लि. बनाम केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 2006(197) ईएलटी 465(एससी) के मामले में निर्णय दिया है कि पांच वर्षों की बढ़ाई गई अवधि बाद के कारण बताओ नोटिस, जो पूर्व कारण बताओ नोटिस के उन्हीं तथ्यों के आधार पर जारी किया गया था, जारी करने के लिए विभाग को उपलब्ध नहीं था क्योंकि सम्पूर्ण तथ्य विभाग की जानकारी में थे और इसलिए प्रतिबंध आरोपित नहीं किया जा सकता है।

रायगढ़ कमिश्नरी में अनुरक्षित एससीएन तथा निर्णयादेश अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि सेवा श्रेणियों यथा कारबार सहायक सेवाओं, भण्डारण तथा भण्डारण सेवाओं तथा माल परिवहन सेवाओं के लिए 2005-06 से 2008-09 तक की अवधि के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार के अन्तर्गत सेवा कर का भुगतान न करने के कारण ₹ 3.82 करोड़ की मांगकर अक्टूबर 2010 में एक ईओयू निर्धारिती मै. हानिल सेरा टेक्स्टाइल लि. को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस निर्णय आदेश दिनांक 30 मार्च 2012 को निर्णयादेशित था।

तथापि कमिश्नरी न तो 2009-10 की अवधि पहले कारण बताओ नोटिस में शामिल की थी और न ही एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर 2009-10 की अवधि के लिए आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

हमारे बताए जाने पर (जुलाई 2012) कमिश्नरी ने बताया (दिसम्बर 2013) कि अप्रैल 2009 से मार्च 2011 तक की अवधि के लिए सेवा कर का भुगतान न करने के लिए ₹ 63.13 लाख की राशि का कारण बताओ सह मांग नोटिस जारी करने के लिए जून 2013 में निर्णयादेश अनुभाग को प्रस्तुत किया गया था। एससीएन जारी करने की अन्तिम तारीख 24 अक्टूबर 2014 होनी बताई गई थी।

तथापि चार वर्षों की अवधि बीत जाने के बाद बढ़ाई गई अवधि के प्रावधान लागू कर 2009-11 अवधि के लिए आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी करने की प्रक्रिया में निजाम सुगर लि. बनाम आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, आंध्र प्रदेश के मामले में उच्चतम न्यायालय के ऊपर उल्लिखित निर्णय के मद्देनजर अनियमित है। इस प्रकार चालू निर्णयादेश मामलों के संबंध में आवधिक कारण बताओ नोटिस जारी करने की आवश्यकता की अनुचित मॉनीटरिंग के कारण 63.13 लाख की राशि काल बाधित हो गई है। धारा 73(6)(ख) द्वारा जानेपर भी जहां आवधिक विवरणियां फाइल नहीं की जाती हैं वहां सुसंगत तारीख अन्तिम तारीख होगी जिसको ऐसी विवरणियां फाइल की जानी थी इसलिए इस मामले में निर्धारित अवधि समाप्त हो गई थी।

हमें मंत्रालय की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है (दिसम्बर 2014)।

नई दिल्ली

दिनांक: 20 मार्च 2015

संजीव गोयल

(संजीव गोयल)

प्रधान निदेशक (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क)

प्रतिहस्ताक्षरित

शशि कान्त शर्मा

(शशि कान्त शर्मा)


दिनांक: 21 मार्च 2015

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट ।

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमाशुल्क बोर्ड का संगठनात्मक चार्ट



परिशिष्ट II
(संदर्भ पैराग्राफ 6.1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
1.	1बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.35	0.35	0.35	जयपुर।
2.	2बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.12	0.12	0.12	पटना
3.	3बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.12	0.12	0.12	दिल्ली एसटी
4.	5बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.57	0.57	0.57	हैदराबाद III
5.	6बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.22	0.22		विशाखापटनम
6.	11बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.45	0.45	0.45	अहमदाबाद III
7.	13बी	सेवा कर की गैर अदायगी	1.76	1.76	1.76	रायगढ़
8.	17बी	सेवा कर की गैर अदायगी	27.25	27.25		मुम्बई एसटी।
9.	19बी	सेवा कर की गैर अदायगी	1.03	1.03	1.03	त्रिवेन्द्रम
10.	20बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.16	0.16		अहमदाबाद एसटी
11.	23बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.93	0.93	0.93	बेंगलुरु एसटी
12.	24बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.26	0.26		रोहतक
13.	27बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.26	0.26		त्रिवेन्द्रम
14.	28बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.56	0.56		विशाखापटनम
15.	29बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.26	0.26		हैदराबाद III
16.	34बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.46	0.46		हैदराबाद III
17.	37बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.43	0.43		पटना

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
18.	39बी	सेवा कर की गैर अदायगी	0.32	0.32		गुवाहटी
19.	41बी	सेवा कर की गैर अदायगी	3.44	3.44		चेन्नई एसटी
20.	1ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.11	0.11		चेन्नई III
21.	2ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.14	0.14		कानपुर
22.	4ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.48	0.48		अहमदाबाद III
23.	5ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.77	0.63		कानपुर
24.	7ए	सेवा कर की गैर अदायगी	1.30	1.30		हैदराबाद II
25.	8ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.40	0.40		हैदराबाद IV
26.	9ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.18	0.18	0.18	हैदराबाद IV
27.	16ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.33	0.33		मुम्बई एसटी।
28.	23ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.43	0.43	0.43	चेन्नई एसटी
29.	28ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.30	0.30	0.30	बेंगलुरु एसटी
30.	31ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.10	0.10	0.10	रायपुर
31.	32ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.15	0.11		दिल्ली एसटी
32.	33ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.13	0.13		वड़ोदरा।
33.	35ए	सेवा कर की गैर अदायगी	0.40	0.40	0.40	हैदराबाद IV
34.	36ए/ 2012-13	सेवा कर का कम भुगतान	0.37	0.37	0.37	मुम्बई एसटी।
35.	8बी	सेवा कर का कम भुगतान	1.71	1.71	1.71	हैदराबाद II
36.	9बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.11	0.11	0.11	दिल्ली III

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
37.	15बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.16	0.16	0.16	मुम्बई एसटी ॥
38.	30बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.58	0.58	0.58	हैदराबाद ॥
39.	35बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.46	0.46		जमशेदपुर
40.	47बी	सेवा कर का कम भुगतान	0.17	0.17	0.17	जमशेदपुर
41.	48बी	सेवा कर का कम भुगतान	2.37	2.37	2.08	गाजियाबाद
42.	12ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.11	0.11		पटना
43.	13ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.25	0.25	0.25	दिल्ली एसटी
44.	17ए	सेवा कर का कम भुगतान	5.32	5.32		मुम्बई एसटी ॥
45.	22ए	सेवा कर का कम भुगतान	0.20	0.20		चेन्नई एसटी
46.	24ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	1.12	1.12		सलेम
47.	4बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.16	0.16	0.16	दिल्ली एसटी
48.	7बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.09	0.09	0.09	हैदराबाद ॥
49.	18बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.34	0.34		कोलकाता एसटी
50.	21बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	13.34	13.34		भुवनेश्वर ॥
51.	26बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.16	0.16	0.16	दिल्ली एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
52.	31बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	5.10	5.10		हैदराबाद IV
53.	32बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.38	0.38	0.38	हैदराबाद I
54.	33बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.16	0.16	0.16	दिल्ली एसटी
55.	36बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	3.67	3.67		कानपुर
56.	38बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	1.66	1.66	1.66	मुम्बई एसटी II
57.	43बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.32	0.32		अहमदाबाद एसटी
58.	44बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.35	0.35	0.35	मुम्बई II
59.	45बी	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	5.72	5.72		मुम्बई एसटी I
60.	6ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	2.80	2.80		कालीकट
61.	10ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.10	0.10	0.10	दिल्ली एसटी
62.	11ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.13	0.13	0.13	दिल्ली एसटी
63.	14ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	1.09	1.09		दिल्ली एसटी

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	अपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
64.	19ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	1.04	1.04	1.04	मुम्बई एसटी।
65.	27ए	सेनवेट क्रेडिट का अनियमित लाभ/उपयोग	0.27	0.27		मैंगलोर
66.	12बी	ब्याज की गैर अदायगी	2.27	2.27		कोलकाता एसटी
67.	14बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.73	0.73	0.73	पुणे III
68.	25बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.18	0.18	0.18	चण्डीगढ़।
69.	40बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.78	0.78		कोलकाता एसटी
70.	42बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.61	0.61	0.60	कालीकट
71.	46बी	ब्याज की गैर अदायगी	0.11	0.11	0.11	दिल्ली एसटी
72.	16बी	छूट का गलत लाभ लेना	0.35	0.35	0.35	गोवा
73.	22बी	छूट का गलत लाभ लेना	0.23	0.23		मैंगलोर
74.		कम मूल्य की आपत्तियां जो विभाग द्वारा स्वीकार की गईं और सुधार कार्रवाई की गईं परन्तु मसौदा लेखापरीक्षा पैराग्राफ में नहीं बदली गईं	8.97	8.97	7.89	
		जोड़	108.21	108.03	26.26	

परिशिष्ट III
(संदर्भ: पैराग्राफ 7.2)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
1.	1डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	5.17	5.17	5.17	कोचीन
2.	2डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.68	0.68		राजकोट
3.	4डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.14	0.14	0.14	बेंगलुरु एसटी
4.	5डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.12	0.12	0.12	चेन्नई एसटी
5.	6डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.11	0.11	0.11	चेन्नई III
6.	7डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	1.98	1.98		सलेम
7.	8डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.17	0.17	0.17	तिरचिरापल्ली
8.	9डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.74	0.74	0.23	बोलपुर
9.	12डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	18.99	18.99	18.99	हैदराबाद IV
10.	13डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	17.96	17.96		अहमदाबाद III
11.	14डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.18	0.18		सूरत II

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
12.	15डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.21	0.21		जमशेदपुर
13.	16डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.18	0.18		पटना
14.	17डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.14	0.14		चेन्नई एसटी
15.	24डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	4.03	4.03		दिल्ली एसटी
16.	25डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	9.54	9.54		कोलकाता एसटी
17.	29डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.3	0.3	0.3	बोलपुर
18.	32डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.19	0.19	0.19	वापी
19.	33डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.66	0.66	0.66	कोचीन
20.	35डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	2.02	2.02		दिल्ली एसटी
21.	50डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	2.39	2.09		दिल्ली एसटी
22.	54डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.1	0.1	0.1	दिल्ली एसटी
23.	55डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.37	0.37	0.37	दिल्ली एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
24.	60डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.29	0.29	0.29	जयपुर।
25.	61डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.12	0.12		जयपुर।
26.	63डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	13.63	13.63		दिल्ली एसटी
27.	64डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.15	0.15	0.15	बेंगलुरु एसटी
28.	67डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	1.14	1.14		दिल्ली एसटी
29.	69डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.18	0.18	0.18	हैदराबाद ॥
30.	76डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	1.39	1.39	1.14	कोलकाता एसटी
31.	77डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.12	0.12	0.12	बोलपुर
32.	79डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.24	0.24		कोलकाता एसटी
33.	80डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	18.07	18.07		कोलकाता एसटी
34.	82डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.15	0.15	0.15	चेन्नई III
35.	84डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.13	0.13	0.13	कालीकट

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
36.	89डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.56	0.45		अहमदाबाद III
37.	93डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.21	0.21	0.21	दिल्ली एसटी
38.	95डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा दल ने चूक का पता नहीं लगाया	0.83	0.83	0.39	सूरत II
39.	10डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	1.85	1.85		बोलपुर
40.	11डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.19	0.19	0.19	कोलकाता एसटी
41.	20डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	9.43	9.43		कोलकाता एसटी
42.	26डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.19	0.19	0.19	जयपुर I
43.	27डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.12	0.12	0.12	बैंगलुरु एलटीयू
44.	34डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.56	0.56	0.56	नोएडा
45.	36डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.13	0.13	0.13	दिल्ली एसटी
46.	43डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.61	0.61		कोलकाता एसटी
47.	44डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.43	0.43	0.1	कोलकाता एसटी
48.	45डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	3.79	3.79		कोलकाता एसटी
49.	47डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.16	0.16	0.16	कोलकाता एसटी
50.	48डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.26	0.26		कोलकाता एसटी
51.	49डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.61	0.61		भुवनेश्वर I
52.	51डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.12	0.12	0.12	दिल्ली एसटी

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
53.	52डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.13	0.13	0.13	दिल्ली एसटी
54.	53डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.13	0.13	0.13	दिल्ली एसटी
55.	56डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.25	0.25	0.25	दिल्ली एसटी
56.	57डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.2	0.2	0.2	दिल्ली एसटी
57.	68डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	3.56	3.56		दिल्ली एसटी
58.	71डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	1.35	1.35		दिल्ली एसटी
59.	74डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.41	0.41	0.41	मुम्बई एसटी।
60.	78डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.36	0.36		कोलकाता एसटी
61.	81डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.48	0.48		कोलकाता एसटी
62.	88डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	0.53	0.53	0.53	बेंगलुरु एसटी
63.	94डी	आन्तरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई	1.41	1.41	1.41	दिल्ली एसटी
64.	18डी	सेवा कर आधार विस्तार करना	10.93	10.93		चेन्नई एसटी
65.	37डी	सेवा कर आधार विस्तार करना	0.11	0.11	0.11	हैदराबाद।
66.	38डी	सेवा कर आधार विस्तार करना	0.1	0.1	0.1	हैदराबाद।
67.	39डी	सेवा कर आधार विस्तार करना	0.09	0.09	0.09	हैदराबाद॥
68.	41डी	सेवा कर आधार विस्तार करना	0.76	0.76	0.21	रायगढ़
69.	23डी	विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की विफलता	1.26	1.26	1.26	हैदराबाद॥
70.	28डी	विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की विफलता	0.19	0.19	0.19	कोल्हापुर
71.	75डी	विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की विफलता	0.34	0.34	0.34	मुम्बई एसटी।

2015 की प्रतिवेदन सं. 4 (अप्रत्यक्ष कर - सेवा कर)

क्रम सं.	डीएपी सं.	संक्षिप्त विषय	आपत्ति की गई राशि	स्वीकृत राशि	वसूल राशि	कमिश्नरी का नाम
72.	83डी	विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की विफलता	0.33	0.33	0.23	चेन्नई III
73.	90डी	विवरणी की प्राथमिक संवीक्षा की विफलता	0.1	0.1		अहमदाबाद III
74.	19डी	सेवा कर का गलत भुगतान	0.27	0.27	0.27	हैदराबाद IV
75.	92डी	अपवंचन रोधी मामले की अनियमित बन्दी	0.11	0.11		मुम्बई एसटी II
		जोड़	145.43	145.02	36.74	

शब्दावली

एसीईएस	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर का स्वचालन
बीई	बजट आकलन
बोर्ड	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर बोर्ड (सीबीईसी)
सीएएटी	कम्प्यूटर समर्थित लेखापरीक्षा तकनीक
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीबीईसी	केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड
सेनवेट	केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर
सेरा	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा
सीईएसटीएटी	सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण
सीवीडी	प्रतिकारी शुल्क
सीएक्स	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीजी	महानिदेशक
डीजीसीईआई	महानिदेशक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (आसूचना)
डीजीएसटी	महानिदेशक, सेवा कर
डीजीआईसीसीई	महानिदेशक, निरीक्षण, सीमाशुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
डीओआर	राजस्व विभाग
ईए	उत्पाद शुल्क लेखापरीक्षा
एफवाई	वित्त वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद

जीटीए	माल परिवहन एजेंसी
जीआईसी	सामान्य बीमा कम्पनी
एचडीएफसी	आवास विकास वित्त निगम
आईसीटी	सूचना एवं दूरसंचार प्रौद्योगिकी
इन्टोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अन्तर्राष्ट्रीय संगठन
इन्टोसाई जीओवी	अच्छे शासन के लिए इन्टोसाई मार्गनिर्देश
आईआर	निरीक्षण रिपोर्ट
आईआरडीए	बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण
एलटीयू	बडी करदाता यूनिट
मंत्रालय/विभाग	वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)
एमआईएस	प्रबन्धन सूचना प्रणाली
एमटीआर	मासिक तकनीकी रिपोर्ट
पैन	स्थाई खाता संख्या
पीडी	प्रधान निदेशक
पीएलए	व्यक्तिगत खाता लेखा
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आर एण्ड सी	समीक्षा तथा सुधार
आरए बिल	चल लेखा बिल
आरई	संशोधित अनुमान
एससीएन	कारण बताओ नोटिस
एसटी	सेवा कर

टीआरयू	कर अनुसंधान यूनिट
वैट	मूल्य वर्द्धित कर
वीसीईएस	स्वैच्छिक अनुपालन प्रोत्साहन योजना

© भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in